



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 नवम्बर, 2010

कार्तिक 18, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

अधिसूचना

संख्या 4209/सोलह-1-2010-1(9)-2003

लखनऊ, 9 नवम्बर, 2010

सा0प0नि0-64

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 2000) की धारा 29 के

अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की निम्नलिखित प्रथम विनियमावली बनाते हैं :-

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रथम विनियमावली, 2010

अध्याय - एक

प्रारम्भिक

1.01 (1) यह विनियमावली गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ प्रथम सक्षिप्त नाम और विनियमावली, 2010 कही जायेगी। प्रारम्भ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। धारा 29(1)

परिभाषाएं

1.02—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम में —

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 से है;

(ख) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ग) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से है।

(2) अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इस विनियमावली में अपरिभाषित शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

## अध्याय — दो

## विश्वविद्यालय के अधिकारी

कुलाधिपति  
धारा 8(4)  
तथा 30 (क)

2.01—कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 38 के अधीन निर्दिष्ट किया जाये, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

2.02—जहाँ कुलाधिपति विनियम 2.01 के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांगते हैं वहाँ कुल सचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाए।

2.03—यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति या विश्वविद्यालय का कोई अन्य अधिकारी जान-बूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकारी का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे जिन मामलों में वह स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी है उक्त अधिकारी को आदेश द्वारा हटा सकता है या जहाँ राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, तो ऐसे अधिकारी को हटाने के लिए ऐसे प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है।

2.04—कुलाधिपति को विनियम 2.03 में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को ऐसे अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

कुलपति की अन्य  
शक्तियाँ  
धारा 10(8) तथा  
30(क)

2.05—कुलपति की अन्य शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी:—

(क) अध्यापन, परीक्षण, अनुसंधान, वित्त, स्थापना, सम्पत्ति से जुड़े किसी मामले के सम्बन्ध में अथवा विश्वविद्यालय के कृत्य पर प्रभाव डालने वाले किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय के किसी अनुभाग या इकाई से ऐसे दस्तावेज और सूचनाएं मांगना;

(ख) महाविद्यालय में संकाय और अन्य स्टाफ, शिक्षण, परीक्षा, शोध और वित्त या शिक्षण और शोध में अनुशासन या दक्षता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मामले के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय, संस्था, सम्बद्ध, स्वायत्त या सहयुक्त महाविद्यालय से ऐसे अभिलेख और सूचना मांगना। संबंधित महाविद्यालय और उसका प्रबन्धन ऐसी सूचना को मानने के लिये बाध्य होगा, जो कुलपति द्वारा मांगी गयी होगी।

(ग) अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान और विकास, छात्रों, लोक हित आदि से सम्बन्धित किसी सूचना को प्रारूप में और लिखित या इलेक्ट्रानिक मीडिया में, जैसा आवश्यक और उचित समझा जाये, प्रदर्शित करने के लिये विश्वविद्यालय, सम्बद्ध, स्वायत्त, घटक संस्थान या सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुदेशित करना। सम्बन्धित महाविद्यालय और उसका प्रबन्धन ऐसी सूचना के प्रदर्शन को बाध्य होगा जो कुलपति द्वारा अपेक्षित हो।

(घ) विश्वविद्यालय के अनुभागों और इकाइयों को संगठित और पुनः संगठित करना और विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तथा महाविद्यालयों के कर्मचारियों, अधिकारियों, अध्यापकों को कार्य आवंटित करना ताकि गोपनीयता बनायी जा सके अथवा ऐसी आवश्यक तत्परता व दक्षता बनायी जा सके, जैसा उचित और आवश्यक समझा जाये।

(ङ) विशेष परिस्थितियों के अधीन अनुकम्पा के आधार पर विद्यार्थियों की अपील पर विचार करना।

(च) संबंधित महाविद्यालय को पूर्ण सूचित करके या पूर्ण सूचना के बिना महाविद्यालय के कृत्यों के किन्हीं पक्षों की जांच करने के लिए महाविद्यालय का भ्रमण करना।

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अवकाश नियमों के उपबंधों के अनुसार अवकाश प्रदान करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।

2.06—आपात स्थिति की दशा में कुलपति अल्पकालिक अवधि के लिये, जो एक समय में तीन माह से अधिक न हो, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उचित कृत्यों के लिये आवश्यक समझे ऐसे मानदेय पर जैसा कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किया जाय, नियुक्तियां कर सकता है।

2.07—प्रतिकुलपति, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में यथा उपबंधित ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्रतिकुलपति  
धारा 30(क)

2.08—अधिनियम में उपबंधित कृत्यों के अतिरिक्त, वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

वित्त अधिकारी  
की अन्य  
शक्तियां और  
कृत्य  
धारा 12 तथा  
30(क)

(क) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और बजट तैयार करना वित्त समिति द्वारा और इसके अनुमोदन के पश्चात कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय वित्त समिति द्वारा नियत की गयी सीमाओं से क्रमशः पूर्व विनिर्दिष्ट मूल्यों से अधिक न हो और धन का व्यय उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाय जिसके लिए वह स्वीकृत या आवंटित किया गया हो;

(ग) नगद और बैंक अतिशेष और निवेश पर सतत दृष्टि रखना;

(घ) पचास हजार रुपये से अधिक की सभी संविदाओं की रिपोर्ट कार्य परिषद को देना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि, विश्वविद्यालय की निधियों जिनका निवेश किया जाना अपेक्षित हो, इस रीति से किया जाय जिससे विश्वविद्यालय लाभान्वित हो और वित्त समिति की सिफारिश पर हो;

(च) यह सुनिश्चित करना कि भवन, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जायें और विश्वविद्यालय के उपस्कर तथा अन्य सामग्रियों के स्टॉक की वार्षिक जांच की जाय;

(छ) किसी अप्राधिकृत व्यय अथवा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक परीक्षा करना और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;

(ज) विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से आपेक्षित, कोई सूचना या रिपोर्ट, जो उसके कृत्यों के अनुपालन के लिये आवश्यक हो, मांगा सकना;

(झ) वित्तीय मामला अथवा इसके अतिरिक्त किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय से सूचना या रिपोर्ट मांगना जो उसके कर्तव्यों के अनुपालन के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे जायें;



(त्र) किसी वित्तीय मामले में स्वप्रेरणा से या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर परामर्श देना;

(ट) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बाहरी एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा के संचालन के लिये व्यवस्था करना, और

(ठ) वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करना।

2.09—वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की निधियों का आहरण और वितरण अधिकारी होगा।

2.10—कार्य परिषद की कार्यवाहियों में वित्त अधिकारी भाग लेगा, परन्तु मत नहीं देगा।

2.11—अधिनियम की धारा 32 द्वारा विहित, विश्वविद्यालय के लेखा की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिये वित्त अधिकारी उत्तरदायी होगा।

2.12—वित्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 33 में यथा वर्णित विशेष लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना और राजा सरकार के किन्हीं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

2.13—वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये कि, लेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है और उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है जिनके लिये वे सृजित की गयी थी, कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सृजित विशेष निधियों जैसे पूर्व छात्र निधि, छात्र कल्याण निधि और किसी अन्य विशेष निधि को अनुरक्षित करना;

2.14—अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षा तथा लेखा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न श्रेणी के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा;

2.15—वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय के लेखाओं की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और उन बिलों की अग्र लेखा परीक्षा करेगा जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश के अनुसार अपेक्षित हो।

2.16—वित्त अधिकारी या इस निमित्त कार्य परिषद द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त कोई रसीद विश्वविद्यालय को धनराशि के भुगतान के लिये पर्याप्त उन्मोचन होगा।

2.17—जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति के कारण अवकाश पर हों या किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो वित्त अधिकारी के पद के कर्तव्यों का निष्पादन कुलपति द्वारा इस प्रयोजन हेतु नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.18—अधिनियम और इस विनियमावली के उपबंधों और कुलपति तथा कार्य परिषद के नियंत्रण के अध्याधीन कुल सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों और विश्वविद्यालय के सामान्य मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना। प्रशासनिक, शैक्षणिक, विधिक मामलों या किसी अन्य मामले, जिस पर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या कुलपति इस प्रकार निर्देश दें, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रायित करना।

(ख) जब तक कार्य परिषद द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाये, तब तक विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना। वह विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और आस्तियों के समुचित अनुरक्षण और उन्हें बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 31 के अधीन वर्णित विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

कुल सचिव  
धारा 13 (1) तथा  
30(क)



(घ) कार्यपरिषद और विद्या परिषद, जिसके सचिव के रूप में वह कार्य करता हो, की बैठकों और अधिनियम की धारा 18 (अ) के अधीन कार्यपरिषद द्वारा सृजित अन्य निकायों की बैठकों को भी संचालित करने के लिये नोटिस जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों के कार्यवृत्त को सुरक्षित रखेगा।

(ङ) सभी कार्यालयी पत्राचार विश्वविद्यालय की ओर से संचालित करेगा जैसा कार्यपरिषद और कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों का आदेश कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होना, जिसके लिये वह सम्यक रूप से सशक्त किया जायेगा।

(छ) कुलपति एवं कार्यपरिषद के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना तथा उसके अभिवचनों का सत्यापन करना।

(ज) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के पदों के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया तत्परतापूर्वक और इस विनियमावली तथा उसके नियमों के अनुसार की जा रही है।

(झ) समय-समय पर विश्वविद्यालय सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण विधिक कार्यवाहियों से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/ कुलपति को अवगत कराना और कार्य परिषद के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने को बाधा होगा, जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों।

(ञ) कार्यपरिषद के निर्देशों को कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायित्व होना और कार्य परिषद को उसके अनुपालन की रिपोर्ट देना।

(ट) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालित किये जा रहे हैं और यथास्थिति कार्यपरिषद, कुलपति तथा राज्य सरकार के संज्ञान में उसके किन्हीं विचलनों को लाना।

(ठ) विश्वविद्यालय में रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और कुलपति तथा राज्य सरकार को किन्हीं विचलनों को तत्काल सूचित करना।

(ड) अधिनियम की धारा 25 के अधीन राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी जॉच को सहायित करना और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या दस्तावेज को उपलब्ध कराना।

(ढ) यह सुनिश्चित करना कि धारा 36 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश कार्यपरिषद/ कुलपति के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किये जायें और उनके अनुपालन की सूचना समयबद्ध रीति से राज्य सरकार को दी जायें।

2.19-कुलसचिव से अपेक्षा की जा सकती है कि वह प्रशासनिक प्रकृति के ऐसे अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करे जैसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय- समय पर अपेक्षित हों।

2.20-(1) अधिनियम तथा विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुल सचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा, अर्थात्-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण चाहे वे अध्यापक के रूप में उनके कार्य के सम्बन्ध में अथवा पारिश्रमिक वाले किसी पद को धारण करते हुए अथवा किसी अन्य हैसियत से, जैसे परीक्षक अथवा अन्तरीक्षक;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(घ) लेखा तथा लेखा परीक्षा अनुभाग में अधिकारीगण;

(ङ) परीक्षा अनुभाग के कर्मचारीगण;

(च) उपकुलसचिव और सहायक कुल सचिव पदों पर नियुक्त अधिकारीगण;

(2) विनियम 2.20 के उप विनियम (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी और ऐसे कर्मचारी को जॉच लम्बित होने तक, यदि कोई हो, निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) विनियम 2.20 के उपविनियम (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जॉच न कर ली जाये, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहाँ ऐसी जॉच के पश्चात् उस पर कोई शारित आरोपित करने का प्रस्ताव है वहाँ जब तक प्रस्तावित शारित की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये।

2.21—जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा कुलसचिव अस्वस्थता, अनुपस्थिति के कारण अवकाश पर हों या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कुलसचिव के पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जैसा उक्त प्रयोजन के लिये कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

2.22—परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के व्यवस्थित रूप से व यथा-समय संचालन के लिये उत्तरदायी होगा। वह अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अन्तर्गत परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की घोषणा से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे।

2.23—परीक्षा नियंत्रक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रम तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा और तदनुसार परीक्षा के संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

2.24—परीक्षा नियंत्रक कुलपति के पूर्व अनुमोदन से नये शिक्षा सत्र के दो महीने के अन्दर परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को अधिसूचित करेगा।

2.25—कुलपति के पूर्व अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करेगा और केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति करेगा।

2.26—परीक्षा नियंत्रक को उड़ाका दल और पर्यवेक्षकों को परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

2.27—परीक्षा नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि वह परीक्षाओं का स्वतंत्र, स्वच्छ एवं अबाध रूप से संचालन और परिणामों की शीघ्र घोषणा करे।

2.28—परीक्षा नियंत्रक, सम्बन्धित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की अधिसूचना देगा और विश्वविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक परिणामों को सार्वजनिक करेगा।

2.29—वह परीक्षा से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रभावकारी तरीके से सुनिश्चित कर अनुरक्षित रखेगा और ऐसी प्रणाली के माध्यम से शीघ्र पुनः प्राप्ति समर्थ हो सके।

2.30—परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और परीक्षाओं का संचालन करेगा और सभी अन्य सुनिश्चित प्रबंध करेगा और परीक्षा समिति के अधीक्षण विषयक जिससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

2.31—परीक्षा नियंत्रक छात्रों के बैंक पेपर सहित डाटाबेस अनुरक्षित रखेगा और महाविद्यालयों को सूचित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय, परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित उससे सम्बन्धित नीति का अनुपालन करेंगे।

2.32—परीक्षा नियंत्रक, मानद उपाधियों के सिवाय उपाधि/ उपाधियों को प्रदान किये जाने के लिये अभ्यर्थियों के नाम/ नामों को अप्रसारित करेगा।

2.33—परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अनुमोदन से प्रश्नपत्र तैयार करने वालों, सारणीकारों, संयोजकों, अनुसूचकों, पर्यवेक्षकों, और दूतगामी दलों आदि की नियुक्ति करेगा और परीक्षकों, प्रश्नपत्र, निर्माणकर्ताओं, अनुसूचकों तथा परीक्षा से सम्बन्धित गोपनीय प्रयोजनों के लिये आमंत्रित व्यक्तियों के यात्रा भत्ता और पारिश्रमिक के बिल के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक  
घारा 14 तथा  
30(क)



2.34-परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अधीन निर्देशों के माध्यम से परीक्षक बोर्ड, अनुसीमक बोर्ड और परीक्षा के संदर्भ में गठित समितियों की बैठकों को आहूत करने की सगस्त सूचनाएँ जारी करेगा और ऐसी सगस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा। वह इन समितियों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

2.35-परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं से सम्बन्धित किन्हीं अनाचारों को परीक्षा नियंत्रक और कुलपति के संज्ञान में तत्काल लाया जायेगा और उन्हें सम्यक रूप से व्यवहृत किया जायेगा।

2.36-परीक्षा नियंत्रक परीक्षा प्रभाग के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसके पास इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और विनियम 2.27 में यथाविहित कुलसचिव की समस्त शक्तियाँ होंगी।

2.37-परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय के स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं का सगद्य- समय पर संचालन की समीक्षा करेगा कि सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को इन महाविद्यालयों की परीक्षा प्रणालियों में बनाये रखा जा रहा है।

2.38-विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक शाखा के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों (उदाहरणार्थ- अपर/सुक्त/ उप आदि) के कार्यों का अधीक्षण करेगा और कुलपति के पूर्वानुमोदन से उनके मध्य कार्य आवंटित करायेगा।

### अध्याय - तीन

3.01-उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (छ) के अधीन एतद्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी घोषित किये जाते हैं :-

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों धारा 7(छ), 15(छ), तथा 30(क)

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष।
- (ख) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष।
- (ग) शोध एवं विकास तथा औद्योगिक कन्सलटेंसी का संकायाध्यक्ष।
- (घ) स्नातकोत्तर अध्ययन और शोध का संकायाध्यक्ष।
- (ङ) स्नातक पूर्व अध्ययन और उद्यम का संकायाध्यक्ष।
- (च) संसाधन सृजन और पूर्व छात्र सम्बन्धों का संकायाध्यक्ष।
- (छ) विभागाध्यक्ष।
- (ज) पुस्तकालयाध्यक्ष।
- (झ) विधि अधिकारी।

3.02-संकाय के संकायाध्यक्ष का पद विश्वविद्यालय स्तर पर और साथ ही साथ महाविद्यालय स्तरों पर होगा।

संकाय का संकायाध्यक्ष

3.03-विश्वविद्यालय स्तर अथवा महाविद्यालय स्तर पर संकाय का संकायाध्यक्ष पद के लिये -

(क) संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय या घटक, स्वायत्तशासी, सम्बद्ध महाविद्यालय के संकाय या विश्वविद्यालय, संस्थानों के ऐसे वरिष्ठ आचार्यों के कुलपति की सिफारिशों पर कार्य परिषद द्वारा चक्रानुक्रम में की जायेगी जो 10 वर्ष से अत्युन का अध्यापन अनुभव रखते हों।

(ख) संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये किसी उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्य परिषद किसी अन्य संकायाध्यक्ष को कार्य समनुदेशित करके पद को भर सकता है। चयन की प्रक्रिया, किसी आचार्य के मामले में लागू प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

(ग) संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक अपने निजी कर्तव्यों के अतिरिक्त संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।



(घ) संकाय के संकायाध्यक्ष की पदावधि, जब तक कार्य परिषद द्वारा पहले ही अवधारित न कर दी जाये तीन वर्ष या उसकी सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो, होगी। कोई भी व्यक्ति उस पद, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, को धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात् संकाय का संकायाध्यक्ष बना नहीं रह सकता/सकती है।

3.04-विश्वविद्यालय स्तर पर संकाय के संकायाध्यक्ष पद के लिये, चयन की प्रक्रिया वही होगी, जैसी कि कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विहित किसी आचार्य के मामले में लागू प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चित किया जाये।

3.05-संकाय के संकायाध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे -

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष संकाय बोर्ड के समस्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यह देखेगा कि परिषद के विभिन्न विनिश्चय लागू किये जा रहे हैं।

(ख) वह संकाय की वित्तीय और अन्य आवश्यकताओं को कुलपति के संज्ञान में लाने के लिये उत्तरदायी होगा।

(ग) वह पुरतकाल्यों, प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली और संकाय से सम्बन्धित महाविद्यालयों के विभागों की अन्य आस्तियों के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(घ) वह अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड की अन्य बैठक में उपस्थित होने के लिये और बोलने के लिये अधिकार रखेगा।

(ङ) वह अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन और प्रगति रिपोर्ट को निरन्तर तैयार रखेगा।

(च) वह अध्यापकों के आवंटन और पुनः आवंटन आवश्यकताओं को अनुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में बनाये रखेगा।

(छ) वह अपने संकाय या महाविद्यालय के सम्बन्धित अध्यापकों के कल्याण संबंधी पक्षों को देखेगा।

छात्र कल्याण  
संकायाध्यक्ष

3.06-छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद विश्वविद्यालय स्तर के साथ-साथ कॉलेज स्तर पर भी होगा।

3.07-विश्वविद्यालय स्तर एवं कॉलेज स्तर पर छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष हेतु -

(क) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति चक्रानुक्रम में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ विश्वविद्यालय के संकाय या संघटक, स्थायत्वशासी एवं सम्बद्ध कॉलेजों के आचार्यों के बीच से कुलपति की संस्तुति पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा होगी।

(ख) शिक्षक जो सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष (संकायाध्यक्षों) के रूप में नियुक्त होगा/होंगे, वह निरन्तर शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी।

(ग) संकायाध्यक्ष की पदावधि जब तक कार्य परिषद द्वारा पहले ही अवधारित न कर दिया जाय तीन वर्ष या उसकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो। कोई भी व्यक्ति उस पद, जिसके आधार पर छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, को धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात् संकायाध्यक्ष बना नहीं रह सकता/सकती है।

(घ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त शिक्षक अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

3.08-विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष पद के लिये चयन की प्रक्रिया वही होगी जैसी कि कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा विहित किसी आचार्य के मामले में लागू प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चित किया जाय।

3.09—(क) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष को शिक्षकों का समूह सहयोग देगा, जो कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त शिक्षक के अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(ख) सहायक छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष में से एक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के महिला शिक्षकों के बीच से होगी जो छात्रों के कल्याण की देखभाल करेगी।

3.10—छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) छात्र कल्याण के समस्त पक्षों के लिए जो कि कुलाधिपति, कुलपति, कार्यपरिषद और विश्वविद्यालय अथवा राज्य अथवा राष्ट्रीय निकाय के किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होंगे, के सम्बन्ध में छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(ख) छात्रों के सम्पूर्ण विकास को लक्षित कुछ अतिरिक्त और पाठ्यानुवर्ती घटनाओं तथा क्रियाकलापों में वह समन्वय स्थापित करेगा।

(ग) कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत शासन, छात्रों, पुराछात्र और अन्य प्रदाताओं द्वारा छात्र कल्याण और क्रियाकलापों के लिए प्रदत्त निधियों पर वह सर्वोपरि नियंत्रण रखेगा।

(घ) वह छात्र कल्याण और क्रियाकलापों से सम्बन्धित सभी बैठकों में सम्मिलित होगा अथवा अध्यक्षता करेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन हो।

(ङ) वह आरक्षित वर्गों के अंतर्गत सम्मिलित छात्रों की सहायता हेतु चलाये जा रहे पुस्तकालयों, उपाचार पाठ्यक्रमों इत्यादि के सुचारु रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

(च) वह छात्र कल्याण की योजनाओं को निरंतर तैयार और उन्नत करेगा।

(छ) वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के रैगिंग-रोधी तथा महिला-उत्पीड़न-रोधी योजनाओं और प्रयासों से सम्बन्धित प्रधान समन्वय अधिकारी होगा।

(ज) वह शारीरिक शिक्षा, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 अथवा छात्रों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य सुविधाओं/ कार्यकलापों के अधीक्षण पर सामान्य नियंत्रण रखेगा।

(झ) वह छात्र-कल्याण एवं अन्य क्रियाकलापों से सम्बन्धित अपेक्षित बजट को तैयार करेगा तथा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के वार्षिक बजट में भी वैसे ही समाविष्ट करेगा।

(ञ) जब आवश्यक हो, वह एक छात्र के माता-पिता/ संरक्षकों से, किसी मामले के बारे में उसकी अपेक्षित सहायता हेतु, संपर्क कर सकता है।

(ट) वह छात्रों के अनुशासन से सम्बन्धित ऐसी विशेष अथवा स्थायी समितियों की अध्यक्षता करेगा तथा अनुशासनिक आधार पर किसी छात्र के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में कुलपति को परामर्श देगा।

(ठ) इस विषय में वह, कार्यपरिषद अथवा कुलपति द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का, निर्वहन करेगा।

3.11—शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष का पद विश्वविद्यालय स्तर पर और साथ ही साथ महाविद्यालय स्तर पर होगा।

शोध विकास  
और औद्योगिक  
कन्सलटेंसी का  
संकायाध्यक्ष

3.12—विश्वविद्यालय के संकाय/ महाविद्यालय के शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष पद के लिये—

(क) शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय या घटक, स्वायत्तशासी और सम्बद्ध महाविद्यालय के संकाय के ऐसे आचार्यों के कुलपति की सिफारिशों पर कार्य परिषद द्वारा चक्रानुक्रम में की जायेगी जो 10 वर्ष से अन्यून का अध्यापन अनुभव रखते हों।



(ख) शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष की पदावधि जब तक कार्यपरिषद द्वारा पहले ही अवधारित कर दिया जाय तीन वर्ष या उसके सेवानिवृत्ति तक जो भी पहले हो, होगी। कोई भी व्यक्ति उस पद जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, को धारण करने से प्राविरत हो जाने के पश्चात् शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी का संकायाध्यक्ष बना नहीं रह सकता/सकती है।

(ग) शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक अपने निजी कर्तव्यों के अतिरिक्त शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

3.13-विश्वविद्यालय स्तर पर शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष पद के लिये, चयन की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विहित किसी आचार्य के मामले में लागू प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चित किया जाये।

3.14-शोध विकास और औद्योगिक, कन्सलटेंसी के संकायाध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्य निम्न होंगे :-

(क) शोध विकास और औद्योगिक कन्सलटेंसी विश्वविद्यालय के शोध क्रियाकलापों के प्रायोजक के लिये सभी रूप से समन्वय और उद्योग के साथ सम्पर्क करेगा तथा सभी ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो विश्वविद्यालय और अनुनाद महाविद्यालयों और देश के औद्योगिकी विकास के उपयोग में शोध और औद्योगिक कन्सलटेंसी प्रायोजक के विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद या किसी अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अवधारित होगा।

(ख) वह राज्य सरकार एजेंसी के साथ जॉच कर सम्पर्क करेगा और परियोजनाओं को प्राप्त करेगा और आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा और आपेक्षित कार्य में लगे रहने के लिये पालन करेगा।

(ग) वह शासकीय राष्ट्रीय स्तर प्रयोजन एजेंसी के साथ ठीक उसी तरह सम्पर्क करेगा जैसे गैर शासकीय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और शोध संस्थानों के साथ है। शोध और कन्सलटेंसी के अवसर को चाहना और आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा और आपेक्षित कार्य में लगे रहने के लिये पालन करेगा।

(घ) वह शोध और कन्सलटेंसी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग चाहेगा और जहां कहीं आवश्यक हो शासकीय अनुमोदन प्राप्त करेगा। वह आवश्यक प्रस्तावों को तैयार करेगा और आवश्यक कार्य में लगे रहने के लिये पालन करेगा।

(ङ) वह शोध और कन्सलटेंसी की प्रगति का अनुश्रवण करेगा और समस्त समन्वय का पालन कर उस निर्णयों को देख कार्यान्वित करेगा। वह विश्वविद्यालय के उपयुक्त अधिकारी को आवधिक प्रगति प्रस्तुत करेगा।

(च) वह प्रायोजित अनुसंधान के नये क्षेत्र की खोज करने के लिए अनुसंधान खण्ड संचालित करेगा। वह विभिन्न एजेंसी और निकायों के साथ सम्पर्क करेगा।

(छ) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में किये गये सम्पूर्ण औद्योगिक परामर्श और प्रायोजित अनुसंधान के संग्रह तैयार करने के उत्तरदायी होगा और राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रसारण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ज) वह विश्वविद्यालय स्तर पर सभी प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श के लिए क्षेत्रीय समन्वयक होगा।

विभिन्न महाविद्यालयों में आवश्यक सहायता देना और मार्गदर्शन करना, महाविद्यालय के इस प्रकार के कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहन देना।

(झ) वह इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का अनुश्रवण करेगा और उनकी प्रगति का अनुश्रवण करेगा। विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकाय को रिपोर्ट देगा।



(ज) वह साथ ही विश्वविद्यालय में प्रज्ञात्मक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी पूरे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ट) वह अन्य सभी ऐसे कार्यों का पालन करेगा जैसा कार्य परिषद या कुलपति द्वारा निश्चित किया जाय।

3.15-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष के कार्यालय विश्वविद्यालय स्तर के साथ-साथ महाविद्यालय स्तर पर भी होंगे।

स्नातकोत्तर  
अध्ययन एवं  
अनुसंधान का  
संकायाध्यक्ष

3.16-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए संकायाध्यक्ष के कार्यालय विश्वविद्यालय के विद्यालय/ संकाय पर होंगे।

(क) कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी समिति द्वारा दस वर्ष से अंगूठे शिक्षण अनुभव रखने वाले विश्वविद्यालय के संकाय या सहयुक्त, स्वशासी और सम्बद्ध महाविद्यालयों में से आचार्य के बीच चक्रानुक्रम से स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष नियुक्त होंगे।

(ख) कार्यकारी समिति द्वारा स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष के कार्य की अवधि तीन वर्ष तक निर्धारित होगी या अपने सेवामुक्त तक जो पहले उपार्जित हो। स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष लगातार नहीं बने रहेंगे, समय के बाद वह नैतिकता द्वारा पद के नियन्त्रण से हट जायेंगे, जिससे कि वह संकायाध्यक्ष के कार्यालय नियन्त्रण से आये थे।

(ग) जो भी शिक्षक स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष नियुक्त होंगे वे स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष काम के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

3.17-विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष के कार्यालय के लिए चयन का तरीका कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विहित प्रोफेसरों के मामले में उपयुक्त प्रक्रिया और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

3.18-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय पर स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शैक्षिक अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान के संकायाध्यक्ष पूरे के समन्वयक होंगे और इस प्रकार के सभी कार्यों को पूरा करेंगे जैसा सम्भव निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्यकारी परिषद या दूसरे विनियोजित प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय और विद्यालय पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम का ध्यान रखते हुए कम्पायन और प्रसिद्ध कार्यक्रम बनाना।

(ख) वे अधिवेशनों में उपस्थित होंगे और अधिष्ठान आवश्यक रूप से अध्ययन संस्था और परीक्षा समिति और दूसरे सम्बन्धित निकायों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

(ग) अनुमोदित और प्रचलित कार्यक्रमों का प्रबोधन करना नये अघ्यापकों के लिए प्रस्ताव तैयार करना और इस तरह के दूसरे शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षा परिषद से मंत्रणा करना और विश्वविद्यालय के दूसरे उपयुक्त अधिकार और पूरे समन्वय का पालन करना, फैसले का अवलोकन कर कार्यान्वित करना।

(घ) वे विभिन्न परास्नातक और अनुसंधान कार्यक्रम के प्रवेश प्रक्रिया के लिये योजनायें तैयार करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप सुझाव पर दृष्टि रखेंगे।

(ङ) वे स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए योजनायें तैयार करेंगे।

(च) वे योजना और समीक्षा सैद्धान्तिक परीक्षाओं दोनों पर, परास्नातक के अतिरिक्त अनुसंधान स्तरों में कुलपति के साथ सलाह प्रशिक्षण करेंगे।

(छ) वह विश्वविद्यालय और विद्यालय में पूरे किये गये निष्णात एवं वाचस्पति शोध पत्र के संग्रह को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा पूर्ण किये गये शोध के सम्बन्ध में उपयुक्त संकाय और सोसाइटीज को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशन एवं सूचना प्रसारण हेतु संसूचित करेगा।

(ज) वह शोध पत्र से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को प्रलेखों द्वारा सिद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(झ) वह इस प्रकार के अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति या कुलपति द्वारा निर्धारित हो।

पूर्व स्नातक  
अध्ययन एवं उद्यम  
वृत्ति संकायाध्यक्ष

3.19-पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यमवृत्ति के संकायाध्यक्ष का कार्यालय महाविद्यालय स्तर के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर का भी हो।

3.20-पूर्व स्नातक अध्ययन तथा विश्वविद्यालय के संकाय/ विद्यालय के संकायाध्यक्ष के कार्यालय के लिए :-

(क) कुलाधिपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यमवृत्ति के लिए विश्वविद्यालय या घटक, स्वायत्त तथा सम्बद्ध विद्यालयों के संकाय के आचार्य, जो कम से कम 10 वर्ष से कम का अनुभव न रखते हों, के बीच से चक्रानुक्रम में नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यम वृत्ति के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्षों की होगी, जब तक कि कार्य परिषद द्वारा पूर्वतर निश्चित न हो जाय या वह सेवानिवृत्त न हो जाय, जो भी पहले हो। कोई भी व्यक्ति उस पद से प्रविरत हो जाने के पश्चात् जिसके आधार पर उसने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया है, पूर्व स्नातक अध्ययन या उद्यम वृत्ति के संकायाध्यक्ष के पद पर नहीं बना रहेगा।

(ग) वह अध्यापक, जिसे पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यमवृत्ति के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यमवृत्ति के संकायाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा।

3.21-विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व स्नातक अध्ययन तथा उद्यमवृत्ति के लिए संकायाध्यक्ष पद हेतु चयन की प्रक्रिया कार्य परिषद द्वारा उन मानकों एवं कार्य विधि के अनुसार निर्धारित की जायेगी जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर प्राचार्य के मामले में निर्धारित हो।

3.22-पूर्व स्नातक अध्ययनों और उद्यम वृत्ति के संकायाध्यक्ष के पास निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे :-

(क) पूर्व स्नातक अध्ययन और उद्यमवृत्ति का संकायाध्यक्ष पूर्व स्नातक अध्ययन, पूर्व स्नातक शैक्षिक शोध और विश्वविद्यालय में पूर्व स्नातक स्तर के उद्यमवृत्ति कार्यकलापों की प्रोन्नति का समग्र समन्वयक होगा और इस प्रकार के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस सम्बन्ध में कुलपति, कार्य परिषद, शैक्षिक परिषद या विश्वविद्यालय या विद्यालय किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्नातक कार्यक्रम को एक सनसनीदार एवं प्रतिष्ठित कार्यक्रम बनाने के लिए निर्धारित हो।

(ख) वह बैठक में भाग लेगा और अध्ययन बोर्डों, परीक्षा समिति तथा अन्य सम्बन्धित निकायों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करेगा।

(ग) वह विद्यमान कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगा और नये पूर्व स्नातक तथा शैक्षिक परिषद तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकारी के विचारार्थ इस प्रकार के अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा और निर्णयों का कार्यान्वयन देखने हेतु समग्र अधिष्ठान को कार्यान्वित करेगा।

(घ) वह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पूर्व स्नातक कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया हेतु योजना तैयार करेगा।



(ड) वह निम्न स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में समय-समय पर आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(घ) वह विश्वविद्यालय के निम्न स्नातक स्तर के छात्रों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक एवं पाठ्यानुवर्ती उपलब्धियों का संग्रह तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ङ) वह इस प्रकार के अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित हो।

3.23-संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष विद्यालय स्तर के साथ-साथ विश्वविद्यालय स्तर का भी होगा।

संसाधन सृजन  
एवं भूतपूर्व छात्र  
सम्बन्ध  
संकायाध्यक्ष

3.24-विश्वविद्यालय के संकाय/विद्यालय में संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के पद के लिये-

(क) कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के लिए विश्वविद्यालय या घटक, स्वायत्त तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के संकाय के आचार्य, जो कम से कम 10 वर्ष से कम का अनुभव न रखते हों, के बीच से चक्रानुक्रम में नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्षों की होगी, जब तक कि कार्य परिषद द्वारा पूर्वतर निश्चित न हो जाय या वह सेवानिवृत्त न हो जाय, जो भी पहले हो। कोई भी व्यक्ति उस पद से प्रविरत हो जाने के पश्चात् जिसके आधार पर उसने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया है, संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के पद पर नहीं बना रहेगा।

(ग) वह अध्यापक, जिसे संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा।

3.25-विश्वविद्यालय स्तर पर संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष पद हेतु चयन की प्रक्रिया कार्य परिषद द्वारा उन मानकों एवं कार्यविधि के अनुसार निर्धारित की जायेगी जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर प्राचार्य के मामले में निर्धारित हो।

3.26-अधिनियम के खण्ड-8 (ज) की व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान अथवा धर्मदान प्राप्त करने तथा वसीयतकर्ता, दानकर्ता या स्नानान्तरण से, जैसी स्थिति हो, द्वारा वसीयत, दान या चल अथवा अचल सम्पत्ति प्राप्त करने और इसे बनाये रखने तथा इसको संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के पद का सृजन इनमें से कुछ व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए और भूतपूर्व छात्र सम्बन्धों की देखभाल करने के लिए किया जाता है। संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध के संकायाध्यक्ष के पास निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

(क) संसाधन सृजन एवं भूतपूर्व छात्र सम्बन्ध का संकायाध्यक्ष विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उपहार, अनुदान, दान तथा धर्मदान आदि का समग्र समन्वयक होगा।

(ख) वह संसाधनों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न अभिकरणों एवं दानकर्ताओं के संपर्क में रहेगा और आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा तथा जरूरी अनुवर्ती कार्यों का अनुपालन करेगा।

(ग) वह विभिन्न दानकर्ताओं एवं अभिकरणों के लिए उत्पन्न संसाधनों के उपयोग की रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।

(घ) वह सभी पदाभिहित एवं अपदाभिहित अनुदानों के उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा तथा प्रगति का अनुवीक्षण करेगा।



(ड) वह आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा और जहाँ कहीं भी लागू हो, दान कर्ताओं के आयकर के लाभों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु प्रस्ताव तैयार करेगा।

(च) वह विश्वभर में विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र तंत्र को संगठित एवं समन्वित करेगा तथा उनके बीच विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार करेगा और विश्वविद्यालय की अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि के विकास एवं प्रगति हेतु भूतपूर्व छात्रों से प्रतिसंभरण प्राप्त करेगा।

(छ) वह विश्वविद्यालय की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूतपूर्व छात्रों द्वारा निधि वसूल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ज) वह इस सम्बन्ध में हस्ताक्षरित सद्भावना ज्ञापन का अनुवीक्षण करेगा तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के सक्षम निकाय को रिपोर्ट देगा।

(झ) वह इस प्रकार के अन्य सभी कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि इस सम्बन्ध में कार्य परिषद या कुलपति द्वारा निर्धारित हो।

विभागाध्यक्ष

3.27-विभागाध्यक्ष साधारणतया विभाग के आचार्य तथा उपाचार्य के बीच से वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में और व्यक्ति की रजामन्दी से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा, जब तक कि विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद द्वारा अन्यथा न निर्दिष्ट हो। कोई भी व्यक्ति उस पद से प्रविरत हो जाने के पश्चात् जिसके आधार पर उसने अध्यक्ष का पद धारण किया है, अध्यक्ष के पद पर बना नहीं रहेगा।

3.28-शैक्षिक विभागों में विभिन्न अनुमोदित एवं उसमें संचालित हो रहे कार्यक्रमों के आधार पर अध्यापन तथा शोध कार्यकलापों को संगठित करने का अधिकार वहाँ के विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों को होगा।

3.29-प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जो -

(क) विभाग को शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करेगा और संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान प्रदान करेगा और विभाग के शैक्षणिक कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए शैक्षणिक और अन्य कार्यकलापों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा;

(ख) अध्यापन एवं व्यावहारिक अनुसूची तैयार करेगा और अध्यापकों को कक्षाएं एवं प्रयोगशालाएं नियत करेगा और अध्यापन तथा शोध के लिए आवश्यक उपभोग्य एवं गैर उपभोग्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करेगा।

(ग) उद्योग अथवा शोध संगठनों में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था करेगा;

(घ) अध्यापन एवं शोध से सम्बन्धित छात्रों तथा संकाय सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान देगा;

(ड) विभाग से सम्बन्धित किन्हीं कार्यकलापों के लिए विभागीय स्तर की समितियाँ गठित करने के लिए सशक्त होगा;

(च) महाविद्यालय स्तर पर समितियों के लिए संकाय एवं छात्रों का नाम निर्देशन भेजेगा;

(छ) विद्यमान उपबन्धों के अनुसार कर्मचारिवृन्द एवं संकाय की भर्ती में महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक की सहायता करेगा ;

(ज) किसी वांछित मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य/ निदेशक की सहायता करेगा;

(झ) विभाग की उपलब्धियों का निधान तैयार करेगा;

(ञ) विभाग में कार्यरत समस्त अध्यापकों और कर्मचारिवृन्द के लिए अनुशासनिक अधिकारी होगा;

(ट) विभाग के लिए प्रावधानित निधि पर पूर्ण नियन्त्रण रखेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उक्त निधि का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ठ) ऐसी समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसमें सम्मिलित होगा जो विभागीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित है और इस बात पर ध्यान देगा कि समस्त विनिश्चय प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाएं।

3.30-विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक/ अध्यापिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक अध्यापक/ अध्यापिका के रूप में करता रहेगा/ करती रहेगी।

3.31-(1) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के पूर्वानुमोदन से एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति पर कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

1. कुलपति
2. पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जिनका नाम निर्देशन कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा;
3. दो प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी से एक प्रतिनिधि का नाम निर्देशन कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(2) जब तक उपविनियम (1) के अधीन पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाय या वह अपना पदभार ग्रहण न कर लें, कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

3.32-पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हताएं वही होंगी जो कार्य परिषद द्वारा विहित की जायें।

3.33-पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलक्षितियां वही होंगी जो कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित की जायें।

3.34-पुस्तकालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह पुस्तकालय का रखरखाव करे और उसकी सेवा को ऐसी शैली से व्यवस्थित करे जो अध्यापन और शोध के हित में अत्यधिक साधक हो।

3.35-पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

3.36-विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित कार्य के लिए एक विधि अधिकारी विधिक प्रकोष्ठ का सृजन करेगा:-

(क) विश्वविद्यालय के विरुद्ध और उसके द्वारा दायर समस्त मामलों का निरन्तरण करने के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधिक मामलों पर विभिन्न न्यायालयों के मामलों एवं निर्णयों और विभिन्न सरकारी निकायों की घोषणाओं के आधार पर विश्वविद्यालय को परामर्श देने के लिए;

(ग) अधिनियम और इस विनियमावली के निर्वाचन से सम्बन्धित मामले पर राय प्रदान करना;

(घ) विनियमावली और अध्यादेश आदि बनाने में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए।

3.37-विश्वविद्यालय राज्य सरकार में सृजित किसी पद के पूर्वानुमोदन के साथ उप कुलसचिव की श्रेणी में एक पूर्णकालिक विधि अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा। विधि अधिकारी की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा गठित की जाने वाली चयन समिति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा अवधारित निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार कुलपति द्वारा की जाएगी।

3.38-विधि अधिकारी कुल सचिव के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा।

3.39-विधि अधिकारी की अर्हताएं और अनुभव वही होंगे जैसा कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाए।

3.40-विधि अधिकारी के व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय के निधि से की जाएगी।



## अध्याय - चार

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और निकाय

कार्यपरिषद्,  
धारा 16(क), धारा  
17 और 18

4.01-अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित कार्यपरिषद् के सदस्यों की पदावधि इस रूप में नाम निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

4.02-कोई भी व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्यपरिषद् का सदस्य न बन सकेगा अथवा न उस रूप में बना रहेगा और जब भी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य बन जाए, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर उस हैसियत का चयन करेगा जिसमें वह कार्यपरिषद् का सदस्य बनने का इच्छुक हो और वह अन्य सीट को खाली कर देगा। जहाँ वह इस प्रकार चयन नहीं करता है वहाँ उसके द्वारा पूर्व समय में धृत सीट दो सप्ताह की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के दिनांक से खाली हुई समझी जाएगी।

4.03-कुलपति सहित कार्यपरिषद् के नौ सदस्यों से कार्यपरिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

4.04-किसी संस्थान या विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के निदेशक/ प्रचार्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् के स्थायी आमंत्रित होंगे।

4.05-कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय में सृजित पदों के लिए नियुक्ति की अर्हताएं और शर्तें विहित करेगी।

4.06-कार्यपरिषद् विद्या परिषद् के परामर्श पर विचार करते हुए अध्यापकों की योग्यताओं और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को देय शुल्क का निर्धारण करेगी।

4.07-कार्यपरिषद् के सदस्य बैठक में भाग लेने पर ऐसे यात्रा व अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे जैसा कार्यपरिषद् द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए।

4.08-परिषद् जब भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय में अन्तर्ग्रहण में वृद्धि और/या सम्बद्धता के लिए इच्छुक आवेदन करने वाले कालेजों और संस्थाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षक या निरीक्षक मण्डल की नियुक्ति करेगी।

4.09-(क) परिषद् वित्तीय संसाधन उत्पादन के तरीकों, जिसके अन्तर्गत अनुदान, दान, बचत आदि भी हैं, का अनुमोदन करेगी।

(ख) परिषद् विश्वविद्यालय में उपलब्ध बचतों/ आरक्षित निधियों/ अतिशेषों (संग्रहों) के उपयोग और निवेश के तरीके विहित और अनुमोदित करेगी।

4.10-परिषद् विश्वविद्यालय के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिनका अधिनियम, विनियमावली और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो।

विद्या परिषद्  
धारा 16(ख) और  
धारा 19

4.11-विद्या परिषद् कार्य परिषद् द्वारा स्वयं को निर्दिष्ट अथवा सौंपे गए किसी मामले पर आख्या प्रस्तुत करेगी।

4.12-अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(क) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन एवं समापन तथा उससे सम्बद्ध परिलब्धियों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में परामर्श देना।

(ख) किसी संकाय के समापन, पुर्नगठन या विभाजन या एक या उससे अधिक संकायों के समामेलन की उपयुक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव विनिर्मित करना उपांतरित करना, पुनरीक्षित करना और कार्यपरिषद् के समक्ष आख्या प्रस्तुत करना।

(ग) अनुसंधान का संवर्धन करना और इस सम्बन्ध में संकायों/ महाविद्यालयों/ अध्यापकों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।

(घ) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा और उपाधियों को मान्यता प्रदान करना।



(ड) छात्राओं और समाज के निर्बल वर्ग के छात्रों के अध्यापन के लिए विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करना।

(घ) महाविद्यालयों, विभागों और संस्थानों की स्थापना के लिए परामर्श प्रदान करना।

(छ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में अध्यादेशों के लिए कार्यपरिषद् को संस्तुति प्रदान करना।

(ज) शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना।

(झ) उपाधियों, प्रमाण पत्र, पदवियों और सम्मान प्रदान या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को संस्तुति प्रदान करना।

(ञ) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संकायों के माध्यम से अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी संस्तुतियों प्रदान करना और उन्हें कार्य परिषद् के अनुमोदन से प्रकाशित करना।

(ट) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करना।

(ठ) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और नाम निर्देशन के लिए अर्हताएँ विहित करना।

(ड) कार्यपरिषद् द्वारा की गई संस्तुतियों को कार्यान्वित करना।

(ढ) पाठ्यक्रम की पुनः संरचना के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करना और पाठ्यक्रम को अध्यापन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ण) विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापन के लिए उद्योग से व्यक्ति (व्यक्तियों) की नियुक्ति करना और विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक (अध्यापकों) का शिक्षा के हित में ऐसी नियुक्तियों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उद्योगों में सेवा करने की अनुमति प्रदान करना।

(त) शैक्षिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे सगस्त कर्तव्यों और ऐसे सगस्त कार्यों का सम्पादन करना जो अधिनियम तथा विनियमावली के उपबंधों के अनुपालन द्वारा उनके उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

4.13-विद्या परिषद् की बैठकों का आयोजन कुलपति के निदेशों के अधीन किया जाएगा।

4.14-कुल सचिव विद्या परिषद् के पदेन सचिव के रूप में कार्य करेगा। कुलसचिव की अनुपस्थिति में उपकुलसचिव (शिक्षा) इन कृत्यों का सम्पादन करेगा।

4.15-विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और अन्तिम प्राक्कलन पर वित्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्त समिति  
धारा 16(ग) और  
धारा 20(3), धारा  
12(7), धारा  
30(क)

4.16-विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट को अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उसे अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4.17-यदि कार्यपरिषद् किसी भी समय वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् उस पर ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखती हो जिसमें रकम के आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय अन्तर्बलित हों, तो उसे वित्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।

4.18-वित्तीय प्राक्कलन में पहले से सम्मिलित न किए गए नये व्यय के मद को वित्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।

4.19-वित्त समिति लेखा की परीक्षा करने और व्यय हेतु प्रस्ताव की संवीक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार बैठक करेगी।

4.20-पदेन सदस्यों से भिन्न वित्त समिति के सदस्य उक्त समिति का सदस्य बनने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

4.21—वित्त समिति की बैठक कुलपति के निदेशों के अधीन आयोजित की जाएगी और ऐसी बैठकों के कार्यक्रम के लिए समस्त नोटिसों वित्त अधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी जो ऐसी समस्त बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा। वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

4.22—वित्त समिति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की धारा 8 के खण्ड (छ) और (ट) में उपबंधित वित्तीय मामलों के परीक्षण, प्रबंधन और उन पर विनिश्चय करने के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी होगी।

4.23—विनियम 4.22 के अधीन कार्य के प्रयोजनार्थ कार्यपरिषद् एक विश्वविद्यालय निधि स्थापित करेगी जिसमें विश्वविद्यालय की निधियों के समस्त प्रोद्भव विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा और उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुरक्षित रखा जाएगा।

4.24—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्य होंगे :—

वित्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि—

(एक) विश्वविद्यालय निधि का व्यय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

(दो) विश्वविद्यालय निधि पर प्रथम प्रभार विश्वविद्यालय के कृत्यकारियों, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संस्थान और विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय भी हैं, के वेतन के निमित्त होगा।

(तीन) विश्वविद्यालय निधि का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :—

(क) कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/मैहंगाई भत्ता और कार्मिक सम्बन्धी अन्य भुगतानों के लिए, यथा विश्वविद्यालय कर्मचारिवृन्द, विश्वविद्यालय संस्थानों, घटक महाविद्यालयों के कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि।

(ख) विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना और उनका आवर्धन करने के लिए।

(ग) विश्वविद्यालय में शैक्षिक मानकों, जैसा कि कार्यपरिषद् द्वारा नियत किया गया है, के विकास के लिए कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ;

(घ) विश्वविद्यालय के संस्थानों की स्थापना के लिए;

(ङ) घटक महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के आवर्धन के लिए;

(च) शिक्षा से सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के आवर्धन के लिए;

(छ) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा यथा अवधारित शोध तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ;

(ज) सावधि जमा या निवेश रकम में ऐसी अधिशेष निधि के निवेश के लिए जो वित्त समिति की संस्तुतियों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित हो;

(झ) विश्वविद्यालय के संसाधनों के विकास के प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय के लिए अधिशेष निधि के वार्षिक अभिदान से विश्वविद्यालय हेतु संग्रह निधि के सृजन के लिए।

4.25—विनियम 4.24 के खण्ड (दो) और खण्ड (तीन) के उपखण्ड (क) के प्रयोजनों के सिवाय, विनियम 4.22 के खण्ड (तीन) के अधीन आच्छादित समस्त अन्य व्ययों की पूर्ति कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जाएगी।

4.26—किन्तु कार्यपरिषद् विशेष प्रयोजनों, अर्थात् पूर्व छात्र अभिदान; उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा, छात्र कल्याण निधि आदि के लिए पृथक खाते रखेगी जिसे उक्त प्रयोजन के लिए विशेष निधि के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। वित्त समिति धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी निधि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी:—



(एक) उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा के कारण प्रोद्भूत निधियों का उपयोग स्वयं उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(दो) इस निधि में उत्पादित किसी अधिशेष का उपयोग राज्य सरकार की पूर्व संस्तुति से सरकारी सेक्टर में विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं और शैक्षिक विकास के लिए तथा स्वयं विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

(तीन) उपर्युक्त विनियम 4.26 के अधीन यथा अधिसूचित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य विशेष निधि से की जाने वाली प्रतिपूर्ति कार्य परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

4.27-परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

परीक्षा समिति  
धारा 16(घ) व  
धारा 21

(क) कुलपति, जो परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) विश्वविद्यालय संकाय/घटक संस्थानों के दो आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामित हों।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय (महाविद्यालयों) के दो आचार्य जो कुलपति द्वारा नियुक्त होंगे।

(घ) लब्ध प्रतिष्ठ दो व्यक्ति और जो विश्वविद्यालय से नहीं होंगे किन्तु कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(ङ) परीक्षा नियंत्रक- पदेन सचिव।

4.28-परीक्षा समिति समय-समय पर कुलपति द्वारा आहूत किए जाने पर बैठक करेगी।

4.29-कुलपति परीक्षा समिति में किसी ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे। विश्वविद्यालय का कुलसचिव परीक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित होगा।

4.30-परीक्षा समिति उपाधियों, सम्मान और पदवियों प्रदान या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विद्या परिषद् को संस्तुति प्रदान करेगी।

4.31-परीक्षाओं के अबाध संचालन के लिए, सम्बद्ध महाविद्यालयों की समस्त सम्पत्तियों और उनके कर्मचारियों को परीक्षा समिति के प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन समझा जाएगा और उनका उपयोग परीक्षाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।

4.32-परीक्षा समिति ऐसे प्रयोजन के लिए गठित उप समिति की संस्तुति पर किसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में बैठने से बहिष्कृत कर सकेगी, यदि उक्त समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में कदाचार अथवा अनुचित साधन का प्रयोग करने का दोषी पाया गया हो।

4.33-परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति के निर्देश के अनुसार आयोजित की जाएंगी और ऐसी बैठकों से सम्बन्धित समस्त नोटिस परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्गत की जाएंगी जो ऐसी समस्त बैठकों के कार्यवृत्त को रखेगा। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा।

4.34-परीक्षा समिति परीक्षाएँ सम्पन्न करने के लिए ऐसी रीति से नीति निर्धारित करेगी कि छात्र पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्वान्तिम वर्ष के आगे बैक लॉग प्रश्नपत्र द्वारा बोझिल न हो।

## अध्याय - पाँच

### विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारीगण

इस अध्याय में उल्लिखित प्राधिकारीगण को विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारीगण के रूप में घोषित किया जाएगा।

5.01-प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र और शाखाओं के अनुसार, जैसा कि सम्बन्धित अधिनियम की धारा 2(छ) में वर्णित है, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे:-

क-संकाय  
धारा 16(ड)  
धारा 22

(क) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय।

(ख) वास्तुशास्त्र योजना एवं भौतिक विकास संकाय।

- (ग) भेषजी संकाय
- (घ) प्रबंध संकाय
- (ङ) कम्प्यूटर एप्लीकेशन संकाय
- (च) कला तथा दृश्य संचार संकाय
- (छ) व्यावहारिक विज्ञान संकाय
- (ज) अध्यापन संकाय

5.02—प्रत्येक संकाय के लिए संकाय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:—

- (क) संकायाध्यक्ष, जो संकाय बोर्ड का अध्यक्ष होगा
- (ख) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड का, संकाय से सम्बंधित, अध्यक्ष/ संयोजक, संकाय बोर्ड के सदस्य के रूप में।

(ग) विश्वविद्यालय संस्थानों/घटक महाविद्यालयों/सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों से प्रत्येक अध्ययन बोर्ड से उसके अध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य या एक प्राध्यापक जो कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, परन्तु यह कि एक से अनाधिक एक ही महाविद्यालय से एक ही विषय से सम्बंधित नहीं होगा।

(घ) प्रतिष्ठित संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग से तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, जिनकी संकाय से सम्बद्ध अध्ययन क्षेत्र में विशेषज्ञता हो, जो विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों और जो कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

5.03—(क) पदेन सदस्यों से भिन्न संकाय बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और जब भी वह उस पद को धारण करने से विरत हो जाता है जिसके आधार पर वह बोर्ड में आया हो तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा।

(ख) संकाय बोर्ड की बैठकें उसके अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन आयोजित की जाएंगी।

5.04—इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(क) अपने प्रभाव क्षेत्र के अधीन सम्बंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अध्यादेशों, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम से सम्बंधित प्रस्तावों पर विचार करना और यदि आवश्यक हुआ तो उपांतरों के पश्चात् अनुमोदन के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना।

(ख) सम्बंधित अध्ययन बोर्ड के सम्बन्ध में और अनुसंधान कार्यों के सम्बन्ध में विद्या परिषद् से सिफारिश करना।

(ग) विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी ऐसे प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत हों और विद्या परिषद् द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए किसी मामले पर विचार करना और उसके सम्बन्ध में विद्या परिषद् से सिफारिश करना।

ख-अध्ययन बोर्ड  
धारा 16(ङ),  
धारा 22

5.05—विश्वविद्यालय के पास संकाय बोर्ड के अतिरिक्त उपाधि कार्यक्रमों वाले प्रत्येक विषय के लिए अध्ययन बोर्ड और घटक संकाय होगा।

5.06—अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय बोर्ड का एक अध्ययन बोर्ड होगा।

5.07—अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय बोर्ड के निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड होंगे:—

- (क) सिविल अभियान्त्रिकी अध्ययन बोर्ड।
- (ख) रसायन अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन बोर्ड।



- (ग) कम्प्यूटर विज्ञान तथा अभियान्त्रिकी प्रौद्योगिकी अध्ययन बोर्ड।
- (घ) विद्युत अभियान्त्रिकी अध्ययन बोर्ड।
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिक्स अभियान्त्रिकी अध्ययन बोर्ड।
- (च) यांत्रिक अभियान्त्रिकी अध्ययन बोर्ड।
- (छ) टेक्स्टाइल एण्ड कार्पेट टेक्नालॉजी अध्ययन बोर्ड।
- (ज) व्यावहारिक विज्ञान तथा मानविकी अध्ययन बोर्ड।
- (झ) अन्य तकनीकी शाखाओं का अध्ययन बोर्ड।
- (ञ) प्रबन्धन शास्त्र का अध्ययन बोर्ड।

5.08—अध्ययन बोर्ड निम्नवत् गठित किया जायेगा :-

(एक) कुलपति द्वारा इस विषय के अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे ज्येष्ठ अध्यापक को नियुक्त किया जायेगा, जो प्राध्यापक से निम्न श्रेणी का न हो।

(दो) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालयों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों से पाँच ऐसे ज्येष्ठ अध्यापकों को प्राध्यापक, उपाचार्य / सहायक प्राध्यापक और व्याख्याता के लिए नामित किया जायेगा, जो कम से कम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते हों, किन्तु प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम एक व्यक्ति होगा और दो अध्यापक एक ही महाविद्यालय के नहीं होंगे।

(तीन) कुलपति द्वारा इस विषय का कुशल ज्ञान रखने वाले तीन ऐसे व्यक्तियों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, शोध संगठनों और उद्योग के लिए नामित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों।

5.09—अध्ययन बोर्ड सम्बन्धित विषयों में पाठ्यक्रम के बारे में संकाय बोर्ड की सहायता करेगा।

5.10—अध्ययन बोर्ड परीक्षा समिति के लिए परीक्षकों की सूची प्रस्तुत करेगा।

5.11—(क) अध्ययन बोर्ड के सदस्य तीन वर्षों तक कार्यालय को नियंत्रण में रखेंगे।

(ख) अध्ययन बोर्ड की बैठक इसके अध्यक्ष / अध्ययन बोर्ड के आयोजक अथवा कुलपति के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी।

अध्याय—छः

सम्बद्धता

8.01—(क) सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन इस प्रकार किया जायेगा कि वह शैक्षणिक सत्र जिसके विषय में मान्यता अपेक्षित है, के प्रारंभ होने के कम से कम छः माह के पूर्व विश्वविद्यालय पहुँच जाये :

किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्यपरिषद् उच्च तकनीकी शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक जितना कि आवश्यक समझे, घटा सकती है।

(ख) एक महाविद्यालय की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सहगति पत्र सहित विश्वविद्यालय के नाम 500 रु० या अधिक जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो, का अप्रतिदेय ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा।

(ग) कार्यकारी परिषद् के समक्ष मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कुलपति को निम्नलिखित के बारे में सन्तुष्ट होना होगा :-

(एक) कि संस्था उस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की मांग को पूरा करती है।

(दो) कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रचलित मानकों के अनुसार प्रबन्धन कार्यों में निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं -

(1) उपयुक्त व पर्याप्त भवन एवं आच्छादित क्षेत्र।

नये  
महाविद्यालयों की  
सम्बद्धता  
धारा 23 एवं 30

- (2) यथायोग्य पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपकरण तथा प्रयोगशाला सुविधायें।
- (3) शिक्षा के उद्देश्यों के लिए निश्चायक भूमि का संलग्न विनिर्दिष्ट क्षेत्र।
- (4) छात्रों के स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए सुविधायें।
- (5) महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिए निधि।

6.02—यदि कुलपति खण्ड 'ख' और 'ग' जैसा कि ऊपर वर्णित है, से संतुष्ट हों तो वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों का एक पैनल नियुक्त करेंगे और सभी सम्बन्धित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए प्रबन्धन को 50,000/- अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित धनराशि निरीक्षण शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

6.03—सामान्यतः सभी निरीक्षण मान्यता के लिए आवेदन प्राप्ति के तीन माह के अन्दर पूर्ण किये जायेंगे। आवेदनों के स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की प्रक्रिया सामान्यतः वर्ष जिसमें कि कक्षाएँ आरंभ करना प्रस्तावित हैं, के 30 अप्रैल के पूर्व ही पूर्ण हो जानी चाहिये।

6.04—महाविद्यालय की सम्बद्धता की सिफारिश के लिए कार्यकारी परिषद् एक कमेटी गठित करेगी जिसका नेतृत्व कुलपति द्वारा किया जायेगा तथा जिसमें कम से कम एक निदेशक/स्वायत्ताशासी महाविद्यालय का एक प्राचार्य और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि चक्रानुक्रम में सम्मिलित होगा। कुलपति विश्वविद्यालय के दो अन्य चरिष्ठ संकाय-अध्यक्षों को इस समिति में नामित करेंगे।

6.05—अधिनियम की धारा 23(2) की आवश्यकतानुसार सम्बद्ध समिति की सिफारिशें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी।

6.06—राज्य सरकार की सहमति पर विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद् सम्बद्धता का विशेषाधिकार/सम्बद्धता के विशेषाधिकार में वृद्धि का अधिकार देगा। कार्यकारी परिषद् द्वारा कोई भी सम्बद्धता तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अखिल भारतीय परिषद् के मानकों के अनुसार सन्तुष्ट नहीं हो जाता है।

6.07—विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के साथ यथास्थिति उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन पद्धति के मानदण्डों के आधार पर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान कर सकता है।

6.08—जहाँ महाविद्यालय को नियत शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है, महाविद्यालय उसे तब तक स्वीकार अथवा पंजीकृत नहीं करेगा, जब तक कुलपति उचित निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र न दे दे।

6.09—सभी महाविद्यालयों के लिए (अनन्य रूप से राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय के अतिरिक्त) प्रबन्धन संदान निधि के तौर पर विश्वविद्यालय को समय-समय पर निश्चित मानकों के अनुसार धनराशि जमा करेगा। संदान निधि की प्रचलित धनराशि परिशिष्ट 'क' में अनुबद्ध है। यह निधि उतने समय तक जब तक महाविद्यालय विद्यमान रहता है, हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6.10—नए पाठ्यक्रमों अथवा विद्यमान पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों के लिए महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु प्रत्येक आवेदन खण्ड 7.06(2) में नए तरीके से उल्लिखित शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जायेगा जिससे कि वह पूर्वगांगी शैक्षिक सत्र के 31 दिसम्बर के पूर्व विश्वविद्यालय पहुँच जाय।

6.11—नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कुलसचिव द्वारा 'सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण की गई हैं' इस आशय का एक लिखित प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाता है।

6.12—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एवं अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा।



6.13-प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्कर्तों तथा उपस्कर्तों के साथ अपने मन्त्री, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसकी अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करावेगा।

6.14-प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को इस तरह की योग्यता रखने वाले अपने कर्मचारी तथा अध्यापक होंगे, जिनको इस श्रेणी का वेतन दिया जायेगा और अध्यादेश में समय-समय पर निर्धारित एवं उसके सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की शर्तों से शासित होंगे :

किन्तु वेतन की श्रेणी तथा योग्यता से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं किये जायेंगे।

6.15-जब किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का पद रिक्त होता है तो प्रबन्धतंत्र किसी भी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतः हो, प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की सम्पत्ति तक अथवा पूर्व में ही कोई नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का कोई प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/ संस्थानों के प्राचार्य/ निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/ निदेशक नहीं नियुक्त हो जाता है।

6.16-(क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण करेगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की दिवस्वी उस रूप में जैसे कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो, उपस्कृत करेगा।

(ख) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारम्भ पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा।

6.17- (क) जहाँ कार्य परिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, वहाँ महाविद्यालय ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ संसुचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है।

(ख) जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद् के समामान्यतः कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ यह प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरांत ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में ठिकल रहने पर कार्यकारी परिषद् विनियम 7.28 के अधीन उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

6.18-महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के कर्मचारी के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनाएँ उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसुचित कर दी जायेंगी।

6.19-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।

6.20-कार्यकारी परिषद् सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष के प्रवेश को एक संख्या तक, जो वह किसी भी शैक्षिक वर्ष में महाविद्यालय द्वारा की गई गलतियों के लिए शासित के तौर पर सम्झता है, घटा सकता है अथवा महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी दमिस्त किया जा सकता है।

6.21-सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

सम्बद्धता का  
अनुपालन वर्ष 20  
(अ) एवं 20 (द)

6.22—यदि कोई महाविद्यालय लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी।

6.23—कार्यपरिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निदेशित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद् की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारंभ करने के लिए निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्यपरिषद् के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तो कार्यपरिषद् की पूर्व अनुमति से कक्षाएँ पुनः प्रारंभ की जा सकती हैं।

6.24—यदि कोई महाविद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की अवहेलना करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्यपरिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए मान्यता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद् के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी न कर ली जायें।

6.25—(क) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद् के निदेशों का पालन करने या मान्यता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है अथवा भारी कुप्रबन्ध के कारण से कार्यपरिषद् की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को किसी विषय की उपाधि के लिए मान्यता के विशेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है।

(ख) यदि स्टाफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अर्थात्तर्गत मान्यता वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.26—कार्य परिषद् पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व किसी विद्यालय से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान्यता आदि की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

6.27—यदि एक सम्बद्ध महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों की असम्बद्धता या समापन चाहता है तो वह मामले के गुणदोष के परीक्षणोपरान्त विशेष रूप से अन्तर्ग्रस्त छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकता है जो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करेगा और कार्य परिषद् के निर्णय के माध्यम से पाठ्यक्रमों की समाप्ति के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

6.28—जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से सम्बन्धित कोई विवाद होता है तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि विद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः उनके कब्जे और नियंत्रण में है, अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे विद्यालयों का जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धतंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है:

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अंतर्गत कोई आदेश जारी करने के पहले कुलपति परस्पर विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।

6.29—(क) स्वायत्त महाविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र विश्वविद्यालय को निम्नलिखित का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा—

(एक) किसी विषय में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित संस्थान को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम से प्रस्तावित विभिन्नताएँ जो कि विश्वविद्यालय द्वारा न उपलब्ध कराई गई हों और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एक पाठ्यक्रम का विकल्प हों।

एक स्वायत्त  
महाविद्यालय का  
विशेषाधिकार देने  
की नीति:  
घासा 26 (क)



(दो) नीति, जिसमें महाविद्यालय इस प्रकार के विभिन्न पाठ्यक्रमों में परीक्षाएँ आयोजित करने का प्रस्ताव रखता है।

(तीन) इसके वित्तीय साधन तथा परिसम्पत्तियाँ, इसके शिक्षक कर्मचारियों की शक्ति तथा योग्यता, यदि कोई शोध कार्य पहले से किया गया है, उसके लिए उपलब्ध संकाय का विवरण।

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों का समाधान नहीं कर देता है :—

(एक) इसमें अच्छी तरह से स्थापित अध्यायन विभाग हो ताकि यह परास्नातक स्तर तक अनुदेश देने में सक्षम हो।

(दो) इसमें पर्याप्त तथा सुयोग्य अध्यापक कर्मचारी हों या उनके रखने की संभाव्यता हो।

(तीन) प्राचार्य या निदेशक एक अध्यापक अथवा उत्कृष्ट गुण रखने वाला विद्वान हो तथा प्रशासनिक अनुभव रखता हो।

(चार) इसमें अध्यापन व शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तथा पुस्तकालय, कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था के लिए यथेष्ट व सन्तोषजनक भवन हो तथा भविष्य में विस्तार के लिए भूमि हो।

(पाँच) इसमें एक अच्छा पुस्तकालय हो अथवा इसके नियमित विकास के लिए व्यवस्था या उसकी संभाव्यता हो।

(छः) इसमें पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए अच्छी तरह से उपस्कृत प्रयोगशालाएँ, यदि आवश्यक हो, विद्यमान हों और नये अगिकरण एवं प्रतिस्थापन के लिए यथेष्ट व्यवस्था अथवा उसकी संभाव्यता हो।

(सात) एक स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति को प्राप्त कर लेने पर महाविद्यालय में अन्तर्निहित अतिरिक्त खर्च की पूर्ति हेतु प्रबन्धतन्त्र के पास यथेष्ट साधन हो।

(ग) उपखण्ड (क) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ विश्वविद्यालय के नाम 5000.00 रु० का बैंक ड्राफ्ट जो कि अप्रतिदेय होगा, संलग्न किया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय आगे संस्थान के निरीक्षण पर विचार करता है, तो रु० 50,000.00 (अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित रूप से अधिसूचित कोई धनराशि) निरीक्षण शुल्क के रूप में देय होगा।

(घ) (एक) खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर शैक्षिक स्वायत्तता के लिए स्थायी समिति, जो कुलपति द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा हेतु गठित स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा। इस समिति के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध अकादमी सदस्य आयेंगे और उसके विशेषज्ञों में कम से कम दो विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे। सम्बन्धित अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति, यदि आवश्यक हो तो संवीक्षा के अधीन, शैक्षिक स्वायत्तता की समिति को सलाह दे सकती है।

(दो) यदि समिति की रिपोर्ट अनुकूल होती है तो महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिये और सम्बन्धित अध्ययन के पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों में शैक्षिक स्वायत्तता दिये जाने हेतु इसकी उपयुक्तता पर रिपोर्ट देने के लिये कार्यकारी परिषद विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त करेगी (जो पाँच सदस्यों से अधिक न हो)।

(ड) विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट पर विद्या परिषद द्वारा विचार किया जायेगा और कार्यकारी परिषद के समक्ष अपने विचारों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) (एक) उपखण्ड (ड) में विनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश तथा विद्या परिषद के मत पर विचारोपरान्त यदि कार्यकारी परिषद की यह राय होती है कि महाविद्यालय खण्ड-26 'क' में उल्लिखित विशेषाधिकार का हकदार है तो यह अपने प्रस्ताव को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(दो) कुलाधिपति खण्ड-च (एक) के अधीन प्रस्ताव तथा दूसरे सम्बन्धित कागजों की प्राप्ति पर और इस प्रकार की किसी पूछताछ अथवा दक्ष राय के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझता है, प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

(छ) उपखण्ड (घ) के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर कुलाधिपति के अनुमोदन के उपरान्त, कार्यकारी परिषद, महाविद्यालय को एक स्वायत्त महाविद्यालय घोषित कर देगा तथा उन मामलों, जिसके सम्बन्ध में और क्षेत्र विस्तार जहाँ तक महाविद्यालय एक स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(ज) एक स्वायत्त महाविद्यालय खण्ड 26 'क' की व्यवस्था के अधीन हकदार होगा -

(एक) इसके विशेषाधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों के पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए;

(दो) इस प्रकार के विषयों में आन्तरिक/ बाह्य रूप से नियुक्त करने हेतु योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए;

(तीन) परीक्षा का आयोजन करने एवं परीक्षा की प्रणाली एवं अध्यापन में इस प्रकार के बदलाव के लिए जैसा कि इसके विचार में शिक्षा के अनुस्क्षण के लिए सहायक हो।

(झ) (एक) स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा उस महाविद्यालय के नाम के उल्लेख के साथ घोषित एवं प्रकाशित किया जायेगा, जिसने घोषणा एवं प्रकाशन हेतु परीक्षाफल (सारणीयन चार्ट) प्रस्तुत किया है।

(दो) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय इस प्रकार की रिपोर्ट, वापसी तथा अन्य सूचनाओं जैसा कि कार्य परिषद को समय-समय पर इस प्रकार के महाविद्यालय की क्षमता को समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा।

(तीन) विश्वविद्यालय किसी स्वायत्त महाविद्यालय का सामान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा तथा महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करता रहेगा जिन्होंने विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ज) कार्यकारी परिषद विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किसी भी समय किसी भी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है और इस प्रकार के निरीक्षण के रिपोर्ट के अनुशील के पश्चात् यदि इसकी राय में महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या यह कि शिक्षा के हित को बनाये रखने में विफल हो गया है तो खण्ड-26 'क' में प्रदत्त विशेषाधिकार को वापस लेना आवश्यक है, कार्यकारी परिषद कुलाधिपति की पूर्व सहमति के साथ, इस प्रकार के विशेषाधिकार को वापस ले सकता है और सम्बन्धित महाविद्यालय को एक सम्बद्ध महाविद्यालय की अवस्था में प्रत्यावर्तित करेगा।

(ट) (एक) कार्य की उचित योजना एवं संचालन हेतु प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय का एक विद्या परिषद तथा उन विषयों जिनमें स्वायत्तता प्रदान की जानी है, का अध्ययन बोर्ड होगा।

(दो) विद्या परिषद सभी विभागाध्यक्षों तथा अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य/निदेशक के साथ परास्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों के दो अध्यापक और प्रथम उपाधि के लिए पढ़ाने जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक अध्यापक से बना होगा। यह अध्यापक वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम में एक बार में दो वर्ष के लिए परिषद के सदस्य होंगे, किन्तु चार वर्ष से कम स्थायी होने पर कोई अध्यापक सदस्य नहीं होगा।



(तीन) विद्या परिषद त्रैमासिक बैठक में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्यों की समीक्षा करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में अन्तर्विष्ट पाठ्यक्रम/ पाठ्यचर्चा, उनका अध्यापन और उसकी परीक्षाएँ।

(चार) अध्ययन बोर्ड संकाय में समाविष्ट विषयों के डिग्री कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष तक स्थायी सभी अध्यापकों से गठित होगा। अध्ययन बोर्ड शैक्षिक प्रश्नों पर विचार करने और प्राचार्य/निदेशक को सलाह देने हेतु नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हो तो माह में एक बार) बैठक करेगा। पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रस्ताव परीक्षाएँ आदि या तो यहीं से आरम्भ होंगी या तो इन बोर्डों द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

(ठ) खण्ड-26 (क) की व्यवस्था और इस अध्याय के अधीन, अध्ययन के पाठ्यक्रमों और स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य शर्तें, जो कि समय-समय पर शैक्षिक विशिष्टता के सम्बन्ध में उपयुक्त समझी जाये, विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

6.30-घटक महाविद्यालय दो श्रेणी के होंगे, अर्थात्-

(एक) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त घटक महाविद्यालय जहाँ राज्य सरकार इस प्रकार निर्देशित करें।

घटक  
महाविद्यालय के  
प्राचार्य के  
अधिकार  
द्वारा-26(ख)

(दो) एक घटक महाविद्यालय जिसे संबद्ध महाविद्यालय के आवेदन पर इस प्रकार नाम दिया गया हो, जहाँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की संस्तुति पर कुलाधिपति इस प्रकार निर्देशित करें।

6.31-खण्ड-26 'ख' की व्यवस्था के अधीन एक घटक महाविद्यालय का प्राचार्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जैसा कि कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया गया हो।

6.32-घटक महाविद्यालय का शासन विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में निहित होगा। घटक महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय का स्तर प्रदान किये जाने के दो माह अपश्चात् इस आशय से अपने उपविधियों/नियमों में संशोधन करेगा।

6.33-एक घटक महाविद्यालय के प्राचार्य/ निदेशक महाविद्यालय में निविष्ट छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं महाविद्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखेंगे।

6.34-विश्वविद्यालय कार्य परिषद के स्पष्ट निर्णय के साथ महाविद्यालय को शिक्षा, छात्र/संकाय से सम्बन्धित अवसंरचना के विकास के लिए विश्वविद्यालय निधि से इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जैसा कि वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया हो।

6.35-यदि कोई घटक महाविद्यालय अपनी प्रास्थिति को किसी सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करना चाहे तो विश्वविद्यालय प्रथम प्रयोजन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार के निर्देश स्वीकार करेगा और द्वितीय प्रयोजन के लिए अन्य महाविद्यालयों के लिए कार्य परिषद की सम्यक् संस्तुति/सिफारिश के पश्चात् विश्वविद्यालय कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

6.36-(क) खण्ड-26 'ग' के अन्तर्गत आने वाले किसी संस्थान के लिए कार्य परिषद खण्ड 23 के उपखण्ड 6 एवं 7 के अधीन समय-समय पर निरीक्षण करायेगी।

सहयुक्त  
महाविद्यालय  
द्वारा-26(ग)

(ख) यदि महाविद्यालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद कार्य परिषद का यह समाधान हो जाता है कि सहयुक्त महाविद्यालय अपनी सम्बद्धता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है अथवा यह कि अधिनियम के अधीन वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में या कार्यपरिषद द्वारा निर्देशित अपने कार्य में किसी कमी को दूर करने में व्यतिक्रम करना जारी रखता है तो एक सहयुक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता राज्य सरकार की पूर्ण सहमति से वापस ली जा सकती है।

(ग) विश्वविद्यालय कार्य परिषद के स्पष्ट निर्णय और कुलाधिपति की अनुमति के साथ किसी सहयुक्त महाविद्यालय के शैक्षिक अवसंरचना के लिए निधि उपलब्ध करा सकता है।

संस्थान धारा-26

6.37-(क) खण्ड-26 के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अन्य बातों के साथ-साथ एक विद्यमान महाविद्यालय/ संस्थान जो कि एक सरकारी महाविद्यालय/ सरकारी सोसाइटी महाविद्यालय हो या एक संस्थान को कार्य परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अपनी निधियों के साथ स्थापित करने हेतु कुलाधिपति की पूर्ण सहमति के साथ समाविष्ट कर सकता है।

(ख) राज्य सरकार को इस प्रकार के प्रस्ताव भेजते समय सरकार खण्ड-26 के अधीन विश्वविद्यालय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी स्पष्ट करेगा:-

(एक) यदि एक विद्यमान महाविद्यालय का कार्यभार एक संस्थान के रूप में ले लिया जाता है, तो इसके विद्यमान संकाय की सेवाओं के निबन्धन एवं शर्तें,

(दो) यदि संकाय/कर्मचारीगण विश्वविद्यालय के उपविधियों द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों का विकल्प चुन रहे हों और

(तीन) बहरहाल विश्वविद्यालय द्वारा अनुबद्ध स्थितियों और शब्दावलिओं पर विश्वविद्यालय संस्थान की सभी नियुक्तियों के बाद से संकाय/स्टाफ बनेगा,

(चार) यदि विश्वविद्यालय में अपना संस्थान स्थापित है तब संकाय/स्टाफ के लिए शर्तें और स्थितियां विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होंगे,

(पांच) यदि विश्वविद्यालय संकाय/स्टाफ संस्थान की शर्तें और स्थितियों के लिये विशेष विभिन्न सुझाव दें।

संस्थान के लेखा  
और वित्त लेखा  
धारा धारा-30(2)

6.38-(क) प्रत्येक सम्बद्ध विद्यालय के प्रबंधांत्र की सहायता के लिए एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) प्रबंधांत्र का सभापति अथवा सचिव जो अध्यक्ष होगा

(दो) प्रबंधांत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य

(तीन) प्रधानाचार्य/निदेशक (पदेन)

(चार) प्रबंधांत्र का ज्येष्ठतम आध्यापक सदस्य (पदेन)

(ख) विद्यालय का प्रधानाचार्य/निदेशक वित्त समिति का सचिव होगा और वह बैठक बुलाने का हकदार होगा।

6.39-वित्त समिति विद्यालय का वार्षिक बजट (छात्रनिधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबंधांत्र के समक्ष उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

6.40-ऐसा नया व्यय, जो विद्यालय के बजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किए बिना व्यय नहीं किया जाएगा।

6.41-बजट में व्यवस्था आदर्श व्यय का नियन्त्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वित्त समिति द्वारा दिए जाएं प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

6.42-समस्त छात्र निधि विभिन्न समितियों यथा खेल-कूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें सम्बन्धित विद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे को सहायता से प्राचार्य द्वारा प्रशासित होगी।

6.43-छात्र निधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रबंधांत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह लेखा परीक्षक द्वारा जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जाएगी। लेखा परीक्षा फीस विद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रकार होगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधांत्र के समक्ष रखी जाएगी।

6.44-छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस संकली आर अन्य विधि में अन्तर्गत नहीं की जाएगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जाएगा।

6.45-विश्वविद्यालय अथवा वित्त अधिकारी द्वारा किसी तरह सूचनाओं और लेखों की वांछना जिसे ढंग से की जाएगी सम्बद्ध विद्यालय उसे प्रदात करने के लिए बाध्य होगा।



6.46-विश्वविद्यालय के सभी सम्बन्धित विद्यालय नीति निर्णय का अनुसरण को बाध्य होंगे, और विभिन्न पाठ्यक्रम के शुल्क ढांचे और प्रवेश के कोई अन्य मामलों को साथ ही विश्वविद्यालय की स्थितियों और शर्तों को मानेंगे। किसी मामले में विश्वविद्यालय का कोई विद्यालय उल्लंघन करता है नीति निर्णय का या शर्तें स्थितियों का दण्डित किये जायेंगे, विश्वविद्यालय के नामित/अधिकारी द्वारा सजा संभवतः वित्तीय सजा के रूप में होगी, या विश्वविद्यालय से विद्यालय को इसी तरह संभवतः निर्धारित होंगे।

#### अध्याय - सात

##### उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान कराना और वापस लेना

7.01-डाक्टर आफ लेटर्स अथवा सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा की गति में पर्याप्त रूप से योगदान किया है तथा उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जाएगी।

धारा-6(ग),  
6(ड.) धारा-30  
(ग) और  
धारा-30 (4)

7.02-डाक्टर ऑफ साइन्स (डी0एस0सी0) की सम्मानार्थ उपाधि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थाओं के आयोजन संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान के लिए प्रदान की जाएगी।

7.03-कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद की सिफारिश पर जो उसकी कुल उपस्थित सदस्यता के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाए, सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को अधिनियम की धारा-30 (ग) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

7.04-विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा-30 (घ) के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम एक महीने के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

7.05-सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्ण स्वीकृति अपेक्षित होगी।

#### अध्याय-आठ

##### दीक्षान्त समारोह

8.01-(क) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि और विद्या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए वर्ष भर में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद विनिश्चित करे एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

धारा-8 (1),  
धारा-30 (ट)

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से आयोजित किया जा सकता है।

(ग) दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और कुल सचिव, शिक्षा परिषद और कार्य परिषद के सदस्य, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बन्धित विद्यालयों के निदेशक होंगे।

(घ) विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के सभापति कुलाधिपति होंगे, उनकी अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षान्त समारोह के सभापति होंगे।

8.02-प्रत्येक सम्बद्ध विद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा प्राचार्य/निदेशक के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है।

8.03-दो या अधिक विद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह विनियम 8.01 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।



8.04—इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पातन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों में निर्धारित हों।

8.05—जहां विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध विद्यालय के लिए विनियम 8.01 से 8.04 के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक वर्ष के भीतर भेजी जा सकती है।

### अध्याय—नौ

#### छात्र कल्याण और मामले

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना  
धारा—30 (ट)

9.01—विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही की शक्ति कुलपति में निहित होगी। कुलपति अपनी किसी शक्ति को जैसा वे उचित समझे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

9.02—अनुशासन बनाये रखने के संबंध में और ऐसी कार्यवाही जैसा वे अनुशासन के लिये उपयुक्त समझे अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति अपनी शक्ति के प्रयोग करने में आदेश द्वारा निर्देशित कर सकते हैं कि किसी छात्र अथवा छात्रा को किसी निर्धारित समय तक के लिये निष्कासित अथवा बहिष्कृत कर दिया जाय और विश्वविद्यालय या सम्बद्ध संस्था किसी कथित अवधि तक के लिये प्रवेश न दिया जाय अथवा अर्धदण्ड से दण्डित किया जाये। विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध संस्था द्वारा संचालित किसी समस्त परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाये अथवा छात्र/छात्रा का परीक्षा परिणाम जिसमें वह बैठा था/बैठी थी निरस्त कर दिया जाय इस उद्देश्य के लिए कानून के प्राकृतिक न्याय द्वारा मांगा जायेगा, जो कि प्रभावित छात्र/छात्रा को अपना बचाव रखने का अवसर दिया जायेगा कि वह संस्थापित समिति के आगे प्रस्तुत करें या लिखित रूप से दे या दोनों। इस स्वीकृति के लिए कार्यकारी समिति से शक्ति और संयोजन की ऐसी समिति प्रस्तावित होगी जो समय-समय से आवश्यक अध्यादेश जारी करेगा।

9.03—कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष/सम्बद्ध महाविद्यालय के संस्थाध्यक्ष को ऐसी समस्त अनुशासनिक शक्तियों का छात्रों के ऊपर प्रयोग करने का अधिकार अपनी संबंधित संस्था में होगा जैसा इस प्रकार की संस्था के समुचित संचालन के लिये आवश्यक हो। संस्था के प्रधान के लिये यह आज्ञापक होगा कि कुलपति द्वारा पारित आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करें।

छात्रों के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन योजना  
धारा—6 (क),  
धारा—6 (ड)  
धारा—30 (ज)

9.04—विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों के छात्रों से एकत्रित विकास शुल्क के एक उपयुक्त भाग में से "संस्थान प्रोत्साहन कोष" बनाना होगा।

9.05—कार्यकारी निकाय द्वारा समय-समय से संशोधित 'उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रोत्साहन योजना नियम 2003' के अनुसार प्रोत्साहन निधि का प्रयोग विश्वविद्यालय परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन के लिए यह छात्रवृत्ति पुरस्कार के लिए प्रयोग होंगे जो परिशिष्ट—ख में दिये नियम मौजूद हैं।

9.06—प्रोत्साहन कोष का प्रयोग गरीब छात्रों की शुल्क में छूट के लिए किया जायेगा या पिण्ड राशि वित्तीय सहायता परिशिष्ट 9.05 के नियम ढांचे के अनुसार और विश्वविद्यालय द्वारा पारित बजट के अनुसार।

9.07—विश्वविद्यालय संस्थान पदक और प्रतिभू पदक और पुरस्कार के लिए विश्वविद्यालय पृथक अध्यादेश निर्धारित करेगा।

छात्र कल्याण निधि

9.08—(क) दुर्घटनाग्रस्त छात्र और अथवा उसके उपार्जन करने वाले माता-पिता जिनकी दुर्घटना में अथवा मृत्यु हो जाय, के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय 'उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि नियमावली 2003' जो परिशिष्ट 'ग' में संलग्न है, के अनुसार आर्थिक और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगा।



(ख) विनियम (क) के प्रयोजनों के लिये छात्रों से "छात्र कल्याण शुल्क" के रूप में एकत्र की गयी धनराशि जिसका विनिश्चित समय समय पर वित्त समिति द्वारा यथा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित उक्त नियमावली में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा, से छात्र कल्याण निधि की स्थापना की जायेगी।

9.09-विश्वविद्यालय और सभी विद्यालय रैगिंग के किसी प्रकार के मामले में नगण्य उदारता से रैगिंग विरोधी अनुगम करेंगे। वे माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलसचिव और दूसरे नामित नागिति के आदेशों को मानने और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

9.10-प्रत्येक विद्यालय उपयुक्त समिति साथ में आवश्यक अधिकार बनाए रखेगा और वैसे ही व्यापक रूप से प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय से सम्प्रेषण करना होगा इत्यादि।

9.11-समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

9.12-विश्वविद्यालय, कुलपति के विनिर्दिष्ट आदेश के माध्यम से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था के प्राधिकारियों के विरुद्ध जांच कर सकता है और कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है, जहां उसकी राय हो कि उचित रैगिंग विरोधी क्रिया कलाप नहीं चलाए जा रहे हैं।

9.13-विश्वविद्यालय और सभी विद्यालय महिला छात्र, शिक्षक या कर्मचारियों के उत्पीड़न के किसी प्रकार के मामले में नगण्य उदारता का अनुगम करेंगे। वे माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलसचिव और दूसरे नामित नागिति के आदेशों को मानने और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

9.14-प्रत्येक विद्यालय उपयुक्त समिति साथ में आवश्यक अधिकार बनाए रखेगा, और वैसे ही व्यापक रूप से प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय से सम्प्रेषण करना होगा इत्यादि।

9.15-समय-समय से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विशेष दिशा निर्देशों को मानना होगा।

#### अध्याय-दस

##### विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें और प्रतिबन्ध

10.01-(क) विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की अपेक्षित संख्या को छात्र स्टाफ अनुपात के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(ख) तकनीकी शिक्षा के लिए समय-समय से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त के अनुसार विश्वविद्यालय और विद्यालय के प्रत्येक विभाग संवर्ग और संवर्ग संरचना (प्रवक्ता सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर के अनुपात) में आवश्यक होगा।

(ग) वृत्ति उन्नति योजना के अधीन प्रवक्ता के पदों की संख्या (ज्येष्ठ वेतनमान) और प्रवक्ता (चयन श्रेणी) सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर की कुल स्वीकृत संख्या संस्थान में सीमित होगी।

(घ) अधिकांश तकनीकी संस्थाओं में अकेली विषयों यथा भौतिकी रसायन शास्त्र, गणित और मानविकी और सामाजिक विषयों में अध्यापकों की संख्या अत्यधिक कम होती है। संवर्ग स्तरों में इतनी कम संख्या और निर्धारित अनुपात के कारण यह एक दम स्वाभाविक है उपर्युक्त विषयों को अलग विषय इकाई माना जाता है तो वरिष्ठ स्तर के कोई पद बड़ी मुश्किल से होंगे। अतः विभिन्न संवर्ग स्तरों पर संख्या को आगणित करने के लिए उपर्युक्त विज्ञान और मानविकी क्षेत्र से संबंधित विषयों के अध्यापकों की संख्या को एक साथ लिया जा सकता है।

10.02-(क) विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्यापन पदों के लिए अपेक्षित विहित न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव समय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार होंगे।

(ख) संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती राष्ट्रीय स्तर पर खुले विज्ञापन के माध्यम से खुले चयन द्वारा पूर्णतः योग्यता पर आधारित होगी।

(एक) विहित शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव आदि में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

(दो) स्थायी पद के सापेक्ष नियुक्त व्यक्ति प्रारम्भ में परीक्षा पर होगा। आचार्य और सह आचार्य के पदों के लिए परीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी और अन्य पदों के लिए दो वर्ष की होगी।

(तीन) किसी अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष से अधिक काल तक पद पर बना नहीं रह सकता।

(चार) निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति, नियुक्ति सम्बन्धी निबंधन के आधार पर होगी।

उच्चतर अर्हता  
और कैरियर  
विकास के लिए  
प्रोत्साहन राशि

10.03—(क) प्राध्यापक के रूप में भर्ती के समय विज्ञान/मानविकी संकाय के क्रमशः पी0एच0डी0 और एम0फिल उपाधि धारण करने वाले प्राध्यापकों को और प्रौद्योगिक संकाय के क्रमशः पी0एच0डी0 तथा एम0ई0/एम0 टेक उपाधि धारण करने वाले प्राध्यापकों को भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्ड के अनुसार चयन समिति की संस्तुति पर अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी।

(ख) कैरियर विकास स्कीम के अधीन प्रत्येक अग्रतर प्रगति के लिए पात्रता शर्तें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्ड के अनुसार लागू होगी।

(ग) प्रत्येक अग्रतर प्रगति के लिए एक ऐसी चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नवीनतम मानदण्ड के अनुसार सीधी भर्ती मामले में लागू है।

(घ) अध्यापक के कैरियर विकास का निर्धारण चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनके शैक्षणिक निष्पादन और उनके अविच्छिन्न सुअभिलेख के आधार पर किया जाएगा।

(ङ) कैरियर विकास के लिए चयन समितियाँ उसी प्रकार होंगी जैसा कि सीधी भर्ती के लिए है।

अध्यापन दिवस

10.04—प्रत्येक संस्था को प्रत्येक वर्ष कम से कम 180 पूर्ण अध्यापन दिवस (या प्रति सिमेस्टर 90 पूर्ण अध्यापन दिवस) सम्पादित करना होगा। यहां अध्यापन दिवस का तात्पर्य वास्तविक कक्षाओं/प्रयोगशाला सम्पर्क अध्यापन दिवस से है और उसके अन्तर्गत परीक्षाएं/टूर/खेल-कूद आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

काम की मात्रा

10.05—(क) एक अध्यापक के प्रति सप्ताह काम की मात्रा के घण्टे वही होंगे जो सगय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विहित किए जाए।

(ख) काम की मात्रा के घण्टों की गणना के प्रयोजनार्थ दो अनुशिक्षण घण्टों/दो प्रयोगशाला सम्बन्धी घण्टों को एक अध्यापन घण्टे के बराबर संगणित किया जाएगा।

(ग) कैरियर विकास स्कीम के अधीन किसी अध्यापक के अध्यापन सम्पर्क घण्टे वही होंगे जो मूल पद धारण करने वाले अध्यापकों के हैं।

(घ) अध्यापकों की कार्य योजना विभाग/संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा उनको सौंपी गई भूमिका कार्य और लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रति सप्ताह नियत कार्य के घण्टों की अत्यधिक लागप्रद रूप में सदुपयोग को सुनिश्चित करेगा। अध्यापक कार्य के घण्टों के दौरान संस्था में, जब तक कि संस्था के बाहर पदीय कृत्य में व्यस्त न हो, संस्था में विद्यमान रहेगा।

कार्य सम्बन्धी  
उत्तरदायित्व

10.06—उपाधि स्तर के संस्था के अध्यापकों के कार्य सम्बन्धी उत्तरदायित्व में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:-



(क) शैक्षणिक (कक्षा शिक्षण, प्रयोगशाला शिक्षण नवीन कार्यक्रमों का अभिकल्प और विकास, पाठ्यचर्या विकास, ज्ञानार्जन संसाधन सामग्री और प्रयोगशालाओं का विकास छात्र योग्यता निर्धारण एवं मूल्यांकन, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी कार्य पाठ्यसहगामी और पाठ्येतर गतिविधियाँ, छात्र मार्गदर्शन और परामर्श और उनका विकास और उनकी शैक्षिक गतिविधियों का जारी रखना)

(ख) शोध, विकास एवं परामर्श (छात्रों के शोध सम्बन्धी मार्गदर्शन, निधिकरण के लिए परियोजना प्रस्ताव और अनुवर्तन प्रत्यायोजित शोध का निष्पादन और अनुश्रवण, तकनीकी विकास और औद्योगिक परामर्श)

(ग) प्रशासन (संस्था का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबन्ध, नीतिगत योजना, विभागीय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोन्नति क्रियाकलाप, प्रधानपद, संकायाध्यक्ष पद, वार्डन पद और समिति कार्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी आदि।)

(घ) विस्तार सेवाएँ (अध्यापकों और उद्योग के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम जारी रखने में संकाय के रूप में पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, भाग लेना और सम्मिलित होना, सामुदायिक सेवा का आयोजन करना और उसमें भाग लेना, उद्योगिता का विकास करना, सामाजिक विकास को तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि)

10.7—(क) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त मानदण्ड के अनुसार होगी। किन्तु अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के समय के वेतन पर विशिष्ट सत्र की समाप्ति तक पुनः नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। अधिवर्षिता और पुनः नियोजन

(ख) अग्रतर यह कि अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः नियोजन की शर्तें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट प्रचलित मानदण्ड के आधार पर कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

10.08—अध्यापक महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता के लिए उन्हीं दरों पर हकदार होंगे जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है। भत्ते

10.09—चिकित्सा सुविधा जिसके अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी है, उसी प्रकार होगी जैसा कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जाए। चिकित्सा सुविधा

10.10—यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सम्बन्धी नियम जहाँ कार्य परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से विहित न किया गया हो, राज्य सरकार के मानदण्ड के अनुसार लागू होंगे। यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सम्बन्धी नियम

10.11—अध्यापकों का वेतनमान समय समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों और अनुदेशों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। अध्यापकों के वेतनमान

10.12—विश्वविद्यालय, संस्थाओं या उसके घटक महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए चयन समितियाँ निम्न प्रकार होंगी :— चयन समितियाँ

(एक) कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(दो) यथास्थिति संकायाध्यक्ष या निदेशक उपाध्यक्ष होगा।

(तीन) अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति श्रेणी में प्रत्येक में से एक आचार्य या वरिष्ठ समूह 'क' अधिकारी जो कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा— सदस्य

(चार) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से तीन बाह्य विशेषज्ञ—सदस्य

परन्तु यह कि बैठक के बारे में सम्यक सूचना प्रदान की गई हो और उनमें से कम से कम दो उपस्थित हों।

(पांच) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नाम निर्देशिनी—सदस्य

(छः) सम्बन्धित संकाय का विभागाध्यक्ष, यदि चयन समक्ष पद का न हो—सदस्य



10.13-विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्ड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह कि अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे विषयों में की जा सकेगी जिनमें विद्या परिषद की राय में अध्यापन के हित में या अन्य कारणों से ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता हो। अंशकालिक अध्यापक ऐसी परिलब्धि के लिए हकदार होंगे जो उस पद, जिसमें उनकी नियुक्ति की गई है, के लिए विहित वेतनमान के वेतन से अधिक न हो। शोध छात्रों या शोध सहायकों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है।

10.14-विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन कुलाधिपति द्वारा एक ही समय पर छः माह की अवधि के लिए किया जाएगा।

10.15-सहयुक्त महाविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं या सरकारी सोसाइटियों की संस्थाओं के लिए चयन समिति, जब तक उनकी सोसाइटी की नियमावली में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, वही होगी जैसा कि विश्वविद्यालय के घटक संस्थाओं के लिए है।

10.16-सहयुक्त महाविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं और सरकारी सोसाइटियों की संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक के लिए चयन समिति का गठन उनके व्यवस्थापक मण्डल द्वारा किया जाएगा।

10.17-किसी विश्वविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के निदेशक के लिए चयन समिति उनकी सोसाइटी की नियमावली के अनुसार होगी, विद्यमान संस्थाओं की दशा में और नई संस्थाओं की दशा में चयन समिति निम्न प्रकार होगी:-

(एक) कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा

(दो) राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार की प्रौद्योगिकी संस्थान के दो प्रधान

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक सदस्य

(चार) राज्य सरकार का एक सदस्य

(पाँच) कुलाधिपति का एक नाम निर्देशित

ज्येष्ठता

10.18-(1) जब कभी इस विनियमावली के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना हो या उक्त विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य बनना हो तो ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उसी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति की निरन्तर सेवा के अवधि के अनुसार और ऐसे अन्य सिद्धान्तों, जैसा कि कार्य परिषद समय-समय पर अवधारित करें, के अनुसार किया जायेगा।

(2) कुल सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों, जिनके प्रति इस विनियमावली के उपबंध लागू होते हों, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड के उपबंधों के अनुसार पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार करे और उसे अनुरक्षित रखें।

(3) यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की किसी विशिष्ट श्रेणी या सापेक्ष ज्येष्ठता में निरन्तर सेवा की एक समान अवधि हो तो ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण कार्यपरिषद के आदेश द्वारा किया जायेगा।

(4) उपविनियम (3) में निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुछ कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय-ग्यारह

संबद्ध महाविद्यालय स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें

11.01-विनियम 11.01 से 11.18 तक के उपबंध महाविद्यालय स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापकों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और

11.02-अध्यापकों अर्थात् निजी क्षेत्र में स्थापित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापक/सहायक प्राचार्य/ प्राचार्य के समस्त स्तरों पर पदोन्नतियों/सीधी भर्तियों के लिए चयन समितियाँ निम्नानुसार होंगी :-



- (एक) प्रबंध समिति का अध्यक्ष या उसका नाम निर्देशितीय .....अध्यक्ष  
 (दो) संस्थान का निदेशक .....उपाध्यक्ष  
 (तीन) विभागाध्यक्ष, यदि चयन समकक्ष पद का न हो .....सदस्य  
 (चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नाम निर्देशितीय .....सदस्य  
 (पांच) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से दो विषय विशेषज्ञ .....सदस्य
- और
- (छः) एक विश्वविद्यालय का नाम निर्देशितीय .....सदस्य

11.03—संबद्ध निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/निदेशक हेतु चयन समिति निम्नलिखित होगी :-

- (एक) शासी बोर्ड/परिषद का अध्यक्ष .....अध्यक्ष  
 (दो) एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नाम निर्देशितीय जो आचार्य/प्राचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो। .....सदस्य  
 (तीन) सदस्य के परे तीन विशेषज्ञ  
 (चार) एक विश्वविद्यालय का नाम निर्देशितीय, जो आचार्य/निदेशक की श्रेणी से नीचे का हो..... सदस्य और  
 (पांच) शासी बोर्ड/परिषद का एक नाम निर्देशितीय ..... सदस्य

11.04—दो बाहरी विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों से गणपूर्ति सृजित होगी।

11.05—अन्य पैरामीटरों के अतिरिक्त चयन समिति को अध्यापन और शोध की अभिरूक्ति स्पष्ट और प्रभावपूर्ण तरीके से संसूचित करने की क्षमता और विश्लेषण तथा विचार-विमर्श करने की क्षमता के अवधारण पर भी ध्यान देना चाहिए।

#### अध्याय—बारह

विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें

12.01—विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों से भिन्न विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर यथा प्रचलित सेवा की निबंधन एवं शर्तों तथा आचरण संहिता द्वारा नियंत्रित होंगे।

12.02—शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतनमान वही होंगे जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय और उनकी सेवा शर्तें वही होंगी जैसाकि कार्यपरिषद द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

12.03—शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए चयन समिति निम्नानुसार होगी :-

- (एक) कुलपति या उसका नाम निर्देशितीय जो आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो।  
 (दो) कुल सचिव  
 (तीन) एक विशेषज्ञ  
 (चार) कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की प्रत्येक श्रेणी से एक सदस्य, जो श्रेणी-एक के अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो।

12.04—कार्य परिषद अध्यापन और साथ ही साथ शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। कुलपति कार्य परिषद का प्रतिनिधित्व करेगा। कुलपति समूह 'क' और 'ख' के पदों के सम्बन्ध में और कुलसचिव समूह 'ग' और 'घ' के पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

सागान्य

वेतनमान

चयन समिति

अध्यापन और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग का नियुक्ति प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के  
कर्मचारियों का  
हटाया जाना  
घास-30 (अ)

12.05—जहाँ विश्वविद्यालय में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार का कोई अधिरोप हो वहीं सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसे कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखेगा और तत्काल कुलपति को उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में सूचित करेगा जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया था। कदाचार में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा;

(ख) सेवा संधि के किसी निबन्धन का उल्लंघन;

(ग) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/क्रिया कलाओं में सम्बन्धित बेईमानी;

(घ) अनैतिक अश्रमता से युक्त किसी अपराध के लिए कलंकदायक आचरण या दोष-सिद्धि।

12.06—नियुक्ति की संधि के निबन्धनों या कर्मचारियों के विनहीं अन्य निबन्धन एवं शर्तों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी किसी कर्मचारी को कदाचार के आधार पर सेवा से हटाया जा सकता है।

12.07—स्थापत्योक्त के सिवाय, स्थायी कर्मचारियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी को सुसंगत कारण के सिवाय और तीन माह की नोटिस या उसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करने के पश्चात् किसी कर्मचारी को हटाने का हक नहीं होगा।

परन्तु किसी अस्थायी कर्मचारी को एक माह की नोटिस या उसके बदले में एक माह के वेतन का भुगतान करने के पश्चात् हटाया जा सकता है।

12.08—किसी कर्मचारी को विनियम 12.06 या विनियम 12.07 के अधीन तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक की उसे उसके सम्बन्ध में किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शाने का सुविशेष अवसर न दे दिया जाये।

12.09—हटाये जाने का आदेश जारी किये जाने के दिनांक से कर्मचारी का हटाया जाना प्रभावी होगा।

परन्तु जहाँ कर्मचारी इस प्रकार हटाये जाने के समय निलम्बनाधीन हो वहीं इस प्रकार हटाया जाना उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को उसे निलम्बनाधीन किया गया था।

12.10—पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी निम्न स्थिति में त्याग-पत्र दे सकता है :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में केवल तीन माह की नोटिस देने के पश्चात् या उसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करके, यदि वह स्थायी कर्मचारी हो;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में केवल एक माह की नोटिस देने के पश्चात् या उसके बदले में एक माह के वेतन का भुगतान करके, परन्तु इस प्रकार का त्याग-पत्र केवल उस दिनांक को प्रभावी होगा जिस दिनांक को त्याग-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये हो, यदि वह स्थायी कर्मचारी न हो।

12.11—कार्य परिषद् को लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से विनियम 12.10 में यथा उल्लिखित नोटिस की अवधि में स्थिति का प्रदान करने का अधिकार होगा।

12.12—प्रत्येक कर्मचारी को परिशिष्ट 'घ' और 'ड' में दिये गये प्रारूपों में किसी अनुबंध-पत्र और आचरण संहिता पर हस्ताक्षर करना होगा।

12.13—शारीरिक/मानसिक अस्वस्थता और कार्य में अक्षमता भी विनियम 12.06 में निर्दिष्ट कार्यवाही का कारण होगा।



## अध्याय-तेरह

## सामान्य भविष्य निधि-सह-उपदान और पेंशन

13.01-सामान्य भविष्य निधि का प्रबंध कार्य परिषद् में निहित होगा।

धारा-30 (ख)

13.02-विश्वविद्यालय के समस्त विनियमित कर्मचारियों और अधिकारियों को समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी कर्मचारियों हेतु सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 की निबंधनों के अनुसार भविष्य निधि की प्रसुविधा होगी।

13.03-विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में लागू पेंशन नियमावली की निबंधनों के अनुसार पेंशन योजना का हक होगा।

## अध्याय-चौदह

## विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारी वर्ग के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

14.01-निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी अनुमत्त होगी-

धारा-30 (ग)

(एक) आकस्मिक छुट्टी

(दो) उपार्जित छुट्टी

(तीन) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी

(चार) असाधारण छुट्टी

(पांच) विशेष निःशक्तता छुट्टी

(छः) प्रसूति छुट्टी

(सात) कर्तव्य छुट्टी

(आठ) अध्ययन छुट्टी

(नौ) विश्राम छुट्टी

14.02-छुट्टी केवल कर्तव्य द्वारा अर्जित होगी और उसका दावा अधिकार के रूप में नहीं किया सकता है। जब विश्वविद्यालय की सेवा इस प्रकार अत्यावश्यक रूप में अपेक्षित हो तब छुट्टी स्वीकृति करने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारी में छुट्टी से इंकार करने या उसे वापस लेने का विवेक निहित होगा।

14.03-विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा करने वाले सरकारी सेवक सरकारी छुट्टी सम्बन्धी नियमों के अध्वधीन होंगे।

14.04-छुट्टी प्राप्ति किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के सिवाय उसकी छुट्टी अवधि के दौरान वेतनयुक्त नियुक्ति प्राप्त करने या व्यवसायिक कार्य का दायित्व ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

14.05-संविदा युक्त कर्मचारी वर्ग के लिए छुट्टी पृथक-पृथक संविदाओं में निर्धारित निबंधनों द्वारा प्रदान की जायेगी। यदि संविदा में कोई छुट्टी सम्बन्धी निबंधन उल्लिखित न हो तो वे इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

14.06-छुट्टी सामान्यतः उस दिनांक से प्रारम्भ होगी जिस दिनांक को इस रूप में छुट्टी का वारतव में उपभोग किया जायेगा और उसकी समाप्ति उस दिनांक से पूर्ववर्ती दिनांक को होगी जिस दिनांक को इगूटी पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

14.07-विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए छुट्टी का विवरण अनुरक्षित रखा जायेगा।

14.08-इस विनियमावली में यथाविहित कुल अनुपस्थिति अवधि की किसी सीमा के अध्वधीन अवकाश प्री-फिक्स या स-फिक्स किया जायेगा।

## अध्याय-15

## प्रकीर्ण

15.01-इन विनियमों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी-

परीक्षा सारिणी

(क) किसी शैक्षणिक वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त विषय सेमेस्टर की परीक्षाएँ सामान्यतः 25 दिसम्बर तक और समस्त सत्र-सेमेस्टर परीक्षाएँ 15 मई तक पूरी की जायेंगी;

(ग) 20 जून तक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे और बाकी छात्रों का परीक्षाफल सामान्यतः 30 जून तक घोषित किया जाएगा।

15.02-अभ्यर्थी को अग्रणीत प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जा सकती है जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा अन्वयित किया जाय।

शुल्क

15.03-(क) विश्वविद्यालय छात्रों से अध्यापन शुल्क और अन्य शुल्क लेगा जैसाकि कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जायें। तथापि सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रों से अध्यापन शुल्क लेंगे जैसाकि राज्य सरकार द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया जायें।

(ख) मृतपूरे छात्रों से अध्यापन शुल्क नहीं लिया जायें।

15.04-सभी पाठ्यक्रमों और विधाओं के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा व अन्य शुल्क प्रति छात्र निम्न प्रकार होंगे-

परीक्षा शुल्क - ₹0 1500.00 प्रति सेमेस्टर

विकास शुल्क - ₹0 250.00 प्रति सेमेस्टर

छात्र कल्याण शुल्क - ₹0 200.00 प्रति वर्ष

नामांकन शुल्क - ₹0 100.00 विश्वविद्यालय में अगस्त अख्यान के लिए एक बार

बैक पेपर शुल्क - ₹0 500.00 प्रति प्रश्न पत्र प्रति परीक्षा

सौध पंजीकरण शुल्क - ₹0 5100.00

15.05-विनियम 15.04 में निर्धारित शुल्क का पुनरावलोकन समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा किया जा सकता है।

प्रवेश और  
प्रवेश परीक्षा

15.06-राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा कतने का कार्य सौंप सकती है। कार्य परिषद् प्रवेश परीक्षा के संचालन और इस प्रयोजन के लिए समबद्ध रीति से परामर्श के लिए सभी आवश्यक प्रकृतियों के लिए उत्तरदायी होगी और उनकी व्यवस्था करेगी। कार्यपरिषद् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी दिशा-निर्देश या शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

15.07-प्रवेश परीक्षा के कृत्यों और क्रियाकलापों की प्रणाली को विनियमित करने के लिए अधिनियम की धारा-18 (ख) के अधीन कार्यपरिषद् द्वारा गठित एक केन्द्रीय प्रवेश बोर्ड होगा। कुलपति इस केन्द्रीय प्रवेश बोर्ड का अध्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को प्राविधिक शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय विभाग का एक प्रतिनिधि केन्द्रीय प्रवेश बोर्ड के सदस्य होंगे।

15.08-प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्रवेश बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

15.09-किसी विशिष्ट संस्था में इस प्रकार हुए प्रवेशों की संख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित और विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्था से अधिक नहीं होगी।

15.10-प्रवेश परीक्षा के लेखा का अनुष्ठान पृथक रूप से किया जायेगा और गौपनीय परीक्षा से निम्न निधि का उपयोग कार्यपरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित रीति से लेखा परीक्षा के अधीन होगा।

#### आयाम-सोलह

##### अधिभार

धारा-33

16.01-जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इन विनियमों में 'विश्वविद्यालय के अधिकारी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा-7 के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी अधिकारी और विनियम 3.01 के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।



16.02—(क) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकती है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यापेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

**टिप्पणी:—** विशेष सम्परीक्षा द्वारा धारा-33 (1) में प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रजात और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रजात या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक किसी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे और दिखाये जायेंगे।

(ख) खण्ड 16.02 (क) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष सम्परीक्षा के लिए निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है:—

(एक) जहाँ व्यय इन विनियमों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(दो) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलेखित कारणों के बिना कोई उच्च निविदा स्वीकार करने से हुयी हो;

(तीन) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इन विनियमों के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया हो;

(चार) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुयी हो;

(पांच) जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अनिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुयी हो।

(ग) उस अधिकारी की, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यापेक्षा पर विश्वविद्यालय उस सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधाएं देगा। उत्तर प्रदेश सरकार सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है यदि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से करने में असमर्थ रहा है।

**स्पष्टीकरण :** अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति किया जाना, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

16.03—विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात और स्पष्टीकरण पर यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है:

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति दुर्व्यय या दुरुपयोग की स्थिति में प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्त और पृथकतः उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी क्षति दुर्घट्य या दुरुपयोग होने से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकार न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो परघातवर्ती हो, किसी क्षति दुर्घट्य या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

18.04—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अधिभार के किसी आदेश से व्यक्ति कोई अधिकारी कुलाधिपति को ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। कुलाधिपति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश को पुष्ट, विखंडित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

18.05—(क) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अवसर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो या जैसा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति दी जावे, अधिभार की घनराशि का भुगतान करेगा।

परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अधिभार के आदेश के विरुद्ध विनियम 19.04 के अधीन कोई अपील की गयी हो वहाँ अपील करने वाले व्यक्ति से घनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियाँ कुलाधिपति द्वारा स्थगित की जा सकती हैं जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाये।

(ख) यदि अधिभार की घनराशि का भुगतान खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

18.06—जहाँ अधिभार के किसी आदेश पर पृच्छा करने के लिये किसी न्यायालय ने कोई याद संस्थित किया जाये और ऐसे याद में उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवादी हो, वहाँ याद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त लागतों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब से करे।

आज्ञा से  
वृन्दा सरूप,  
प्रमुख सचिव



**परिशिष्ट—क**  
**विन्यास निधि की दरें**

**विश्वविद्यालय में—**

बी० टेक पाठ्यक्रम (उपाधि).....	रु० दस लाख
बी० आर्क पाठ्यक्रम (उपाधि).....	रु० तीन लाख
फार्मसी पाठ्यक्रम (उपाधि).....	रु० तीन लाख
एम०सी०ए० पाठ्यक्रम .....	रु० पांच लाख
एम०बी०ए० पाठ्यक्रम .....	रु० तीन लाख
होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक. (उपाधि).....	रु० तीन लाख
अप्लाइड आर्ट्स पाठ्यक्रम (उपाधि).....	रु० तीन लाख

**ए०आई०सी०टी०ई० में—**

इंजीनियरिंग एवं टेक्नालोजी में डिग्री पाठ्यक्रम (उपाधि).....	रु० पैंतीस लाख
आर्किटेक्चर में उपाधि पाठ्यक्रम .....	रु० पन्द्रह लाख
फार्मसी में उपाधि पाठ्यक्रम .....	रु० पन्द्रह लाख
एम०सी०ए० पाठ्यक्रम .....	रु० पन्द्रह लाख
एम०बी०ए० पाठ्यक्रम .....	रु० पन्द्रह लाख
होटल मैनेजमेंट/कैंटरिंग टेक्नालोजी में उपाधि पाठ्यक्रम.....	रु० पन्द्रह लाख
अप्लाइड आर्ट्स एवं ग्राफिक्स इस में उपाधि पाठ्यक्रम .....	रु० पन्द्रह लाख

## परिशिष्ट-ख

## उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रतिभा प्रोत्साहन योजना नियमावली, 2003

- 1-संक्षिप्त नाम इस नियमावली को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रतिभा प्रोत्साहन नियमावली, 2003 कहा जायेगा।
- 2- प्रारम्भ यह नियमावली शैक्षणिक सत्र 2003-04 से प्रभावी होगी।
- 3- विस्तार यह प्रत्येक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से उपाधि चाहने वाले और/अथवा किसी महाविद्यालय/ संस्था से उत्तीर्ण हुए प्रत्येक विद्यार्थी पर लागू होगी।
- 4- परिभाषाएं इस नियमावली में जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो -
- क- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 से है।
- ख.- संक्षेपाक्षरः
- जीएटीई का तात्पर्य ग्रेजुएट एंटीट्यूड टेस्ट फार इंजीनियर्स से है।
- जीआरई का तात्पर्य ग्रेजुएट रिकार्ड इकजांमिनेशन से है।
- आईएस का तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा से है।
- आईईएस का तात्पर्य भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से है।
- यूपीएम-सीएटी का तात्पर्य यूपी मैनेजमेंट कम्बाइंड एडमिशन टेस्ट से है।
- ग- 'महाविद्यालय' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किसी विद्यालय से है।
- घ- 'शासी निकाय' का तात्पर्य नियम-7 के उपनियम (2) में सृजित समिति से है।
- ड.- 'प्रोत्साहन' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन स्थापित छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन से है।
- च- 'कार्य पालिका परिषद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की कार्य पालिका परिषद से है।
- छ- 'छात्रवृत्ति' का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम के एक वर्ष के दोनों सेमेस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक वर्ष के लिये टापरस को मासिक भुगतान से है।
- ज- 'योजना' का तात्पर्य नियम-5 के अधीन गठित प्रतिभा प्रोत्साहन योजना से है।
- झ- 'छात्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किसी संस्था/महाविद्यालय में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हुए छात्र से है।
- ञ- 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से है।
- ट- 'कुलपति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति से है।
- 5 प्रोत्साहन निधि का गठन प्रोत्साहन निधि अधिनियम की धारा-6 (ड.), 6 (ठ) और 30 (ज) के निबन्धन के अनुसार विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र से



विकास शुल्क के रूप में संग्रहित धनराशि से कटौती करके होगी। महाविद्यालय कार्यक्रम सेमेस्टर के लिये प्रत्येक वर्ष पंजीकरण के समय विकास शुल्क संग्रहित करेगा और तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा।

#### 6 प्रोत्साहन निधि का उद्देश्य

प्रोत्साहन निधि का उद्देश्य निम्नलिखित उपलब्ध करना होगा :-

- (क) यू०पी०टी०यू पाठ्यक्रम की प्रत्येक शाखा के टापरस को अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति।
- (ख) दशाओं के अनुसार यदि कोई हो तो प्रायोजित छात्रवृत्ति।
- (ग) विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी और अभ्यास/सोप क्रियाकलापों में अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के लिये प्रोत्साहन।
- (घ) निर्धन छात्रों की शुल्क मुक्ति।

#### 7- योजना का प्रशासन

- 1- योजना का प्रशासन विश्वविद्यालय में निहित होगा।
- 2- निम्नलिखित प्रकार से गठित शासी निकाय द्वारा योजना का प्रशासन किया जायेगा अर्थात्:-

(एक) कुलपति अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ

(दो) प्रति कुलपति सदस्य/उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ

(तीन) वित्तीय अधिकारी सदस्य/सचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ

(चार) कुलसचिव सदस्य

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ

(पांच) उत्तर प्रदेश सरकार के .....सदस्य

वित्त विभाग का प्रमुख सचिव

अथवा उसका नामनिर्देशित

(छः) उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक .....सदस्य

शिक्षा विभाग का सचिव/प्रमुख

सचिव अथवा उसका/उसकी नाम निर्देशित

(सात) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध .....सदस्य

किसी महाविद्यालय का एक

निदेशक

(आठ) परीक्षा नियंत्रक .....सदस्य

- 3- शासी निकाय में इंजीनियरिंग कालेज के निदेशक का कार्यकाल सामान्यतः किसी कैलेंडर वर्ष के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होकर एक वर्ष होगा। किसी सदस्य निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात निदेशक की सदस्यता प्रत्येक वर्ष महाविद्यालयों के समस्त निदेशकों के मध्य घातानुक्रम में होगा।

- 4- यदि नोटिंग के दिनांक को प्रतिकुलपति की नियुक्ति नहीं की जाती है अथवा वह अनुपलब्ध है तो कुलपति किसी महाविद्यालय के एक निदेशक को सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

8- अधिवेशन	एक वर्ष के दौरान शासी निकाय के कम से कम तीन अधिवेशन बुलाये जायेंगे किन्तु शासी निकाय का अध्यक्ष, किसी भी समय जब वह आवश्यक समझे निकाय का अधिवेशन बुला सकता है। एक अधिवेशन बुलाने के लिये कम से कम पन्द्रह दिनों का नोटिस अपेक्षित होगा।
9- कार्यवाहियाँ	निकाय के सचिव द्वारा शासी निकाय के अधिवेशन की कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जायेगा और पिछले अधिवेशन की कार्यवाहियों की पुष्टि निकाय द्वारा अगले अधिवेशन में करा ली जायेगी।
10- गणपूर्ति	शासी निकाय के अधिवेशन की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम एक सरकारी नाम निदेशिती को सम्मिलित करते हुए कम से कम पांच सदस्यों से होगी। अध्यक्ष की उपस्थिति में शासी निकाय के अधिवेशन की अध्यक्षता कुलपति करेगा।
11- कार्यालय	(1) शासी निकाय का कार्यालय विश्वविद्यालय में स्थित होगा। (2) शासी निकाय का सचिव उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का वित्त अधिकारी होगा और इसके लेखों के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक संपरीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।
12- आय-व्ययक	(1) सचिव द्वारा वार्षिक आय-व्ययक तैयार किया जायेगा और शासी निकाय के समक्ष उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। (2) नियम-5 के अधीन विकास निधि के रूप में छात्रों से संग्रहण का उपभोग नियम-6 के अधीन प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में और योजना के प्रशासन के लिये आवश्यक स्थापना और अन्य व्ययों के वहन के लिये किया जायेगा। (3) प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक के अनुमोदन के समय योजना, इस नियमावली में उल्लिखित प्रत्येक उद्देश्यों के लिये निधियां निर्धारित करेगी। (4) शासी निकाय इस नियमावली में उल्लिखित मानक के अनुसार छात्रों को प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति अनुमोदित करेगी। (5) नियम-6 और 13 में उल्लिखित प्रत्येक उद्देश्य के लिये निर्धारित निधियों का पुर्ननियोजन करने का शासी निकाय को अधिकार होगा।
13 सहायता स्वीकृत करने के मानक	विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहायता स्वीकृत करने के मानक निम्नलिखित होंगे :- छात्रवृत्तियां (एक) रू० 400.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष की विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रथम दो सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों को प्रदान की जायेगी। शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति बी० टेक० के प्रत्येक शाखाओं के साथ ही साथ बी० आर्क०, बी० फार्मा० और जैव प्रौद्योगिकी के छात्रों को दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर प्रतिवर्ष इस रूप में सम्मिलित धनराशि लगभग रू० 10.00 लाख होगी। (दो) एक रू० 500.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति एम० टेक० पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में सम्बद्ध महाविद्यालयों के एम० टेक० पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में प्रथम दो शीर्ष स्थान पाने वाले छात्रों को प्रदान किया जायेगा। सम्मिलित धनराशि सम्प्रति रू० 0.50 लाख के लगभग होगी।



(तीन) ₹ 500.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय के एमबीएड और एमसीएड के प्रथम वर्ष में प्रथम दो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को प्रदान की जायेगी और एमड टेकड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदान की जायेगी। वर्तमान में समग्र घनराशि ₹ 50.00 लाख की होगी।

#### प्रोत्साहन

(एक) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में बी0 टेकड/बी0 फार्मा0/बी0 आर्क0/बायोटेक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 100 तक उच्च स्थान पाने वाले एसआईई-यूपीटीयू के छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम तक के लिये परीक्षा शुल्क से मुक्ति का प्रोत्साहन दिया जायेगा, यदि वे बिना कृपाश के प्रत्येक वर्ष का पाठ्यक्रम प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करते रहेंगे।

(दो) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में एमबीएड/एमसीएड पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 20 तक उच्च स्थान पाने वाले एसआईई-यूपीटीयू के छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम के लिये परीक्षा शुल्क से मुक्ति का प्रोत्साहन दिया जायेगा, यदि वे बिना कृपाश के प्रत्येक वर्ष का पाठ्यक्रम प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करते रहेंगे।

(तीन) विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण होकर जीएटीई के प्रथम 10 उच्च स्थान पाने वाले प्रत्येक शाखा के छात्रों को ₹ 10,000.00 की समेकित घनराशि दी जायेगी।

(चार) पूर्व स्नातक जी0आर0ई0 के 2300 में से 2100 से अधिक अंक पाने वाले और विश्व के 20 सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में आमंत्रण प्राप्त करने वाले छात्रों को वार्षिक तक पहुंचने का एक और का हवाई जहाज का किराया दिया जायेगा।

(पांच) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के संयोजक सेवा आयोग (आईईएस आईएएस) में 1 से 20 तक के उच्च स्थान पाने वाले प्रत्येक छात्र ₹ 21000.00 की घनराशि प्राप्त करेंगे।

(छ) जी0एम0ए0टी0, सी0ए0टी0 के शीर्षस्थ स्थान पाने वाले छात्र ₹ 10,000.00 प्राप्त करेंगे, यदि वे उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।

(सात) एडवॉक जी0आर0ई0 के शीर्ष स्थान पाने वाले और शीर्षस्थ कम्पनी के सर्वोत्तम वेतन पाने वाले प्रत्येक रंग स्टू को ₹ 5100.00 दिया जायेगा।

(आठ) क्षैतिज रूप में (उत्तीर्ण प्रतिशत) और तर्ज रूप में सर्वोत्तम निष्पादन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के महाविद्यालयों के लिये (विश्वविद्यालय की स्थितियों) का विनिश्चय किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापकों को योग्यता प्रमाण पत्र और ₹ 10,000.00 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(नौ) किसी शाखा के सम्मान सहित उत्तीर्ण छात्र को, यदि वह शिक्षक के रूप में अपना कैरियर प्रारम्भ करता है, तो एमडटेकड, पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति दी जायेगी। छात्र को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान में भी भर्ती किया जा सकता है। अध्यापक के रूप में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में योगदान करने पर उसकी फीस लौटा दी जायेगी।

14- सहायता/ प्रतिकर की स्वीकृति	<p>(एस) जो छात्र किसी अन्य छात्र/छात्रों से कोई छात्रवृत्ति पा रहे हैं, वे विश्वविद्यालय नियमावली में छात्रवृत्ति के लिये हकदार नहीं होंगे।</p> <p>(1) शासी निकाय का सचिव प्रत्येक वर्ष योजना से वांछनीय छात्रों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिये अन्तिम दिनांक निश्चित करेगा।</p> <p>(2) योजना से छात्रों को प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र शासी निकाय के सचिव को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावेगा। यह आवेदक का उत्तरदायित्व होगा कि वह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/निदेशक से अपनी/अपने पहचान के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p> <p>(3) कुलपति शासी निकाय के सचिव के माध्यम से शासी निकाय के अनुमोदन से इसकी बैठक में प्रत्येक आवेदन पर वित्तीय सहायता/प्रतिकर स्वीकार करेगा।</p>
15 लेखा प्रक्रिया	<p>(1) योजना का लेखा शासी निकाय के सचिव द्वारा अनुरक्षित किया जावेगा।</p> <p>(2) वार्षिक रूप से उल्लिखित वस्तु पर व्यय प्राथमिक रूप में समुचित लघु/उपशीर्षक के अधीन दर्शाया जावेगा और उसकी पूर्ति अन्तिम रूप से योजना से योजना के नाम द्वारा की जावेगी।</p>
16 वार्षिक रिपोर्ट	<p>वार्षिक रिपोर्ट शासी निकाय के अनुमोदन और सत्यापन के लिये प्रस्तुत की जावेगी और जहाँ परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट की जावेगी।</p>



## परिशिष्ट-ग

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि नियमावली, 2003

	एफ0सी0 के रेस संख्या 03.10.03 दिनांक 18.11.03 द्वारा क्या अनुमोदित
	ई0सी0 के रेस संख्या-4 दिनांक 20.01.04
	समिति के रेस संख्या-6 व 7 द्वितीय बैठक दिनांक 27.07.04 समिति के रेस संख्या-4 तृतीय बैठक दिनांक 22.03.05
1- संक्षिप्त नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि नियमावली, 2003 कही जायेगी।
2- प्रारम्भ	यह नियमावली शैक्षणिक सत्र 2003-04 से प्रवृत्त हुई सम्झी जायेगी।
3- परिच्छेद	यह प्रत्येक महाविद्यालय पर और विश्वविद्यालय से उपाधि चाहने वाले प्रत्येक छात्र पर लागू होगी।
4- परिभाषाएं	इस नियमावली में जब तक कि सन्दर्भ अथवा विषय में अन्यथा कोई प्रतिकूल बात न हो- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 से है। (ख) 'दुर्घटना' का तात्पर्य हिंसात्मक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली छात्र की मृत्यु/स्थायी या अस्थायी निःशक्तता अथवा माता-पिता की मृत्यु कारित करने वाली किसी दुर्घटना से है। (ग) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से है। (घ) 'छात्र' का तात्पर्य महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र से है। (ङ) 'कार्य परिषद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है। (च) 'निधि' का तात्पर्य नियम-5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय छात्र कल्याण निधि से है। (छ) 'माता-पिता' का तात्पर्य छात्र के पिता/माता से है। (ज) 'निर्धनछात्र' का तात्पर्य ऐसे छात्र से है जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक (यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं) की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपरे 1.00 लाख से कम है और वह किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/सहायता नहीं प्राप्त कर रहा है और विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा (वार्षिक आधार पर) में 50 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किया हो। (झ) 'स्थायी अपंगता' का तात्पर्य छात्र की दोनों आंखों की दृष्टि की क्षति अथवा पूरे दोनों हाथों का भौतिक अलगाव अथवा पूरे दोनों पैरों का भौतिक अलगाव अथवा पूरे एक हाथ और पूरे एक पैर का भौतिक अलगाव अथवा एक आंख की दृष्टि की क्षति और कम से कम पूरे एक पैर का भौतिक अलगाव से है। (ञ) 'आंशिक अपंगता' का तात्पर्य एक आंख की दृष्टि की क्षति अथवा पूरे एक हाथ का भौतिक अलगाव अथवा पूरे एक पैर का भौतिक अलगाव। (ट) 'समिति' का तात्पर्य नियम-7 के उपनियम(2) के अधीन गठित छात्र कल्याण निधि समिति से है।

(ठ) 'छात्र' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र से है।

(ड) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से है।

(ढ) 'कुलपति' का तात्पर्य कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से है।

#### 5- निधि का गठन

अधिनियम की धारा-6 (ड) और 30 (ज) के निबन्धनों के अनुसार विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रत्येक छात्र से रू० 200.00 प्रति वर्ष की दर से छात्र कल्याण शुल्क के रूप में संग्रहित धनराशि से निधि गठित की जायेगी। महाविद्यालय विषम सेमेस्टर के पंजीकरण के समय यह शुल्क एकत्रित करेंगे और तुरन्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। विश्वविद्यालय किसी छात्र का कोई दावा ग्रहण नहीं करेगा यदि उनकी संस्था/महाविद्यालय उन छात्रों की निधि इस विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की फीस जमा करने के लिये देय दिनांक को या इससे पूर्व जमा नहीं करते हैं। उपरोक्त से अनाच्छादित ऐसे मामलों के लिये कोई दावा केवल संस्था/ महाविद्यालय द्वारा ही प्रतिकर के लिये विचार किया जायेगा। संस्था/महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त निधि फीस देय तिथि को या इससे पूर्व जमा करने में विलम्ब का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/महाविद्यालय का होगा और इस सम्बन्ध में किसी प्रतिकर के लिये विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

#### 6- निधि का उद्देश्य

निधि के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) इस नियमावली में यथापरिभाषित छात्र की स्थायी/पूर्ण/आंशिक अपंगता के कारण हिंसात्मक और दृश्यमान दुर्घटना की स्थिति में छात्र को प्रतिकर उपलब्ध कराना।

(ख) हिंसात्मक एवं दृश्यमान साधनों द्वारा किसी दुर्घटना में अथवा उसके कारण यदि छात्र की मृत्यु हो जाती है तो माता-पिता/अभिभावकों को प्रतिकर उपलब्ध कराना।

(ग) यदि पिता/कमाऊ माता-पिता की किसी दुर्घटना में अथवा उसके कारण या अन्यथा मृत्यु हो जाती है तो छात्र को उसका अध्ययन जारी रखने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

#### 7- निधि आदि का प्रशासन

(1) निधि का प्रशासन उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में विनिवेशित होगा।

(2) निधि का प्रशासन शासी निकाय द्वारा किया जायेगा जिसे छात्र कल्याण निधि समिति कहा जायेगा और जो निम्नलिखित प्रकार से गठित होगी:-

(एक) कुलपति..... अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

(दो) प्रति कुलपति.....सदस्य/उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

(तीन) वित्त अधिकारी.....सदस्य/सचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

(चार) कुल सचिव.....सदस्य

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ



- (पांच) उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त .....सदस्य  
विभाग का प्रमुख सचिव या उसका नाम निदेशिती  
(छः) उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक.....सदस्य  
शिक्षा विभाग का सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निदेशिती  
(सात) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय.....सदस्य  
लखनऊ से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का एक निदेशक  
(3) इंजीनियरिंग महाविद्यालय के निदेशक का शासी निकाय में कार्यकाल सामान्यतः किसी कैलेंडर वर्ष के प्रारम्भ होने वाले प्रथम दिवस से एक वर्ष होगा।  
(4) यदि प्रतिकुलपति नियुक्त न हो अथवा बैठक के दिनांक को अनुपलब्ध हो, तो कुलपति किसी महाविद्यालय के एक निदेशक को सदस्य के रूप में नामित का सकते हैं।
- 8- बैठकें एक वर्ष में समिति की कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जायेंगी, लेकिन समिति का अध्यक्ष जब वह आवश्यक समझे समिति की बैठक आयोजित कर सकता है। बैठक आयोजित करने के लिये कम से कम पन्द्रह दिनों की सूचना अपेक्षित होगी।
- 9- कार्यवाहियां समिति की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख, समिति के सचिव द्वारा रखा जायेगा और पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि समिति द्वारा अगली बैठक में की जायेगी।
- 10- गणपूर्ति समिति की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अलावा न्यूनतम एक सरकारी नामित सदस्य को सम्मिलित करते हुए चार सदस्यों का होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति की बैठकों की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
- 11- कार्यालय (1) समिति का कार्यालय उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थित होगा।  
(2) वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ समिति का कोषाध्यक्ष होगा और इसके लेखाओं के समुचित रख रखाव और वार्षिक समीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।
- 12-आय व्ययक और संग्रह निधि (1) वार्षिक आय-व्ययक सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।  
(2) नियम (5) के अधीन निधि में छात्रों से संग्रह और उस पर अर्जित ब्याज को नियम (6) के अधीन सहायता प्रदान करने के लिये उपभोग किया जायेगा और निधि के प्रशासन के लिए आवश्यक स्थापना और अन्य व्ययों का वहन करने के लिये भी उपभोग किया जायेगा।  
(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बची हुई धनराशि यदि कोई हो, निधि हेतु संग्रह का सृजन करने के लिये लम्बी अवधि की जमा के रूप में निवेशित की जायेगी। जब युक्ति-युक्त मात्रा में राग्रह निधि सृजित हो जायेगी और निधि की संग्रहित धनराशि की ब्याज से निधि के उद्देश्यों की पूर्ति करने की स्थिति में आ जायेगी तो विश्वविद्यालय निधि के लिये छात्रों से अग्रतर संग्रहण की निरन्तरता की समीक्षा कर सकता है।  
(4) प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक के अनुमोदन के समय समिति इस नियमावली में वर्णित प्रत्येक उद्देश्य के लिये निधियां निर्धारित करेगी।

13- सहायता स्वीकृत करने का मानदण्ड

(5) छात्रों एवं माता-पिता को इस नियमावली में वर्णित मानदण्ड के अनुसार समिति वित्तीय सहायता और प्रतिकर अनुमोदित करेगी।

(6) नियम-6 और 13 में वर्णित प्रत्येक उद्देश्य के लिये निर्धारित निधियों का पुनर्विनियोजन करने का समिति को अधिकार होगा।

विभिन्न उद्देश्यों के लिये सहायता स्वीकृत करने के मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :-

(1) इस नियमावली में यथापरिभाषित निर्धन छात्रों को फीस माफी दी जा सकेगी और एतद्वारा स्वीकृत आय-व्ययक की सीमाओं तक तत्समय प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) यदि दावा किया जाता है तो छात्रों और माता-पिता को जो किसी दुर्घटना में मरते हैं, नीचे दिये गये परिणामों के लिये प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

(क) रू० 1.00 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जिसके कमाऊ माता-पिता किसी दुर्घटना में अथवा अन्यथा मृत हो जाते हैं। ऐसे छात्र को नियम 13 (1) में यथापरिभाषित फीस माफी भी दी जायेगी और माता-पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू० 2.00 लाख से कम है और जीवित माता-पिता उपार्जन भी नहीं करते हैं।

(ख) ऐसे छात्र के माता-पिता को रू० 1.00 लाख का प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी दुर्घटना के कारण या अन्यथा मृत्यु हो जाती है। यदि माता-पिता की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू० 2.00 लाख से कम है।

(ग) रू० 1.00 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जो दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग हो गया हो।

(घ) रू० 0.50 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जो दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से अपंग हो गया है।

(3) रू० 0.50 लाख की धनराशि उस छात्र को संदत्त की जायेगी जिसके कमाऊ माता-पिता की मृत्यु दुर्घटना से भिन्न अन्यथा हो जाती है।

(4) उपनियम 2 (क) और 3 में उपबन्धित फीस माफी ऐसे सभी बालकों को उपलब्ध होगी जो उसमें अन्तर्निहित परिणामों के लिये माता-पिता की मृत्यु के दिनांक को छात्र है यद्यपि प्रतिकर की धनराशि को ऐसे समस्त छात्र/छात्रों में समान रूप से वितरित किया जायेगा लेकिन महिला छात्र यदि कोई हो, पूर्ण प्रतिकर प्राप्त करेंगी। यह सुविधाएं शैक्षणिक सत्र 2005-06 से उपलब्ध होगी।

(5) इस नियमावली में यथा परिभाषित निर्धन छात्र को शासी निकाय द्वारा अनुमोदित उपलब्ध आय-व्ययक के अन्तर्गत सहायता/पुस्तकीय सहायता एक मुरत दी जायेगी और यदि वह कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक वार्षिक आधार पर अर्जित करता है।

(6) उन्हीं छात्रों को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिनके माता-पिता की मृत्यु छात्र/छात्रा के विश्वविद्यालय में अन्तिम अध्ययन सत्र की समाप्ति से पूर्व होती है।

14- सहायता/प्रति कर की स्वीकृति

(1) समिति का सचिव प्रत्येक वर्ष निधि से निर्धन छात्रों को वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगा।



(2) निधि से निधन छात्रों को वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र समिति के सचिव को प्रपत्र संख्या सीकेएन-1 या सीकेएन-2, जो लागू हो पर प्रस्तुत किया जायेगा। यह आवेदक का उत्तरदायित्व होगा कि वह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे जो यह उपदर्शित करे कि आवेदक उस संस्था का नियमित छात्र है। वह यह भी इंगित करेगा कि आवेदक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति और इसकी धनराशि यदि कोई हो, अन्य स्रोतों से पा रहा है।

यदि अन्य स्रोतों से इस प्रकार की, रु० 50,000.00 प्रति वर्ष तक की सहायता छात्र को उपलब्ध है तो वह फीस माफी के लिये हकदार नहीं होगा।

(3) छात्र द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/निदेशक को सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी गरीबी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जो इसे विश्वविद्यालय/ समिति को अग्रसारित करेगा।

(4) आत्महत्या से मृत्यु के प्रकरण इस नियमावली से आच्छादित नहीं होंगे।

(5) शोध छात्र जो पूर्व से ही अन्यत्र नियुक्त और नियोजित हो इस नियमावली के कार्यक्षेत्र में नहीं आयेगे।

(6) दुर्घटना या अन्यथा में छात्र की मृत्यु की घटना में प्रतिकर केवल माता-पिता अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को ही दिया जायेगा।

(7) दुर्घटना में छात्र की मृत्यु अथवा माता-पिता की दुर्घटना या अन्यथा में मृत्यु की घटना में पूर्ण रूपेण भरा हुआ विहित प्रारूप पर और संस्था/महाविद्यालय द्वारा आवश्यक सम्पूर्ण संस्था/ महाविद्यालय के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित और प्रमाणित दरतावेजों के साथ अग्रसारित आवेदन, मृत्यु के दिनांक से 180 दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय पहुंच जाने चाहिए और तभी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिकर के भुगतान पर विचार किया जायेगा। 180 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में मानवीय आधार पर 365 दिनों तक विलम्ब क्षमा करने की शक्ति कुलपति में होगी।

(8) कुलपति के अनुमोदन पर पात्र अभ्यर्थियों को समिति का सचिव वित्तीय सहायता स्वीकृत करेगा और समिति की अगली बैठक में अनुमोदन प्राप्त करेगा।

15 लेखांकन प्रक्रिया

(1) निधि का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खोला जायेगा और समिति के सचिव द्वारा संचालित किया जायेगा।

(2) वार्षिक रूप में उल्लिखित वस्तु पर व्यय प्रारम्भ में समुचित लघु/उपशीर्षकों के अधीन दर्शाया जायेगा और उसकी पूर्ति अन्तिम रूप से निधि के नामे करके निधि से की जायेगी।

(3) निधि की धनराशि का समुचित और सामयिक विनिवेश अधिकतम व्याज संपादित करने के लिये किया जायेगा।

16- लेखाओं का रख-रखाव

निधि के लेखाओं का अनुरक्षण उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के वित्त अधिकारी अथवा समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा।

17 - वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन और सत्यापन के लिये समिति को प्रस्तुत की जायेगी और कार्य परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।

## परिशिष्ट—घ

विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के साथ करार पत्र

यह करार आज दिनांक.....20.....को श्री/श्रीमती/कुमारी प्रथम पक्ष तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कह्य गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया।

एतद्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है -

1- यह कि विश्वविद्यालय एतद्वारा श्री/श्रीमती/ कुमारी..... दिनांक से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता/ करती है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय को ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है, जिनकी उससे अपेक्षा की जाये, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की संपत्ति या निधियों का प्रबंधन और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्यचर्या या आचारिक कार्य-कलाप के संबंध में छात्र कल्याण की प्रगति सम्मिलित है और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जाये तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है जिनके अधीन उसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्सम रखा जाये और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय समय पर उसे संशोधित किया जाये पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु यह कि अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद स्वविवेकानुसार परीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2- यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3- अध्यापक के पद का जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान ..... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब वह अपने उक्त कर्तव्यों का प्रभार ग्रहण करता/करती है, उपर्युक्त वेतनमान.....में रुपये.....प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा और यह जब तक कि विनियमों के उपबंधों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहां दक्षता रोक के ऊपर अगली वेतनवृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतनवृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना नहीं दी जायेगी।

4- प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या विश्वविद्यालय के निकाय के जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों या अध्यादेशों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।



5- यह कि प्रथम पक्षकार एतद्द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय-समय पर उसे यथासंशोधित किया जाये, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6- यह कि किसी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त पुस्तकें, अभिलेख और अन्य वस्तुएं जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7- समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के विनियमों और अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे जिन्हें इसमें समाविष्ट किया हुआ समझा जायेगा और इस रूप में इस करार के भाग होंगे मानों वे इसमें प्रत्युन्मादित किये गये हों और उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगायी।

अध्यापक का हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले

वित्त अधिकारी का हस्ताक्षर

साक्षी

1.....

2.....

## परिशिष्ट -ड

## अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

चूंकि जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को संवर्धित करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता संबंधी नेतृत्व की अपनी भूमिका की पूर्ति, समर्पण, नैतिक सत्यनिष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना के माध्यम से उपदेश की अपेक्षा उदाहरण द्वारा अधिक कर सकता है:

अतएव अब उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता निर्धारित की जाती है कि इसका पालन सत्यतापूर्वक और निष्ठापूर्वक किया जाय:

- 1- प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।
- 2- कोई अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।
- 3- कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने विश्वविद्यालय के विरुद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।
- 4- कोई भी अध्यापक जाति, भत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर किसी शिष्य के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।
- 5- कोई भी अध्यापक यथास्थिति, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध विद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।
- 6- कोई भी अध्यापक यथास्थिति, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध विद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके संबंध में प्राधिकृत न हो।
- 7- कोई भी अध्यापक अन्य कोई व्यापार, अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएँ नहीं चलायेगा।
- 8- कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।
- 9- शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहां तक संभव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।
- 10- अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करने में निरत रहेगा।
- 11- प्रत्येक अध्यापक यथास्थिति विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध विद्यालयों के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।
- 12- लोकतंत्र, देशभक्ति और शांति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order to publication of the following English translation of notification no. 4209/sixteen-1-2010-1(9)-2003 dated November 9, 2010

No- 4209/ sixteen- 1-2010-1(9)-2003

Lucknow, Dated November 9, 2010

In exercise of powers under section 29 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 (U.P. Act no. 23 of 2000), the Governor is pleased to make the following first regulations of the Gautam Buddh Technical University, Lucknow.

## THE GAUTAM BUDDH TECHNICAL UNIVERSITY, LUCKNOW

### FIRST REGULATIONS, 2010

#### CHAPTER-I

#### PRELIMINARY

1.01 (1) These regulations may be called the *Gautam Buddh Technical University, Lucknow First Regulations, 2010*.

Short title and  
commencement  
Sec. 29 (1)

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

1.02 (1) In these regulations, unless the context otherwise requires-

Definitions

(a) '*Act*' means the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 as amended from time to time.

(b) '*Section*' means a section of the Act.

(c) '*University*' means the Gautam Buddh Technical University, Lucknow.

(2) Words and expression used in these regulations but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the *Act*.

#### CHAPTER-II

#### OFFICERS OF THE UNIVERSITY

2.01 The Chancellor may, while considering any matter referred to him under *Section 38*, call for such documents or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary and in any other case, may call for any document or information from the University.

The Chancellor  
Sec. 8 (4), Sec.  
30 (a)

2.02 Where the Chancellor calls for any document or information from the University under *regulation 2.01*, it shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that such document or information is promptly supplied to him.

2.03 If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor or any other Officer of the University willfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act, or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of such officer in the office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the said Officer in cases where he himself is the appointing authority or where the State Government is the appointing authority, direct such authority to remove the Officers.

2.04 The Chancellor shall have power to suspend such Officer during the pendency or in contemplation of any enquiry referred to in *regulation 2.03*.

2.05 The other powers of the Vice-chancellor shall be,-

Other powers of  
the Vice-  
Chancellor

(a) to call for such documents and information from any section or unit of the University in respect of any matter connected with teaching, examinations, research, finance, establishment, estate or any other matter affecting the functioning of the University,

Sec.10(8),  
Sec.30(a)

(b) to call for such documents and information from an University Institute, affiliated, autonomous, constituent or associated college in respect of any matter connected with faculty and other staff, teaching, examinations, research, finance or any other matter affecting the discipline or efficiency of the teaching and research in the college. The concerned college and its management shall be bound to furnish such information as have been called by the Vice-Chancellor,

(c) to instruct the University Institute, affiliated, autonomous, constituent or associated colleges to display any information related to teaching, examinations, research and development, students, public interest etc. in a format and in the written or electronic media as considered necessary and fit. The concerned college and its management shall be bound to display such information as have been called by the Vice-Chancellor.

(d) to organize and reorganize the sections and units of the University and to allocate and assign the work to employees and officers of the University and the employees, officers and teachers of the Colleges, in order to maintain the confidentiality or to bring the necessary swift and efficiency as considered fit and necessary,

(e) to consider appeals of students on compassionate grounds under special situations.

(f) to visit a college to examine any aspect of the functioning of the college with or without any prior information to the concerned college.

(g) to grant leave to any officer of the University as per provisions of leave rules and make necessary arrangements for discharging the functions of such officer during his absence from duty.

2.06 In case of emergency situations the Vice-Chancellor may make short term appointments for a period not exceeding three months at a time, of such persons as he may consider necessary for the proper functioning of the University on such honorarium as may be fixed by Executive Council.

The Pro-Vice-Chancellor  
Sec.30(a)

Other powers and  
functions of the Finance  
Officer

Sec. 12, Sec. 30(a)

2.07 The pro-vice-chancellor shall exercise such powers and perform such functions as provided in sub-section (4) of section-11 of the Act.

2.08 Besides the functions provided in the Act, the Finance Officer shall-

(a) prepare the Annual Accounts and the Budget of the University and present them to the Executive Council after their approval by the Finance Committee,

(b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and nonrecurring expenditure for the year do not exceed the respective pre-specified values, and the money is spent for the purposes for which it has been granted or allotted,

(c) keep a constant watch on the cash, and the bank balance and investments,

(d) to report to the Executive Council all contracts above Rs 50,000.

(e) to ensure that the funds of the University which were required to be invested are done so in a manner which benefits the University and on the recommendations of the Finance Committee.

(f) to ensure that the register of the buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date and that stock checking of equipments and other materials is conducted in the University annually,



(g) probe into any unauthorized expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate disciplinary action to competent authority against person(s) at fault,

(h) call from any office of the University, any information or reports that are considered necessary for the performance of his functions,

(i) call for the information or report from any affiliated or constituent college with regards to financial matter or otherwise which are considered necessary for the purpose of performance of his duties,

(j) advise in any financial matter either *suo moto* or on his advice being sought for,

(k) arrange for the conduction of Audit by the external agency as per provisions of *the Act*, and

(l) act as the Secretary of the Finance Committee also.

2.09 The Finance Officer shall be the drawing and disbursing Officer of the University funds.

2.10 The Finance Officer shall take part in the proceedings of the Executive Council but shall not vote.

2.11 The Finance Officer shall be responsible for the annual audit of accounts of the University as prescribed by sec. 32 of the Act.

2.12 The Finance Officer shall facilitate and ensure compliance of any directions by the State Government regarding special audits as described by sec. 33 of the Act.

2.13 The Finance Officer shall maintain the special funds created in the University like alumni fund, Chhatra Kalyan Nidhi, and any other special fund set up by the Executive Council in order to ensure that their accounts are maintained and that the said moneys are utilised for the purposes for which the funds were created.

2.14 The Finance Officer, subject to the provisions of the Act and Regulations, exercise disciplinary control over all employees in the audit and account section of the University below the rank of the Assistant Registrar (*Accounts*) and shall supervise the work of the Assistant Registrar (*Accounts*) and the Account Officer and suggest disciplinary action against the persons at fault.

2.15 The Finance Officer shall arrange the continuous internal audit of the accounts of the University and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf.

2.16 Any receipt given by the Finance Officer or by the person(s) duly authorized in this behalf by the Executive Council shall be sufficient discharge for the payments of money to the University.

2.17 When the office of the Finance officer is vacant or when the Finance Officer is on leave by reasons of illness, absence or due to any cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the office of Finance Officer shall be performed by an officer nominated by the Vice-Chancellor for this purpose.

2.18 Subject to the provisions of the Act and these regulations and the control of the Vice-Chancellor and the Executive Council, it shall be the duty of the Registrar,

The Registrar  
Sec. 13.  
Sec.30(a)

(a) to ensure the safe custody of the University records and the common seal of the University. To authenticate records on behalf of the University in respect of matters administrative, academic, legal, or any other matter on which the Chancellor or Vice-Chancellor of the University may so direct.

(b) to act as the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Executive Council. He shall be responsible for proper maintenance and up keeping of properties and assets of the University

(c) to be responsible for the preparation and submission of the University's Annual Report described under sec 31 of the Act.

(d) to issue notices for convening the meetings of the Executive Council and Academic Council of which he acts as secretary, and also the meetings of other bodies created by the Executive Council under section 18(j) of the Act, and shall cause the minutes of all such meetings to be kept.

(e) to conduct all the official correspondence on behalf of the University as may be decided by the Executive Council and the Vice-Chancellor.

(f) to be responsible for carrying out into effect the orders of various authorities of the University for which he shall be duly empowered.

(g) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, with the prior approval of Vice-Chancellor and Executive Council and to sign legal documents, and to verify pleadings thereof.

(h) to ensure that selection procedures in respect of the post of the university are carried out diligently and as per these regulations and rules thereof.

(i) to keep the Chancellor/ Vice-Chancellor of the University apprised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and shall be bound to place before the Executive Council all such information as maybe necessary for transaction of its business.

(j) to be responsible for carrying out the directions of the Executive Council and to report compliance thereof to the Executive Council

(k) to ascertain that the affairs of the University are being conducted as per the provisions of the Act and to bring to the notice, as the case may be, to the Executive Council, Vice-Chancellor and the State Government, of any deviation thereof.

(l) to ascertain the implementation of the anti-ragging measures in the University and to report any deviations to the Vice-Chancellor and the State Government forthwith.

(m) to facilitate any enquiry conducted by the State Government under Sec 25 of the Act and shall provide any information or document related to colleges and University thereof.

(n) to ensure that directions issued by the State Government under Sec 36A are placed before the Executive Council/ Vice-Chancellor forthwith and compliance of the same is reported to their State Government in a time bound manner.

2.19 The Registrar may be required to perform additional duties of administrative nature as required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor

2.20 (1) Subject to the provisions of the Act and regulations, the Registrar shall have disciplinary control over all employees of the University, other than the following, namely-



(u) Officers of the University;

(b) Teachers of the University, whether in relation to their work as teacher or while holding any remunerative office or in any other capacity such as invigilator or examiner.

(c) The Librarian.

(d) Officers in the Account & Audit Section.

(e) Employees of the Examination Section.

(f) Officers appointed to the posts of Deputy Registrar and Assistant Registrar.

(2) The power to take disciplinary action under sub regulation (1) of regulation 2.20 shall include the power to order dismissal, removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee referred in the said clause, and shall include power to suspend such employees pending, or in contemplation of an enquiry, if any.

(3) No order shall be made under sub- regulation (2) of regulation 2.20 except after an enquiry in which the employee has been informed of the charges against him and after an enquiry given reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. Where it is proposed after such enquiry, to impose on him any such major penalty he shall be given a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed.

2.21 When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is on leave by reasons of illness, absence or due to any other cause is unable to perform the duties of his office, the duties of the office of Registrar shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

2.22 The Controller of Examinations shall be responsible for the orderly and timely conduct of examinations of the University. He shall be responsible for due custody of records pertaining to his work. This includes all records related to the conduct of examinations and declaration of results.

The Controller of  
Examinations  
Sec. 14, Sec. 30(a)

2.23 The Controller of Examinations shall be responsible for preparing the examinations scheme both for theory and practical examinations and shall also be responsible to conduct the examinations as per scheme so prepared.

2.24 The Controller of Examinations shall notify the University examinations through an annual calendar of examinations within 2 months of new academic session with the prior approval of the Vice-Chancellor.

2.25 The Controller of Examinations shall fix the examinations centre and appoint centre superintendent(s) with the prior approval of the Vice-Chancellor.

2.26 The Controller of Examinations shall have powers to cause examination centre inspected by flying squad and observer.

2.27 It shall be the duty of Controller of Examinations to ensure free, fair and smooth conduct of examinations and declare results expeditiously.

2.28 The Controller of Examinations shall notify the results of the University examinations to the concerned colleges and also put the results in the public domain through the University website in an expeditious manner.

2.29 He shall ensure maintenance of the records related to the examination in an efficacious manner and through systems which enable quick retrieval.

2.30 The Controller of Examinations shall be the *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall conduct the examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for due execution of all processes connected therewith, subject to the superintendence of the Examinations Committee.

2.31 The Controller of Examinations shall maintain a database of students carrying back papers and shall inform the colleges and ensure that colleges adhere to the policy concerned thereof, as laid down by the Examinations Committee.

2.32 The Controller of Examinations shall forward name(s) of candidates for conferment of degree(s) except honorary degrees.

2.33 The Controller of Examinations shall appoint paper setters, tabulators / collators, moderators, observers and flying squads etc. with the approval of the Vice-Chancellor, and shall be the controlling officer with regard to T.A. and remuneration bills of examiners, paper setters, moderators and the persons invited for the purpose of the confidential works related to examinations.

2.34 The Controller of Examinations shall issue under the direction of the Vice-Chancellor, all notices convening meetings of board of examiners, board of moderators and of the committees appointed in connection with examinations and maintain the minutes of all such meetings. He shall act as member secretary of such committees.

2.35 The Controller of Examinations shall ensure that any malpractices related to examinations shall immediately be brought to the notice of the Examinations Committee and the Vice Chancellor and be suitably dealt with.

2.36 The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees of the examination section and have in this regard, all the powers of the Registrar as prescribed in the Act and regulations 2.27

2.37 The Controller of Examinations shall review from time to time the conduct of examinations of Autonomous colleges of the University in order to ensure that high standards of probity are being maintained in the examination systems of these colleges.

2.38 The Controller of Examinations shall superintend the tasks of all subordinate officers of the Controller of Examination branch of the University (eg. Addl/Joint/Deputy etc) and shall cause work to be distributed amongst them with the prior approval of the Vice Chancellor.

#### CHAPTER-III

3.01 Under clause(g) of section 7 of the Act, the following shall hereby declare to be the other officers of the University.

- (a) The Dean of Faculty
- (b) The Dean of Students Welfare
- (c) The Dean of Research & Development and Industrial Consultancy
- (d) The Dean of Post Graduate Studies and Research
- (e) The Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship
- (f) The Dean of Resource Generation and Alumni Relations
- (g) The Head of Department
- (h) The Librarian
- (i) The Law Officer

3.02 The office of the Dean of Faculty shall be at the University level as well as at the college levels.

3.03 For the office of the Dean of Faculty at the University level or the College level,

- (a) The Dean of Faculty shall be appointed in rotation from amongst the senior Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous, affiliated colleges or University Institutes having teaching experience of not less than ten years by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor,

Other Officers of The  
University  
Sec 7(g), Sec.15(g),  
Sec.30(a)

The Dean of Faculty



(b) In case of non-availability of a suitable candidate to act as the Dean of Faculty, the Executive Council may fill the position by assigning the task to any other Dean. The procedure of the selection will be as per norms and procedures applicable in case of a Professor.

(c) The teacher who is appointed as Dean of Faculty, shall act as the Dean of the Faculty in addition to his own duties.

(d) The term of office of the Dean of Faculty shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Faculty after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean.

3.04 For the office of the Dean of Faculty at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.05 The powers and function of the Dean of Faculty shall be as follows-

(a) The Dean of Faculty shall preside all meetings of the Board of Faculty and shall see that the various decisions of the Board are implemented.

(b) he shall be responsible for bringing the financial and other needs of the Faculty to the notice of the Vice-Chancellor.

(c) he shall take necessary measures for the functioning of libraries, laboratories and other assets of the departments of the colleges comprised in the faculty.

(d) he shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies pertaining to his faculty.

(e) he shall continuously study and prepare the progress report pertaining to his faculty.

(f) he shall prepare the requirements and allocation and reallocation of teachers in different areas of discipline.

(g) he shall look after the welfare aspects of the teachers pertaining to his faculty or college.

3.06 The office of the Dean of Students Welfare shall be at the University level as well as at the college level.

The Dean Of  
Students Welfare

3.07 For the office of the Dean of Students Welfare at the University level the college level.

(a) The Dean of students welfare shall be appointed in rotation from amongst the Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous and affiliated colleges having teaching experience of not less than ten years by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor,

(b) The teacher(s) who is (are) appointed as Assistant Dean(s) of Students Welfare, he/she shall continue to perform his/her duties as teacher.

(c) The term of office of the Dean shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Students Welfare after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean.

(d) The teacher who is appointed as Dean of Student Welfare shall act as the Dean of student welfare in addition to his own duties.

3.08 For the office of the Dean of Students Welfare at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.09 (a) The Dean of Students' Welfare shall be assisted by a set of teachers, who shall perform their duties in addition to their normal duties of teaching. The teachers so selected shall be called 'Assistant Dean of Students' Welfare'.

(b) One of the Assistant Deans of Students Welfare shall be appointed from amongst the lady teachers of University who shall look after the welfare of the girl students.

3.10 The powers and duties of the Dean of Students Welfare shall be as follows-

(a) The Dean of Students Welfare shall be responsible for all the aspects of welfare of students as may be determined by the Chancellor, Vice-Chancellor, the Executive Council, and any other appropriate authority of the University or the State or National bodies in this regard.

(b) he shall coordinate various extra and co-curricular events and activities aimed at overall development of the students.

(c) he shall have the overall control over the funds provided for the students' welfare and activities by the Governments, students, alumni and other donors as accepted by the Executive Council.

(d) he shall preside over or attend all such meetings that are related with the students' welfare and activities and will see that all the decisions are effectively implemented.

(e) he shall take necessary measures for the functioning of libraries, remedial courses etc. aimed at helping the students admitted under reserved categories.

(f) he shall continuously prepare and upgrade the plans of students' welfare.

(g) he shall be the main coordinating officer related to anti-ragging and anti-women harassment schemes and efforts of the University and colleges.

(h) he shall exercise general control over the superintendence of physical education, NCC, NSS, or any other facilities/activities related with students.

(i) he shall prepare the budget requirements related to students' welfare and other activities and provide the same to be included in the annual budget of the University or college.

(j) he shall communicate with the parents/guardians of a student in respect of any matter requiring his assistance, when necessary.

(k) he shall preside over such committees special or standing related to students discipline and shall advise the Vice-Chancellor in the matters related to actions against a student on disciplinary grounds.

(l) he shall perform all such other duties as may be determined by the Executive Committee or the Vice-Chancellor in this regard.

3.11 The office of the Dean of Research, Development and Industrial Consultancy shall be at the University level as well as at the college level.

3.12 For the office of the Dean of Research, Development and Industrial Consultancy at faculty/college of the University,

(a) The Dean of Research & Development and Industrial Consultancy shall be appointed in rotation from amongst the Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous and affiliated colleges having teaching experience of not less than ten years, by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.



(b) The term of office of the Dean of Research & Development and Industrial Consultancy shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Research, Development and Industrial Consultancy after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean;

(c) The teacher who is appointed as Dean of Research, Development and Industrial Consultancy, shall act as the Dean of Research & Development and Industrial Consultancy in addition to his own duties.

3.13 For the office of the Dean of Research, Development and Industrial Consultancy at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.14 The Dean of Research, Development and Industrial Consultancy shall have the following powers and duties:—

(a) The Dean of Research & Development and Industrial Consultancy shall be the overall coordinator for sponsored research activities and liaison with industries at the University and shall perform all such duties as may be determined by the Vice-Chancellor, Executive Council, Academic Council or any other appropriate authority of the University in this regard to make the sponsored research and industrial consultancy at the University and colleges a vibrant and useful for the technological development of the country;

(b) he will liaison with State Government agencies to explore and seek the projects and will prepare the necessary proposals and will carry out the required follow ups;

(c) he shall liaison with the national level sponsoring agencies governmental as well as non-governmental, other educational institutions and research organizations, to seek the opportunity of research and consultancy and will prepare the necessary proposals and will carry out the required follow ups;

(d) he shall seek the international collaborations for research and consultancy and will obtain the governmental approval wherever necessary. He will prepare the necessary proposals and will carry out the necessary follow ups;

(e) he will monitor the progress of the research and consultancy projects and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented. He will present the periodic progress to the appropriate authorities of the University;

(f) he will organize a research wing to explore the new areas of sponsored research. He shall liaison with various agencies and bodies in this regard;

(g) he shall be responsible to prepare a repository of the sponsored research and industrial consultancy completed at the University and colleges and will be responsible for information dissemination at the national as well as international levels;

(h) he shall be the nodal coordinator at the University level for all the sponsored research and industrial consultancy at various colleges and shall provide the necessary assistance and guidance to the colleges to encourage and promote such activities;

The Dean of Post  
Graduate Studies  
And Research

(i) he shall monitor the memoranda of understanding signed in this regard and will monitor their progress and report to appropriate bodies of the University;

(j) he shall also be responsible for the intellectual property rights related to overall research and technology transfer at the University;

(k) he shall perform all such other duties as may be determined by the Executive Council or the Vice-Chancellor in this regard;

3.15 The office of the Dean of Post Graduate Studies and Research may be at the University level as well as at the college level.

3.16 For the office of the Dean of Post Graduate Studies and Research at faculty/college of the University :—

(a) The Dean of Post Graduate Studies and Research shall be appointed in rotation from amongst the Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous and affiliated colleges having teaching experience of not less than ten years by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor;

(b) The term of office of the Dean of Post Graduate studies and Research shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Post Graduate Studies and Research after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean;

(c) The teacher who is appointed as Dean of Post Graduate Studies and Research shall act as the Dean of Post Graduate Studies and Research in addition to his own duties.

3.17 For the office of the Dean of Post Graduate Studies and Research at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.18 The Dean of Post Graduate Studies and Research shall have the following powers and duties :—

(a) The Dean of Post Graduate Studies and Research shall be the overall coordinator for post graduate studies and academic research at the University and shall perform all such duties as may be determined by the Vice-Chancellor, Executive Council, Academic Council or any other appropriate authority of the University in this regard to make the Post Graduate programme at the University and colleges a vibrant and reputed programme;

(b) he shall attend the meetings and establish the necessary coordination amongst the Boards of Studies and Examination Committee and other related bodies;

(c) he shall monitor the approved and existing programmes, and prepare the proposals for new Masters and other such academic programmes for the consideration of Academic Council and other appropriate authority of the University, and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented;

(d) he shall prepare the schemes for admission procedures for different Masters and Doctoral programmes keeping in view the trends at the national and international levels;

(e) he shall prepare the schemes for theory and practical examinations at the Post Graduate level courses;

(f) he shall plan and coordinate the thesis examinations both at the Masters as well as Doctoral levels in consultation with the Vice-Chancellor;



(g) he shall be responsible to prepare a repository of the Masters and Doctoral thesis completed at the University and colleges, and shall communicate about the thesis completed to appropriate bodies and societies for publication and information dissemination at the national as well as international levels;

(h) he shall be responsible for documenting all the national and international publications associated with the thesis;

(i) he shall perform all such other duties as may be determined by the Executive Committee or the Vice-Chancellor in this regard.

3.19 The office of the Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship may be at the University level as well as at the college level.

3.20 For the office of the Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship at faculty/college of the University:—

(a) The Dean of Under-Graduate Studies And Entrepreneurship shall be appointed in rotation from amongst the Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous and affiliated colleges having teaching experience of not less than ten years by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor;

(b) The term of office of the Dean of Under-Graduate Studies and Entrepreneurship shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean;

(c) The teacher who is appointed as Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship, shall act as the Dean of Under-Graduate Studies And Entrepreneurship in addition to his own duties.

3.21 For the office of the Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.22 The Dean of Under Graduate Studies and Entrepreneurship shall have the following powers and duties:—

(a) The Dean of Under-Graduate Studies And Entrepreneurship shall be the overall coordinator for under graduate studies, undergraduate academic research and promotion of entrepreneurship activities at the under graduate level at the University, and shall perform all such duties as may be determined by the Vice-Chancellor, Executive Council, Academic Council or any other appropriate authority of the University in this regard to make the Under Graduate programme at the University and colleges a vibrant and reputed programme;

(b) he shall attend the meetings and establish the necessary coordination amongst the Boards of Studies, Examination Committee, and other related bodies;

(c) he shall monitor the existing programmes, and prepare the proposals for new under graduate and other such academic programmes for the consideration of Academic Council and other appropriate authority of the University, and will carry out overall coordination to see that the decisions are implemented;

(d) he shall prepare the schemes for admission procedures for different under graduate programmes keeping in view the trends at the national and international levels;

The Dean of Under-  
Graduate Studies And  
Entrepreneurship



The Dean of  
Resource Generation  
And Alumni  
Relations

(e) he shall propose from time to time the necessary reforms for theory and practical examinations at the under graduate level courses for the consideration of appropriate authorities of the University;

(f) he shall be responsible to prepare a repository of the various academic and co-curricular achievements of the undergraduate students of the University both at national and international levels;

(g) he shall perform all such other duties as may be determined by the Executive Council or the Vice-Chancellor in this regard;

3.23 The office of the Dean of Resource Generation and Alumni Relations shall be at the University level as well as at the college level.

3.24 For the office of the Dean of Resource Generation and Alumni Relations at faculty/college of the University:—

(a) The Dean of Resource Generation And Alumni Relations shall be appointed in rotation from amongst the Professors in the Faculty of University or constituent, autonomous and affiliated colleges having teaching experience of not less than ten years by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor;

(b) The term of office of the Dean shall be three years unless determined earlier by the Executive Council or his retirement whichever is earlier. No person shall continue to be the Dean of Resource Generation and Alumni Relations after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Dean;

(c) The teacher who is appointed as Dean of Resource Generation and Alumni Relations, shall act as the Dean of Resource Generation And Alumni Relations in addition to his own duties;

3.25 For the office of the Dean of Resource Generation and Alumni Relations at the University level, the process of selection will be as decided by the Executive Council as per norms and procedures applicable in case of a Professor prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

3.26 Under the provisions of section 6(k) of the Act, that permits the University to receive gifts, grants, donations or benefactions from the State Government or Central Government and to receive bequests, donations or transfers of movable or movable property from testators, donors, or transfers, as the case may be, and to hold and manage the same. The position of the Dean of Resource Generation and Alumni Relations is created to give effect to some of these provisions and also to look after the alumni relations. The Dean of Resource Generation and Alumni Relations shall have the following powers and duties :—

(a) The Dean of Resource Generation And Alumni Relations shall be the overall coordinator for the gifts, grants, donations or benefactions etc. from various sources;

(b) he will liaison with various agencies and donors for generating the resources, and will prepare the necessary proposals and will carry out the required follow ups;

(c) he shall prepare and submit the utilization report of resources generated to various donors and agencies;

(d) he shall prepare the plans for utilization of all designated and non-designated donations and shall monitor the progress;

(e) he will procure the necessary permission and shall prepare proposals to issue the necessary certificates for income tax benefits to donors wherever applicable;



(f) he will organize and coordinate the network of the University alumni worldwide and will disseminate the University related information to them and shall receive the feedback from the alumni for short and long term development and progress of the University;

(g) he shall be responsible to raise the funds from alumni for different developmental projects the University;

(h) he shall monitor the memoranda of understanding signed in this regard and will monitor their progress and report to appropriate bodies of the University;

(i) he shall perform all such other duties as may be determined by the Executive Committee or the Vice-Chancellor in this regard.

3.27 The Head of the Department will ordinarily be appointed for a period of three years from amongst the professors and readers of the Department as per seniority by rotation and willingness of the person, unless otherwise specified by the Executive Council of the University. No person shall continue to be the Head after he/she has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of the Head.

The Head of  
Department

3.28 The University and the colleges there of shall be empowered to organize the teaching and research activities into academic departments on the basis of various degree programmes approved and being run there in.

3.29 Each department will have a Head of Department who shall :—

(a) provide the academic leadership to the department and contribute to the fulfillment of the objectives of the institution, and be overall responsible for the academic and other related activities to carry out the academic activities of the department;

(b) prepare the teaching and practical schedule and assign the teachers class rooms and laboratories and arrange for the procurement of the necessary consumables and non-consumables for teaching and research;

(c) shall arrange for practical training, if required, of the students in industry or research organizations;

(d) shall attend to the students and faculty problems related to the teaching and research ;

(e) be empowered to constitute the departmental level committees for any activities related to the department;

(f) shall send the nominations of the faculty and students for committees at the college level;

(g) shall assist the Principal/Director of the college in the recruitment of staff and faculty as per existing provisions;

(h) shall assist the Principal/Director of the college in any matter called for;

(i) prepare the repository of accomplishments of the department;

(j) be the disciplinary officer for all the teachers and staff working in the department;

(k) have the overall control over the funds provided for the department and will be responsible for ensuring that the said fund is properly utilised;

(l) preside over or attend all such meetings that are related with the departmental activities and will see that all the decisions are effectively implemented;

3.30 The teacher who is appointed as Head of the Department shall continue to perform his/her duties as a teacher.

## The Librarian

3.31 (1) The University may, with prior approval of the Executive Council, appoint a full time Librarian on the recommendations of Selection Committee consisting of the following :—

1. The Vice-Chancellor
2. Two experts in the Library Science to be nominated by the Executive Council.
3. Two representatives, Scheduled Caste/Schedule Tribes and Other Backward categories one from each category nominated by the Vice-Chancellor.

(2) Until Librarian is appointed under sub-regulation(1) or assumes charge of his office, the Vice-Chancellor may appoint an Honorary Librarian from amongst the Officers of the University for such period as he thinks fit.

3.32 The qualifications of Librarian shall be such as may be prescribed by the Executive Council.

3.33 Emoluments of the Librarian shall be such as may be approved by the Executive Council.

3.34 It shall be the duty of Librarian to maintain Library of the University and to organize its services in the manner most conducive to the interest of the teaching and research.

3.35 The librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor.

## The Law Officer

3.36 The University may, with prior approval of the Executive Council, create a Legal Cell to

- (a) deal with all the legal cases against and by the University;
- (b) advise the University on legal matters related to University based on the cases and judgments of various courts and announcements from various government bodies ;
- (c) to provide opinion on the matter pertaining to the interpretation of the Act and these Regulations ;
- (d) to provide the legal assistance in framing the regulations and ordinances, etc.

3.37 The University may, with prior approval of a post created in the State Government, appoint a full time Law Officer in the rank of Deputy Registrar. The Law Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendations of a selection committee to be constituted by the Executive Council, as per terms and conditions determined by the Executive Council.

3.38 The Law Officer shall work under the supervision and control of the Registrar.

3.39 The qualifications and experience of the Law officer shall be such as may be determined by the Executive Council.

3.40 The expenses of the Law Officer shall be met from the funds of the University.

## CHAPTER-IV

## AUTHORITIES AND BODIES OF THE UNIVERSITY

The Executive Council  
Sec. 16(a), Sec. 17  
& Sec. 18

4.01 The term of office of members of the Executive Council mentioned in clauses (h), (i) and (j) of sub-section (1) of section 17 of the Act shall commence from the date of nomination, as such.

4.02 No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and whenever a person becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall within two weeks thereof choose the capacity in which he desires to be member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.



4.03 Nine members of the Executive Council including the Vice Chancellor shall form the quorum for a meeting of the Executive Council.

4.04 The Director/Principal of an Institute or Constituent College of the University, shall be a permanent invitee to the Executive Council of the University.

4.05 The Executive Council shall prescribe the qualifications and terms of appointments for the posts created in the University.

4.06 The Executive Council shall prescribe qualifications and emoluments of the teachers and the fee payable to the examiners after considering the advice of the Academic Council.

4.07 The members of the Executive Council shall be entitled for such travelling and other allowances on attending the meeting as may be fixed by the Executive Council from time to time.

4.08 The Council shall appoint, whenever necessary, Inspector or Board of Inspectors for inspecting colleges and Institutions applying for increase in intake and/or seeking affiliation of the University.

4.09 (a) The Council shall approve the modes of financial resources generation including grants, donations and savings etc ;

(b) The Council shall prescribe and approve the mode of utilization and investment of savings/reserve funds/surplus (corpus) available at the University.

4.10 The Council shall exercise all the powers of the University not otherwise provided by the Act, Regulations, and Ordinances for the fulfilment of the objects of University.

4.11 The Academic Council shall report on any matter referred or entrusted to it by the Executive Council.

4.12 Subject to the provisions of the *Act* and *Regulations*, the Academic Council shall have the following powers:

(a) to advise with regard to creation and abolition of posts of teachers in the University and colleges, and emoluments and duties attached to it;

(b) to formulate, modify or revise and report to the Executive Council as to the expedience of the abolition, reconstitution or division of any faculty or amalgamation of one or more faculties;

(c) to promote research and consider proposals submitted by faculties/colleges/ teachers in this regard;

(d) to recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions;

(e) to advise special arrangements, if any for the teaching of female students and students of weaker section of society;

(f) to advice for the establishment of Colleges, Departments and Institutions;

(g) to recommend to the Executive Council for the Ordinances regarding examinations of the University;

(h) to prepare Academic calendar.

(i) to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, certificates, titles and honours to the Executive Council;

(j) to scrutinize and make its recommendations on proposals submitted by the Board of Studies through the Faculties in regard to the courses of study and publish the same with the approval of Executive Council;

The Academic Council

Sec. 16 (b) & Sec.19

(k) to appoint committees for the admission of the University.

(l) to prescribe qualifications for admission and enrolment of students in the University.

(m) to implement the recommendations made by Executive Council.

(n) to appoint experts committee to restructure syllabus and present it in board of studies.

(o) to appoint person(s) from industry for teaching in the University and its affiliated institutions and also allow teacher(s) of the University and its affiliated institutions to serve in industries for the period specified in such appointments in the interest of academics.

(p) to perform, in relation to academic matters, all such duties and do all such act as may be necessary for the proper execution by carrying out of the provisions of the Act and the Regulations.

4.13. The meetings of the Academic Council shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor.

4.14. The Registrar shall act as the *ex-officio* Secretary of the Academic Council. In the absence of the Registrar, the Deputy Registrar (Academics) shall discharge these functions.

4.15. The Annual Account and final estimate of the University shall be considered by the Finance Committee and will thereafter be submitted to the Executive Council for approval.

4.16. The Annual Accounts and the budget of the University for the next Financial Year shall be submitted before the Finance Committee for consideration and thereafter submitted to the Executive Council for its approval.

4.17. If the Executive Council, at any time after the consideration of the annual financial estimate (*i.e.*, the budget) proposes any revision thereof involving recurring or non-recurring expenditure of the amount, it shall be referred to the Finance Committee.

4.18. The item of new expenditure not already included in the financial estimate shall be referred to the Finance Committee.

4.19. The Finance Committee shall meet at least twice every year to examine the accounts and to scrutinize proposal for expenditure.

4.20. The members of the Finance Committee other than the *ex-officio* members, shall hold office for a term of two years from the dates on which they become members of the committee.

4.21. The meeting of Finance Committee shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor and all notices for functioning such meetings shall be issued by Finance Officer, who shall keep the minutes of all such meetings. The Finance Officer shall be an *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

4.22. The Finance Committee shall be responsible for examining, managing and recommending decisions on financial matters provided in clauses (g) & (k) of section 6 to the Executive Committee of the University.

4.23. For purposes of action under regulation 4.22 the Executive Council shall set up a University fund in which all accruals of funds to the University shall be credited to the University account, which shall be called the University Fund and shall be maintained in a nationalised bank.

4.24. The finance committee shall have following powers and duties :-  
The finance committee shall ensure that,--

(i) the University Fund shall be spent for purposes of functioning of the University;

The Finance  
Committee  
Sec.16(c) &  
Sec.20(3),  
Sec. 12(7), Sec.  
30(a)



(ii) the first charge on University Fund will be for the salary of University functionaries including University Institutes and Constituent Colleges of the University;

(iii) The University Fund will also be used for the following :—

(a) for TA/DA, and other personnel related payments like medical reimbursement etc of the University staff; University Institutes, Constituent Colleges as per rules approved by the Executive Council;

(b) setting up and augmenting the University infrastructure;

(c) for purposes of programmes for development of academic standards in the University as stipulated by the Executive Council;

(d) setting up of University Institutes;

(e) augmenting infrastructure of Constituent Colleges;

(f) augmenting academic related infrastructure of Associated Colleges;

(g) for purposes of research and post graduate programmes as determined by the Executive Council of the University;

(h) investments of surplus funds in fixed deposits or investment schemes which are approved by the Executive Council on the recommendations of the Finance Committee;

(i) for creating a Corpus Fund for the University, with annual contribution of surplus funds for the University, for purposes of a back up of resources for the University;

4.25. Except for purposes of clause (ii) sub clause (a) of clause (iii) of regulation 4.24 all other expenditures covered under clause (iii) of regulation 4.24 shall met with the approval of the Executive Council;

4.26 The Executive Council may however, for special purposes e.g. : alumni contribution, Uttar Pradesh State Entrance Examination, Student Welfare Funds etc., keep separate accounts, which may be notified as Special Funds for that purpose. The Finance Committee shall be responsible for managing such funds under sub-section (3) of the section 20 with the following provisions :-

(i) Funds accrued on account of the Uttar Pradesh State Entrance Examination would be utilised for purposes of the Uttar Pradesh State Entrance Examination itself.

(ii) Any surplus generated in this fund could be utilised for purposes of infrastructure and academic development of University Associated Colleges in the Government sector and for academic purposes of the University itself, with the prior sanction of the State Government.

(iii) Disbursals from other Special Funds set up by the University as notified under regulation 4.26 above, shall be as per rules laid down by the Executive Council.

4.27. The Examination Committee shall consist of the following members :-

(a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of the Examination Committee;

(b) Two Professors of the University faculty/constituent institutions nominated by the Vice-Chancellor;

(c) Two Professors of the affiliated college(s) appointed by the Vice-Chancellor;

(d) Two persons of academic eminence and not from the University nominated by the Vice-Chancellor;

(e) The Controller of Examinations *ex-officio* Secretary.

The Examination  
Committee  
Sec. 16 (d),  
Sec. 21

4.28. The Examination Committee shall meet from time to time as called by the Vice-Chancellor.

4.29. The Vice-Chancellor may invite any expert to the Examination Committee as deemed fit. The Registrar of the University shall be a permanent invitee to the Examination Committee.

4.30. The Examination Committee will make recommendations to Academic Council regarding conferment or grant of degrees, honours and titles.

4.31. For smooth conduct of examinations, all the properties and staff of affiliated colleges shall be deemed to be under the administrative and disciplinary control of the Examination Committee and shall be utilized for conduct of examinations.

4.32. The Examination Committee may, on the recommendations of the sub committee constituted for such purposes, debar an examinee from appearing in any examinations if in the opinion of the Committee, such examinee was guilty of misbehaviour or of using unfair means at any examination conducted by the University.

4.33. The meetings of Examination Committee shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor and all the notices for such meetings shall be issued by the Controller of Examinations, who shall keep the minutes of all such meetings. The Controller of Examinations shall be the *ex-officio* Secretary of the Examination Committee.

4.34. The Examination Committee should lay down a policy for carry over examinations in such a manner that the students are not burdened by backlog papers beyond the penultimate year of the course completion.

#### CHAPTER-V

#### OTHER AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

The authorities of mentioned in this chapter shall be declared to be the other authorities of the University

A - The Faculties  
Sec.16(e), Sec. 22

5.01 In accordance with the scope and disciplines of the technical education as described in Section 2(g) of the Act, the University shall have the following faculties:

- (a) Faculty of Engineering and Technology;
- (b) Faculty of Architecture, Planning and Physical Development;
- (c) Faculty of Pharmacy;
- (d) Faculty of Management;
- (e) Faculty of Computer Applications;
- (f) Faculty of Arts and Visual Communication;
- (g) Faculty of Applied Sciences;
- (h) Faculty of Teaching.

5.02. The Board of Faculty for each faculty shall be constituted as follows:

(a) The Dean of Faculty who shall be the Chairman of the Board of Faculty;

(b) Chairman/Convener of each Board of Studies belonging to the Faculty as member of the Board of Faculty;

(c) One Professor, one Assistant Professor and one Lecturer from each Board of Studies, other than its Chairman, from the University Institutes/Constituent Colleges/Affiliated or Associated Colleges nominated by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor, provided that not more than one shall belong to the same subject from the same college;



(d) Three Experts of repute from eminent Institutions, research organizations and industry, who are not in the service of the University or any of its affiliated colleges, with specialization in the areas of study associated with the faculty, to be nominated by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.

5.03. (a) Members of the Board of Faculty other than ex-officio members shall hold office for a period of three years and cease to be member whenever he ceases to hold the post by virtue of which he came in the Board.

(b) The meetings of Board of Faculty shall be convened under the directions of its Chairman.

5.04. Subject to the provision of these regulations, the Board of each Faculty shall have the following powers-

(a) to consider the proposals regarding the Ordinances, Scheme of Examination and Courses of Study submitted by respective Board of Studies under its domain and make recommendations after modifications, if needed, to the Academic Council for approval.

(b) to make recommendations to the Academic Council regarding the teaching and research work of the Boards of studies concerned.

(c) to consider and recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work which may appear to it necessary and on any matter referred to it by the Academic Council.

5.05. The University, in addition to the Board of Faculties, shall have the 'Boards of Studies' for each of the subjects with degree programmes and a Constituted Faculty.

B- Boards of  
Studies  
Sec. 16(e), Sec. 22

5.06. The Board of each Faculty other than Faculty of Engineering and Technology may have one Board of Study.

5.07. The Boards of Faculty of Engineering and Technology shall have the following Board of Studies.

(a) Board of Study of Civil Engineering.

(b) Board of Study of Chemical Engineering and Technology.

(c) Board of Study of Computer Science & Engineering and Information Technology.

(d) Board of Study of Electrical Engineering.

(e) Board of Study of Electronics Engineering.

(f) Board of Study of Mechanical Engineering.

(g) Board of Study of Textile & Carpet Technology.

(h) Board of Study of Applied Science and Humanities.

(i) Board of Study of other technology disciplines.

(j) Board of Study of Management Studies.

5.08. The Board of Studies shall be constituted as follows:—

(1) One senior teacher not below the rank of Professor in the subject shall be appointed as Chairman by the Vice-Chancellor.

(2) Five senior teachers from the University or affiliated colleges having at least five years teaching experience, nominated by the Vice-Chancellor from the categories of Professor, Reader/Assistant Professor and Lecturer. Provided that at least one person shall belong to each category and no two teachers shall belong to the same college.

(3) Three persons possessing expert knowledge of the subject, not in the service of University or any of its colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor from eminent Institutions, Research organizations and Industry.

5.09. The Board of Studies shall assist the Board of Faculty regarding the course of studies in the respective subjects.

5.10. The Board of Studies shall propose the list of Examiners to the Examination Committee.

5.11. (a) The member of Board of Studies shall hold the office for a period of three years.

(b) The meetings of Board of Study shall be convened under the directions of its Chairman/Convener of Board of Studies or the Vice-Chancellor.

## CHAPTER-VI

### AFFILIATION

Affiliation of New  
Colleges

Sec. 23, Sec. 30

6.01. (a) Every application for affiliation of a college as an Affiliated College shall be made so as to reach the University not less than six months before the commencement of the session in respect of which the recognition is sought.

Provided that the Executive Council may, in special circumstances, reduce the said period in the interest of higher technical education to such extent as deemed necessary.

(b) Every application for recognition of a college shall be accompanied by the letter of approval from All India Council for Technical Education alongwith a Bank Draft payable to the University, for a non refundable sum of Rs. 5,000/- or more as may be notified by the University.

(c) Before an application for recognition is placed before the Executive Council, the Vice-Chancellor must be satisfied with regard to the following :—

(i) that the institution satisfies the demand for technical education in the Locality.

(ii) that the Management concerned has provided following as per prevalent norms of All India Council for Technical Education:-

1. suitable and sufficient building and covered area.
2. adequate library, furniture, stationery, equipment and laboratory facilities.
3. contiguous specified area of land conclusive for Education purposes.
4. facilities for health and recreation of the students.
5. funds for the payment of salary and allowances to the employees of the college.

6.02. If the Vice-Chancellor is satisfied with clauses (b) and (c) as described above, he shall appoint a Panel of Inspectors to inspect the college and make a detailed report on all relevant matters. For the purposes of inspection the management has deposit Rs. 50,000/- as inspection fees/or an amount as duly notified by the University.

6.03. Ordinarily all inspection shall be completed within 3 months of the receipt of an application for recognition. The process of grant or refusal of application should ordinarily be completed before April 30<sup>th</sup> of the year in which it is proposed to start the classes.

6.04. The Executive Council shall constitute a Committee for Recommending Affiliations of colleges which shall be headed by the Vice-Chancellor and include at least one Director/Principal of an Autonomous College by rotation and one representative of the State Government Department of Technical Education. The Vice-Chancellor shall nominate two other senior Deans of the University on this Committee.



6.05. The recommendations of Affiliation Committee shall be forwarded by the University to the State Government as per requirements of Sec. 23(2) of the Act.

6.06. Upon receipt of the State Government approval, the Executive Council of the University shall grant the privileges of Affiliation/enhance privileges of Affiliation of the college concerned. No affiliation shall be granted by the Executive Council unless it is satisfied as per norms of All India Council for Technical Education.

6.07. The University may grant affiliation to colleges for a period of 3-5 years as the case may be, based on a criteria of high academic performance and transparent management practices, with prior approval of the State Government.

6.08. Where the affiliation to a college is granted subject to certain conditions, the college shall not admit or register students unless the Vice-Chancellor after due inspection has issued a certificate.

6.09. For every college (other than a college exclusively maintained by the State Government or by a local authority), the management shall deposit a sum to the University as endowment funds as per norms decided from time to time. The prevailing amounts of endowment funds are annexed as 'Appendix-A'. These funds shall not be alienated so long as the college continues to exist.

6.10. Every application for affiliation of colleges for new courses or additional seats in existing courses, shall be made so as to reach, the University before the 31st of December of the preceding academic session with a fees mentioned in clause 7.06(2) afresh.

6.11. No application for affiliation in a new subject shall be considered unless a certificate in writing is issued by the Registrar to the effect that the conditions of affiliation and/or previous affiliation have been fulfilled in total.

6.12. Every affiliated college shall strictly observe the rules laid down by the University regarding admission to colleges and disciplines.

6.13. Every affiliated college shall make available to the University a list of its buildings, libraries and laboratories with their equipments and apparatuses and also the services as such of its teaching and other staff as may be necessary for the purposes of conducting the University Examinations.

6.14. Every affiliated college shall have its own staff and teachers having such qualifications who shall be given such grades of pay, and be governed by such other conditions of services as may be laid down from time to time in the Ordinances and All India Council for Technical Education in that behalf:

*Provided that* no ordinances relating to grades of pay and qualifications shall be made without the prior approval of the State Government.

6.15. When the office of Principal/Director of an affiliated college/institutions falls vacant, the management may appoint any teacher to officiate as Principal/Director for a period of three months or until the appointment of a regular Principal/Director, whichever is earlier. If on or before the expiry of the period of three months, any regular Principal is not appointed, or such a Principal does not assume the office, the senior-most teacher in the college shall officiate as Principal/Director of such college / institution until a regular Principal/Director is appointed.

6.16. (a) Every affiliated college shall maintain the registers required for affiliated colleges and shall from time to time furnish to the University returns in such forms as may be required by the University.

(b) Every affiliated college shall be required to maintain its websites and upload the college related data in the format as prescribed by the University from time to time.



6.17. (a) Where the Executive Council or the Vice-Chancellor causes any affiliated college to be inspected the college may be communicate the result of such inspection together with the views thereon and direct the management regarding the action to be taken.

(b) Where the management of an affiliated college does not take action to the satisfaction of the Executive Council, it may after considering any explanation furnished or representation made by the management issue such directions as it may think fit, and the management shall comply with such directions failing which the Executive Council may proceed to take action under or in accordance with regulation 7.28.

6.18. Information regarding all posts in the teaching staff of the college that fall vacant temporarily or permanently shall be communicated to the University within 15 days of their falling vacant.

6.19. The number of students in a class or section in an affiliated college shall not, except with previous permission of the All India Council for Technical Education exceed the sanctioned strength.

6.20. The Executive Council may decrease the next year intake of the course(s) of the affiliated college up to a number which it thinks as a penalty for errors committed by the college in any academic year or even the college may be fined monetarily.

6.21. Continuance of affiliation shall depend on continued fulfillment of conditions laid down by the University.

6.22. An affiliated college shall be deemed to have been de-affiliated if it fails to send up any candidate for an examination conducted by the University for three successive years.

6.23. Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may, however, be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to the satisfaction of the Executive Council.

6.24. If a college disregards the requirements of the University regarding the fulfilment of the conditions of affiliation and fails to fulfil the conditions in spite of notice issued by the University, the Executive Council may with the previous sanction of the State Government, suspend the affiliation till the conditions are fulfilled to the satisfaction to the Executive Council.

6.25. (a) The Executive Council may, with the prior sanction of the State Government, deprive an affiliated college of the privileges of recognition either wholly or partly for any degree of subject, if it fails to comply with the direction of the Executive Council or to fulfil the conditions of recognition or for gross mismanagement, or if for any other reason the Executive Council is of opinion that the college should be deprived of such affiliation.

(b) If the salaries of the staff are not paid regularly, or if the teachers are not paid their salaries to which they were entitled under the Regulations or the Ordinances, the college does not take within a specified period, such action as is required, would be liable to withdrawal of recognition within the meaning of the Regulations.

6.26. The Executive Council shall, before taking any action under the preceding Regulations call upon a college to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in the conditions of recognition etc.

6.27. If any affiliated college is seeking deaffiliation or closure of existing courses, it can apply to the University which, after examining the merits of the case, especially from the point of view of future of the students involved, shall with the prior sanction of the State Government, deaffiliate the college or allow the closure of courses, through a decision of the Executive Council.

Withdrawal of  
Affiliation  
Sec. 30(e) & Sec.  
30(x)



6.28 Whenever there is a dispute regarding the management of an affiliated college, persons found by the Vice-Chancellor to be in actual possession and control of the college properties may, for purposes of the Act and these Regulations, be recognized to constitute the management of such college until a court of competent jurisdiction orders otherwise :

*Provided that* before making an order under this provision, the Vice-Chancellor shall afford an opportunity to the rival claimants to make written representations.

6.29. (a) The Management of an affiliated college desirous of obtaining the privileges of an autonomous college shall apply to the University specifying clearly the following-

Manner of  
granting the  
privileges of an  
autonomous  
college  
Sec.26 (a)

(i) the variation proposed in or from the course of study prescribed by the University including the institution of a course in a subject not provided for by the University and the substitution of a course for the one prescribed by the University;

(ii) the manner in which the college proposes to hold examinations in the courses so varied;

(iii) the details of its finances and assets the strength and qualifications of its teaching staff, the faculties available for the advance research work already done, if any.

(b) No application under clause (a) shall be entertained unless the college satisfies the following conditions-

(i) it has well established department of teaching so as to be capable of imparting instruction up to the post-graduate stage.

(ii) it has or is likely to have adequate and well qualified teaching staff.

(iii) the Principal or Director is a teacher or scholar of outstanding merit and possesses administrative experience.

(iv) it possesses adequate and satisfactory buildings for all teaching and tutorial purposes and for housing the library, class rooms, the laboratories and has land for future expansion.

(v) it has a good library and has or is likely to have provision for its regular development.

(vi) it has, well equipped laboratories, if necessary, for the subject taught therein, and has or is likely to have adequate provisions for new acquisitions and replacements.

(vii) the management possesses adequate resources for meeting the extra expenditure involved in the college on attaining the status of an autonomous college.

(c) Every application under Sub clause (a) shall be accompanied by a Bank Draft payable to the University for a sum of Rs. 5000 which shall be non-refundable. If the University intends further to inspect the Institution, a sum of Rs. 50,000 is payable as inspection fee (or an amount as duly notified by the University).

(d) (i) Every application under Clause (a) shall be referred to a Standing Committee on Academic Autonomy constituted by the VC for the scrutiny of proposals within 15 days of receipt. This Committee shall include eminent academicians and experts of which at least two shall be from outside the University. The Board of Studies concerned and the Examination Committee of the University may render suggestions, if necessary, under scrutiny, to the Committee on Academic autonomy.

(ii) If the reports of the Committee are favourable, the Executive Council shall appoint a panel of experts (not exceeding five members) to inspect the college and report on its suitability for being granted academic autonomy in the course of study/studies concerned.

(e) The report of the panel of experts shall be considered by the Academic Council, and shall be laid before the Executive Council together with their views.

(f) (i) after considering the recommendation of the panel of experts and the views of the Academic Council, referred to in *sub clause (e)*, if the Executive Council is of opinion that the college is entitled to the privileges mentioned in *Section 26A*, it shall submit its proposal to the Chancellor.

(ii) on receipt of the proposal and other connected papers under clause f(i) and after making any such enquiry or obtain expert advice as he may consider necessary, the Chancellor may approve the proposal or reject it.

(g) After approval of recommendation of Executive Council by the Chancellor under *sub clause (f)*, the Executive Council shall declare the college as an autonomous college and shall specify the matters in respect of which and the extent to which the college may exercise the privileges of an autonomous colleges.

(h) Subject to the provision of *section 26-A*, an autonomous college shall be entitled:-

(i) to frame the courses in the subjects covered by its privileges;

(ii) to appoint persons qualified to be appointed as internal/ external examiners in such subjects;

(iii) to hold examinations and to make such changes in the method of examination and teaching as in its opinion are conducive to the maintenance of the standard of education.

(i) (i) The results of the autonomous college shall be declared and published by the University along with a mention the name of the college which has presented the results (tabulation charts) for declaration and publication.

(ii) Every autonomous college shall furnish such reports, returns and other information, as the Executive Council may, from time to time, require to enable it to judge the efficiency of such college.

(iii) The University shall continue to exercise general supervision over an autonomous college and to confer degrees on the students of the college passing any examination qualifying for any degree of the University.

(j) The Executive Council may, at any time get an autonomous college inspected by a panel of experts, and if after perusing the report of such inspection, it is of opinion that the college has failed to maintain the requisite standard, or that in the interest of education, it is necessary to withdraw the privileges conferred by *section 26-A*, the Executive Council may, with the prior approval of the Chancellor, withdraw such privileges and thereupon the college concerned shall revert to the position of an affiliated college.

(k) (i) For the proper planning and conduct of its work, every autonomous college shall have an Academic Council and Board of studies in respect of the subjects in which autonomy has been granted.



(ii) The Academic Council shall be composed of all the Heads of Departments, , and two other teachers of subject taught for a post-graduate degree and one teacher of each subject taught for the first degree with the Principal/Director as Chairman. These teachers shall be members of the Council by rotation in order of seniority for two years at a time, provided that no teacher of less than four year's standing shall be member.

(iii) The Academic Council shall review the academic work of the college at quarterly meeting. A including interalia the syllabi/curriculum of such courses, their teaching and examinations thereof.

(iv) The Board of studies shall consist of all teachers of the subjects comprised in the Faculty, of three year's standing as teacher of degree classes. The Board of studies shall meet at regular intervals (once a month if possible) to consider academic questions and advise the Principal/Director. Proposals regarding courses, examinations, etc. shall either originate in or be considered by these Boards.

(l) Subject to the provisions of *Section 26-A* and of this Chapter, the courses of study and other conditions related to an autonomous college can be laid down by the Executive Council of the University, from time to time as it may deem fit in the interest of academic excellence.

6.30 Constituent Colleges shall be of two categories namely:-

i) Government assisted constituent college wherever the State Government so directs.

ii) A constituent college named as such on an application from affiliated colleges, where on the recommendations of the Executive Council of the University, the Chancellor so directs.

6.31 Subject to the Provision of section 26-B the principal of a constituent college shall exercise powers as may be delegated from time to time by the executive council.

6.32 The governance of Constituent College shall vest in the Executive Council of the University. The Constituent College shall amend its bye-laws/rules to this effect not later than 2 months of being granted the status of a Constituent College.

6.33 The Principal/Director of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have control over the ministerial staff of the college.

6.34 The University may, with the express decision of the Executive Council grant such financial assistance from the University fund for the development of the Constituent College in terms of academic, student/ faculty related infrastructure as may be approved by the finance committee.

6.35 In case any Constituent College seeks to change its status to an Affiliated/Associated college, the University shall, for the purpose i) accept the State Government directives for Government Assisted Colleges and ii) For other Colleges, seek approval of the Chancellor after due recommendations of the Executive Council.

6.36 (a) For any institutes covered under section 26-C the Executive Council shall cause it to be inspected from time to time under sub-sections (6) & (7) of section 23 .

(b) The affiliation of an associated college may, with the previous sanction of the State Government, be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the college, that it has ceased to fulfil the conditions of its affiliation or that it persists in making default in the performance of its duties under the Act or in the removal of any defect in its works pointed out by the Executive Council.

(c) The University may, with an express decision of the Executive Council and approval of the Chancellor, provide funds for the academic infrastructure to any Associated College.

Powers of the  
Principal of the  
Constituent  
College  
Sec.26 (b)

Associated  
Colleges  
Sec.26 (c)

Institutes  
Sec.26

6.37 (a) For institutes established under section. 26 the University may *interalia* propose either to absorb an existing College/Institution, which is a Government College/Government Society College, or an Institute to be established with its own funds through a resolution of the Executive Council with the prior approval of the Chancellor.

(b) While sending such proposals to the State Government under section 26, the University shall *interalia* elucidate on the following :-

(i) If an existing College is being taken over as an Institute, the terms and conditions of service of its existing faculty,

(ii) whether the faculty/staff are choosing to opt for University terms and conditions as prescribed by its own bye-laws and

(iii) whether all appointments to the faculty/staff made after becoming a University Institute, shall be on the terms and conditions stipulated by the University.

(iv) If the University is setting up its own Institute, then the terms and conditions for the faculty/staff where of shall be prescribed by the University or

(v) if the University proposes different specific terms and conditions for the institutes faculty & staff.

Finance Audit  
and Accounts of  
Institutions  
Sec.30 (k)

6.38 (a) The management of each affiliated college shall be assisted by a Finance Committee which shall consist of,

(i) the President or the Secretary of the management of the college, Chairman.

(ii) two other members elected by the Management from amongst themselves member.

(iii) the Principal/Director (*Ex-officio*) member;

(iv) the senior most teacher of the College /Institution (*Ex-officio*) member;

(b) The Principal of the college shall be the member secretary of the Finance Committee and be entitled to convene its meeting.

6.39 The Finance Committee shall prepare the annual budget of the college (except of the Students Funds) which shall be placed before Board of the Management for their consideration and approval.

6.40 New expenditure, which is not included in the budget of the college shall not be incurred without references to the Finance Committee.

6.41 The recurring expenditure provided for in budget shall be controlled by the Principal subject to any specific directions that may be given by the Finance Committee.

6.42 All Student's Fund shall be administered by the Principal/Director assisted by such different Committees as Games and Sport Committee, Cultural Committee and such other student activities Committee etc., which shall include representatives of students of the college concerned.

6.43 Accounts of the Students Funds shall be audited by a qualified auditor appointed by the Board or Management not from amongst its members. The audit fees will be a legitimate charge on the Students Funds of the college. The audit reports shall be placed before the Board Management.

6.44 The Student, Funds and the fee income from the hostels shall not be transferred to only other fund and no loan shall be taken from these funds for any purpose whatsoever.

6.45 The affiliated colleges will be bound to provide information and accounts in the manner asked by the University.



6.46 All the affiliated colleges of the University shall be bound to follow the policy decisions and terms and conditions of the University with regard to admissions and fee structure of different courses or in any other matters. Any college violating the policy decision or terms conditions of the university in any matter shall be punished by the officers/ authorities of the University. Punishment may be in the shape of financial penalty or it may also be de-affiliation of colleges from the University.

Penal Clause

#### CHAPTER-VII

#### CONFERMENT AND WITHDRAWAL OF DEGREES

7.01 The degrees of Doctor of Literature (D. Lit.), Honour's Cause may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of or for conspicuous service rendered by them to the cause of technical education.

Sec. 6(c), Sec. 6(e)

7.02 The degree of Doctor of science (D.Sc.) Honour's Cause, may be conferred upon such persons who have contributed substantially to the advancement of any branch of science or technology or to planning organizing or developing scientific and technological institutions in the country.

Sec. 30 (c) & Sec. 30(4)

7.03 The Executive Council may, *suo-moto* or on the recommendation of Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two thirds of the members present and voting submit a proposal for conferment of honorary degree to the Chancellor for conferment under section 30(c) of the Act provided that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority/body of the University.

7.04 Before taking any action for the withdrawal of any degree, diploma, and certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by registered post and the person concerned shall be required to submit his explanation within a period of one month of the issue of such letters.

7.05 Every proposal for the withdrawal of an honorary degree/degree shall require previous sanction of the Chancellor.

#### CHAPTER-VIII

#### CONVOCATION

8.01 (a) Convocation for conferring the degrees and other academic distinctions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may fix.

Sec. 8(1), Sec. 30(k)

(b) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

(c) The convocation shall consist of the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Registrar, the members of Executive Council and Academic Council, Deans of faculties and the Director of Constituent College of the University.

(d) The Chancellor shall, when present, preside over the convocation of the University. In his absence the Vice-Chancellor shall preside over the convocation.

8.02 A local convocation may be held at each affiliated college on such date and such time as the Principal/Director may with the prior approval of the Vice-Chancellor in writing.

8.03 Combined convocation may be held in two or more colleges in the manner prescribed in regulation 8.01.

8.04 The procedure to be observed at the convocations referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Ordinances.

8.05 Where the University, or any affiliated/associated college does not find it convenient to hold the convocation in accordance with regulation 8.01 to 8.04, the degrees and other academic distinctions may be dispatched to the candidates concerned by registered post.



## CHAPTER-IX STUDENTS AFFAIRS AND WELFARE

Maintenance of  
Discipline Amongst  
Students of the  
University  
Sec. 30(k)

9.01 The powers regarding disciplinary action in regard to the student (s) enrolled with the University shall vest with the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor may delegate any of his powers, to any officer as he may deem fit.

9.02 Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may in the exercise of his power, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or course of study in the University or a recognized institution for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debar him from taking an/ all examination(s) conducted by the University or a recognized institution for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination(s) in which he or she has appeared to be cancelled. The affected student shall be given opportunity to put forward his/her defence as required by law of natural justice, in writing or by presenting before a committee constituted for this purpose or both. The composition and powers of such committee shall be proposed to the Executive Council for its approval through necessary ordinances from time to time.

9.03 The Heads of affiliated institutions shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective institutions as maybe necessary for proper conduct of such institution under superintendence and control of Vice-Chancellor, it shall be mandatory for the Head(s) of institution to give into effect the orders passed by Vice-Chancellor.

Talent Incentives  
Scheme for to  
Students

Sec. 6(a), Sec. 6(n)  
& Sec. 30(h)

9.04 A suitable portion of development fees being collected from students of college affiliated to University will be carved out to '*Institute Incentive Fund*'.

9.05 The incentive fund so instituted shall be used for awarding scholarship to toppers in University Examinations and incentives to talented students of University as per '*The Uttar Pradesh Technical University Talent Incentive Scheme Rules-2003*' amended from time to time by the Executive Council. The existing Rules are given in '*Appendix-B*'.

9.06 The incentive fund may also be used to help the poor students as fee-concession or a lump sum financial assistance as per Rules framed in *clause 9.05* and as per budget passed by University.

9.07 For institution of University Medals and sponsored medals and prizes, the University shall lay down separate ordinances.

Chhatra Kalyan  
Nidhi

9.08 (a) For the welfare of students suffered an accident and/or his earning parents die in accident or otherwise the University shall provide economic and financial assistance as per '*The Uttar Pradesh Technical University Chhatra Kalyan Nidhi Rules 2003*' as amended from time to time by the Executive Council. The existing Rules are given in '*Appendix-C*'.

(b) The '*Chhatra Kalyan Nidhi*' for the purposes of *clause (a)* will be constituted from the amount collected from students as students' welfare fees, the amount of which will be decided from time to time as per provisions made in the said rules as recommended by Finance Committee and approved by the Executive Council.

Anti-ragging

9.09 The University and all the colleges must follow zero tolerance in the matter of ragging. They shall be responsible for implementation of the orders in this regard from the Hon'ble Supreme Court, Government of India, State Government of Uttar Pradesh, Chancellor and other concerned authorities.



9.10 Each college has to maintain the appropriate Committees with the requisite authorities. The same should be displayed widely and also communicated to the University

9.11 The specific instructions shall be issued by the University from time to time in this regard.

9.12 The University can, through specific orders of the Vice Chancellor enquire into and recommend action against the authorities of any affiliated college/institution where it considers that proper anti-ragging measures are not being carried out.

9.13 The University and all the colleges must follow zero tolerance in the matter of any kind of harassment to female students, teachers or staff. They shall be responsible for implementation of the orders in this regard from the Hon'ble Supreme Court, Government of India, State Government of Uttar Pradesh, Chancellor and other concerned authorities.

Anti Women-  
Harassment Cell

9.14 Each college has to maintain the appropriate Committees with the requisite authorities. The same should be displayed widely and also communicated to the University

9.15 The specific instructions will be issued by the University from time to time in this regard.

## CHAPTER-X

### TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF UNIVERSITY TEACHERS

10.01 (a) The required total strength of the teachers in the University shall be determined on the basis of the student-teachers ratio according to norms as approved by All India Council for Technical Education from time to time.

Number and cadre  
structure  
Sec. 30 (k)

(b) The cadres and cadre structure (ratio of lecturer, assistant professor, and professor) in each department of the University or colleges shall be as prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

(c) Under Career Advancement Scheme, the number of posts of Lecturer (*Senior Scale*) and Lecturer (*Selection Grade*), Assistant Professor and Professor in an institution shall be limited to the total sanctioned strength.

(d) The number of teachers in individual subjects like Physics, Chemistry, Mathematics and Humanities and Social Sciences in most technical institutions is generally small. With such small numbers and fixed ratios in cadre levels, it is likely that there may not be slot for any senior position if the above mentioned subjects are treated as separate subject entitles. For the purpose of working out the strength at various cadre levels in the disciplines of Applied Science and Humanities and Social Sciences, the total strength of faculty may therefore be taken together.

10.02 (a) The prescribed minimum qualifications and experience requirements for the various teaching posts in the University shall be as per norms prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

Qualifications  
and Recruitment

(b) Direct recruitment to all cadre posts shall be based strictly on merit by open selection through open advertisement at the national level.

(i) There will be no relaxation of the prescribed educational qualifications, experience etc.

(ii) The person appointed against the permanent post shall be initially on probation. The period of probation for the posts of Professor and Associate Professor shall be one year and for the other positions two years.

(iii) The person appointed in a temporary arrangement may not continue beyond a period of one year.

(iv) The appointment of Director/Principal shall be on term appointment basis as prescribed by the Executive Council.

Incentives for Higher  
Qualification and  
Career Advancement

10.03 (a) At the time of recruitment as lecturer, advance increments will be admissible on the recommendations of the Selection Committee according to the All India Council for Technical Education norms to those of Science/Humanities faculty who hold Ph.D. and M.Phil. Degree respectively, and also to those of the technical faculty who hold Ph.D. and ME/M. Tech. degree respectively.

(b) For every upward movement, under career advancement scheme, the eligibility conditions shall be applicable according to the latest All India Council for Technical Education norms.

(c) For every upward movement, a selection process would be followed as applicable in case of direct recruitment according to latest All India Council for Technical Education norms.

(d) Career advancement of teachers shall be assessed on their academic performance and consistent good record through a selection process.

(e) The Selection Committees for the career advancement shall be the same as for direct selections.

Teaching days

10.04 Every institution shall have at least 180 full teaching days per year (or 90 full teaching days per semester). 'Teaching days' here shall mean actual class room / laboratory contact teaching days, and shall not include days of examinations / tours / sports, etc.

Workload

10.05 (a) The hours of workload per week of a teacher shall be as prescribed by the All India Council for Technical Education from time to time.

(b) For the purpose of counting the workload hours, two tutorial hours/ two laboratory hours will be counted as equivalent to one teaching hour.

(c) The teaching contact hours of a teacher under Career Advancement Scheme shall remain the same as those of the substantive posts they are occupying.

(d) The work plan of teachers shall ensure, in the most productive manner, the utilization of stipulated working hours per week, with regard to the roles, jobs and targets assigned to them by the Department/Institution/University. Teachers shall be present in the institution during the working hours unless engaged in official work outside.

Job Responsibility

10.06 The job responsibilities of teachers of degree level institution shall in general comprise

(a) academic (class room instructions, laboratory instructions, design and development of new programmes, curriculum development, development of learning resource material and laboratories, students assessment and evaluation, examination work of the college and the University, participation in co-curricular and extra-curricular activities, students guidance and counselling and their development, and continuing education activities).

(b) research, Development and Consultancy (students research guidance, project proposals and follow up for funding, executing and monitoring sponsored research, technology development and industrial consultancy).

(c) administration ( academic and administrative management of the institution, policy planning, promotional activities at the departmental, college and University levels, headship, deanship, wardenship and committee work, participation at regional and national levels, etc.)



(d) extension Services (organizing, participating as faculty and attending courses in continuing education programme for teachers and persons from industry, organizing and participation in community services, promoting entrepreneurship, providing technical support to social development, etc)	Superannuation and re-employment
10.07 (a) The age of superannuation of teachers in The University would be as per norms specified by All India Council for Technical Education and allowed by the Government of Uttar Pradesh. However, teachers may be given re-appointment till the particular session end on the salary at the time of their retirement.	
(b) Further the terms of re-employment after superannuation shall be decided by the Executive Council based on the prevailing norms specified by the All India Council for Technical Education.	Allowances
10.08 Teachers will be entitled for the <i>Dearness Allowance, House Rent Allowance</i> , Transport Allowances, <i>City Compensatory Allowance</i> at the same rates as applicable to employees of the State Government.	
10.09 Medical facilities including the reimbursement of medical expenses shall be as prescribed by the Executive Council from time to time.	Medical Facilities
10.10 The rules regarding <i>Traveling Allowance /Dearness Allowance</i> shall be applicable in accordance with State Government norms where Executive Council has not prescribed specifically.	Traveling Allowance /Dearness Allowance Rules
10.11 The pay scale of teachers will be as per orders of the Uttar Pradesh Government for revision of scale as per All India Council for Technical Education norms and instructions from time to time.	Pay scales of teachers
10.12 The 'Selection Committees' for teachers of the University Institutes or its constituent college will be as follows:-	The selection committees
(i) the Vice-Chancellor will be the Chairman of the Selection Committee.	
(ii) the Dean or the Director as the case shall be the Vice-Chairman.	
(iii) one Professor or Senior Group 'A' officer each from <i>Other Backward Classes</i> and <i>Schedule Castes</i> category, nominated by the Vice-Chancellor from a panel approved by the Chancellor, member.	
(iv) three outside subject experts from the panel approved by the Chancellor, members .Provided that due notice has been given of the meeting and at least two of them are present.	
(v) one All India Council for Technical Education nominee, member.	
(vi) head of the Department, of the concerned faculty if selection is not of the equivalent post, member.	
10.13 Teachers of the University shall be appointed on whole-time basis in the scales approved by the State Government as per All India Council for Technical Education norms.	
Provided that part-time teachers may be appointed in subjects in which, in the opinion of the Academic Council, such teachers are required in the interest of teaching, or for other reasons. The part-time teachers shall be entitled for remuneration not exceeding salary of the prescribed scale for the post to which they are appointed. Persons working as Research fellows or as Research Assistants may be called upon to act as part time lecturers.	
10.14 The panel of experts shall be approved by the Chancellor for a period of 6 months at a time.	
10.15 The selection committee for the associated Colleges, Government Institutions or Government. Societies Institutions shall be the same as University Constituent Institutions unless otherwise specified in their Society rules.	

10.16 Selection Committee for the Principal / Director of associated college, Government Institutions and Government Societies Institutions shall be constituted by their Board of Governors.

10.17 The selection committee for the Director of a University Institute or a Constituent College of the University shall be as per their society rules in the case of existing institutions and in the case of new institutions the Selection Committee shall be as follows:

- (i) Vice Chancellor will be the Chairman of the Selection Committee
- (ii) Two Heads of Central Government Technical Institutions located in the State
- (iii) One All India Council for Technical Education member
- (iv) One member from the State Government
- (v) One nominee of the Chancellor

Seniority

10.18 (1) Whenever, in accordance with these regulations, any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by seniority, such seniority shall be determined according to length of continuous service of such person in similar grade, and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, determine.

(2) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class of persons to whom the provisions of these regulations apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of the foregoing clause.

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority. The seniority of such persons shall by order be determined by the executive council.

(4) Any Person aggrieved by the order referred to in sub regulation(3) may prefer an appeal to the Chancellor The decision of the Chancellor shall be final.

#### CHAPTER-XI

#### TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AT AFFILIATED DEGREE LEVEL TECHNICAL INSTITUTIONS

11.01 The provisions of regulations 11.01 to 11.18 shall mutates mutandis apply to teachers of degree level technical institutions and

11.02 The Selection Committees for promotions/direct recruitments at all the levels of teachers namely Lecturer/ Assistant Professor/Professor at the affiliated colleges established in private sector will be as follows.

- (i) The Chairman of Management Committee or his nominee, Chairman.
- (ii) The Director of the Institute, Vice Chairman
- (iii) The Head of the Department if the selection is not of the equivalent post, member.
- (iv) one All India Council for Technical Education nominee, member.
- (v) two experts of the subject out of the panel approved by the Vice-Chancellor, member and
- (vi) one University nominee, member.

11.03 The Selection Committee for Principal/Director of affiliated private sector colleges/ Institutes will be:

- (i) the Chairperson of the Governing Board/Council Chairman.



(ii) one All India Council for Technical Education nominee not below the rank of Professor/Principal, member.

(iii) three experts from outside member.

(iv) one University nominee not below the rank of Professor/Director, member. and

(v) one nominee of Governing Board/Council, member.

11.04 At least four members including two outside experts shall constitute the quorum.

11.05 In addition to other parameters, the Selection Committee should also take into account for assessment of aptitude for teaching and research, ability to communicate clearly and effectively and ability to analyze and discuss.

#### CHAPTER-XII

#### THE TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF NON-TEACHING EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

12.01 All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University, shall in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are prevalent for Uttar Pradesh State Government employees from time to time.

General

12.02 Scales of pay of non-teaching employees will be as per approval of the State Government and their service conditions shall be such as may be prescribed from time to time by the Executive Council.

Pay Scales

12.03 The Selection Committee for non-teaching employees will be as follows:

Selection  
Committee

(i) the Vice-Chancellor or his nominee, not below the rank of the Professor.

(ii) the Registrar.

(iii) one Expert.

(iv) one member each from Other Backward Classes and Schedule Castes category, not below the rank of Class-I officer nominated by the Vice-Chancellor from the panel approved by the Executive Council, member.

12.04 The Executive council shall be the appointing authority of teaching as well as non teaching staff. The Vice-Chancellor shall represent the Executive council. The Vice-Chancellor shall issued the appointment letter in respect of group 'A' and 'B' posts and the registrar in respect of group 'C' and 'D' Posts.

Appointing  
Authority of  
Teaching and  
non Teaching  
Staff

12.05 Where there is an allegation of misconduct against an employee of the University, the competent authority may, by order in writing, place such employee under suspension and shall forthwith report to the Vice-Chancellor the circumstances in which the order was made. The misconduct shall include:

Removal of  
Employees of  
the University  
Sec 30(j)

(a) wilful neglect of duty

(b) breach of any of the terms of contract of service

(c) dishonesty connected with University examinations/activities

(d) scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude.

12.06 Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of the employees, an employee may be removed from service on grounds of misconduct.

12.07 Save as aforesaid, in case of permanent employees the appointing authority, shall not be entitled to remove any employee except for a good cause and after giving three months notice or payment of three months salary in lieu thereof.

Provided that a temporary employee can be removed after giving one month notice or payment of one month salary in lieu thereof.

12.08 No employee shall be removed under regulation 12.06 or regulation 12.07 unless he has been given reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

12.09 The removal of employee shall take effect from the date of the issuance of order of removal.

Provided that where the employee is under suspension at the time of this removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

12.10 Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, an employee may resign:

(a) only after giving three months notice in writing to the appointing authority, or by paying three months salary in lieu thereof if he is a permanent employee

(b) only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignations accepted by the appointing authority if he is not a permanent employee,

12.11 The Executive Council shall have power to relax the notice period as mentioned in regulation 12.10 for sufficient reasons to be recorded in writing

12.12 Every employee shall have to sign an agreement and a code of conduct in the formats given in *appendices 'D' & 'E'*.

12.13 The physical/mental unfitness and incompetence at work shall also be subjected to action referred to in regulation 12.06.

#### CHAPTER-XIII

##### GENERAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATUITY AND PENSION

Sec. 30(b)

13.01 The Management of the General Provident Fund shall be vested in the Executive Council.

13.02 All the regular employees and officers of the University will have the benefit of Provident Fund in terms of General Provident Fund Rules-1985 for Government, employees as amended from time to time.

13.03 All employees of the University shall be entitled to pension scheme in terms of General Provident Fund Act, 1925 as amended from time to time and pension rules implemented in State Universities of Uttar Pradesh.

#### CHAPTER-XIV

##### LEAVE RULES FOR TEACHERS AND OTHER STAFF OF THE UNIVERSITY

Sec.30(k)

14.01 The following kind of leave shall be admissible:-

- (i) Casual leave.
- (ii) Earned leave
- (iii) Leave on medical certificate.
- (iv) Extraordinary leave.
- (v) Special disability leave.
- (vi) Maternity leave.
- (vii) Duty leave.
- (viii) Study leave.
- (ix) Sabbatical Leave



14.02 Leave is earned by duty only and cannot be claimed as of right. When the exigencies of University service so require, discretion to refuse or revoke leave is reserved in the authority empowered to grant it.

14.03 Government servants serving in the University on deputation shall, however, remain subject to the Government leave rules.

14.04 No employee on leave shall be permitted to accept a salaried appointment or undertake professional work during his leave period except with the previous sanction of the competent authority.

14.05 Leave to contract staff will be governed by the terms laid down in the respective contracts. If no leave terms are mentioned in the contract, they will be governed by these regulations.

14.06 Leave shall ordinarily begin from the date on which leave as such is actually availed of, and end on the day preceding the one on which duty is resumed.

14.07 A leave account shall be maintained for each employee of the University.

14.08 Vacations may be prefixed or suffixed to leave, subject to any limit on the aggregate period of absence as may be prescribed in these regulations.

## CHAPTER-XV

### MISCELLANEOUS

15.01 Notwithstanding any thing contained in these regulations,

(a) no admission shall be made after August 31 in an academic year.

(b) all odd semester examinations conducted by the University shall normally be completed by December 25 and all even semester examinations by May 15.

(c) results for the final year students shall be declared by June 20 and for rest of students by 30<sup>th</sup> of June normally.

15.02 A candidate may be allowed to appear in carry over papers as may be determined by the academic council.

15.03(a) The University shall charge tuition fee and other fees from the students as approved by Executive Council, however, the affiliated colleges shall charge tuition fee from the students as fixed by the fee fixation committee constituted by the State Government.

(b) Tuition fee shall not be charged from ex-students.

15.04 The University examinations and other fees for all courses and disciplines per students shall be as follows.

Examination fee	Rs. 1500.00 per semester
Development fee	Rs. 250.00 per year
Chhatra Kalyan fee	Rs. 200.00 per year
Enrollment fee	Rs. 100.00 once for continued study in University
Back paper fee	Rs. 500.00 per paper per examination.
Ph. D registration fee	Rs. 5100.00.

15.05 The fee fixed in regulation 15.04 can be reviewed by the Executive Council from time to time.

15.06 The State Government may entrust the entrance examination to the University for the Courses run by the University. The Executive Council shall be responsible and provide for all the necessary arrangements to conduct the entrance examination and counseling for the purpose in a time bound manner. The Executive Council shall carry out the task keeping in mind any directions and conditions stipulated by the State Government.

Schedule of  
Examination

Fees

Admission and  
Entrance tests

Admission and  
Entrance Tests

15.07 There shall be a Central Admission Board constituted by the Executive Council, under section 18(j) of the Act, to regulate Governance of the functioning and activities of the entrance examination. The Vice Chancellor shall head the Central Admission Board. One representative of the Department of Technical Education, Government of Uttar Pradesh and one representative of the Department of Finance, Government of Uttar Pradesh shall be members of the Central Admission Board.

15.08 The entrance examination fee shall be fixed by Central Admission Board of the University.

15.09 The admissions so made in a particular Institution shall not be more than the intake approved by All India Council for Technical Education and affiliated by the University.

15.10 The accounts of the entrance examination shall be maintained separately and utilization of funds other than confidential examination shall be subject to audit in the manner as decided by the Executive Council.

CHAPTER-XVI  
SURCHARGE

Sec. 33

16.01 In these regulations unless there is any thing repugnant in the subject or context "Officer of the University" means an officer mentioned in any of the clause (a) to (g) of section 7 of the Act and the Officers declared as such under regulation 3.01

16.02 (a) In any case where the State Government, is of the opinion that there has been a loss, waste or misapplication, which includes misappropriation or unjustifiable expenditure, of any money or property of the University as a direct consequence of neglect or misconduct of an officer it may call upon the officer to explain in writing why such officer should not be surcharged with the amount of such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents the loss, waste or misapplication of property and such explanation will be furnished within a period not exceeding two months from the date of such requisition is communicated to the person concerned-

Provided that explanation from any of the officers under the administrative control of the Vice-Chancellor shall be called for through the Vice-Chancellor.

*Note- Any information required by the Special Audit in Section 33(1), for preliminary inquiry shall be furnished and all connected papers and records shown to him by the officer (or if such information, papers or records are in possession of a person other than the said officer, by such person) within a reasonable time not exceeding two weeks in any case.*

(b) Without prejudice to the generality of the provisions contained in clause 16.02(a) the special audit may call for the explanation in the following cases-

(i) Where expenditure has been incurred in contravention of the provisions of these Regulations or of the Act or of the Ordinances made thereunder;

(ii) Where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient recorded reasons;

(iii) Where any sum due to the University has been remitted in contravention of the provisions of these Regulations or of the Act or of the Ordinances or regulations made thereunder;

(iv) Where loss has been caused to the University by neglect in realizing its dues;

(v) Where loss has been caused to the funds or property of the University on account of want of reasonable care for the custody of such money or property.



(c) On the written requisition of the officer from whom an explanation has been called the University shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The State Government, may, on an application from the officers concerned, allow a reasonable extension of time for submission of its explanation if it is satisfied that the officer charged has been unable for reasons beyond his control to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

*Explanation:- Making of an appointment in contravention of the Act or the Regulations or Ordinances made there under shall amount to misconduct and payments to the person concerned of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of University money.*

16.03 After the expiry of the period prescribed and after considering the explanation, if received within time, the State Government, may surcharge the officer with the whole or a part of the sum for which such officer may in his opinion be liable-

*-Provided that in the case of loss, waste or misapplication accruing as a result of neglect or misconduct of two or more officers each such officer shall be jointly and severally liable;*

*-Provided also that no officer shall be liable for any loss waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be such officer which ever is later.*

16.04 An officer aggrieved by an order of surcharge passed by the State Govt, may prefer an appeal to the Chancellor within thirty days from the date on which such order is communicated to him. The Chancellor may confirm, rescind or vary the order passed by the State Government, or may pass such order as he thinks fit. The order so passed shall be final, and no appeal shall lie against it.

16.05 (a) The officer who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which such order is communicated to him or within such further time, not exceeding one year, from the said date or may be permitted by the State Government. Provided that where an appeal has been preferred under Regulations 19.04 against the order of surcharge passed by the State Government, all proceedings for recovery of the amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Chancellor until the appeal has been finally decided.

*(b) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in clause (a) it shall be recoverable as arrears of land revenue.*

16.06 Where a suit is instituted in a court to question an order or surcharge and the State Government, is a defendant in such a suit, all costs incurred in defending the suit shall be paid by the University and it shall be the duty of the University to make such payment without any delay.

By order,  
VRINDA SARUP,  
Pramukh Sachiv

*Appendix-A**(See Regulations 11.03)***THE RATES OF ENDOWMENT FUND**

<b>At University</b>	
B.Tech Courses (Degree)	Rs.1000 Lakh
B.Arch Courses (Degree)	Rs.300 Lakh
Pharmacy Courses (Degree)	Rs.300 Lakh
MCA Courses	Rs.500 Lakh
MBA Courses	Rs.300 Lakh
Hotel Management and Catering Tech. (Degree)	Rs.300 Lakh
Applied Arts (Degree)	Rs.300 Lakh

<b>At AICTE</b>	
Degree Course in Engg. & Technology	Rs. 35.00 Lakh
Degree Course in Architecture	Rs. 15.00 Lakh
Degree Course in Pharmacy	Rs. 15.00 Lakh
MCA Courses	Rs. 15.00 Lakh
MBA Courses	Rs. 15.00 Lakh
Degree Course in Hotel Management/ Catering Technology	Rs. 15.00 Lakh
Degree Course in Applied Arts & Crafts	Rs. 15.00 Lakh



## Appendix-II

**THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY  
TALENT INCENTIVE SCHEME RULES 2003**

1. **Short title:**  
These rules may be called *the Uttar Pradesh Technical University Talent Incentive Rules- 2003*.
2. **Commencement:**  
These rules will come into effect from academic session 2003-04.
3. **Scope:**  
It will apply on every college and every student seeking degree from the University and/or passed out from any college/institute.
4. **Definitions:**  
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
  - a. 'Act' means the Uttar Pradesh Technical University Act 2000.
  - b. Abbreviations:  
*GATE* means Graduate Aptitude Test for Engineers  
*GRE* means Graduate Record Examination  
*IAS* means Indian Administrative Service  
*IES* means Indian Engineering Service  
*UPM-CAT* means UP Management Combined Admission Test
  - c. 'College' means a college affiliated to Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
  - d. *Governing Body* means the committee formed in sub rules (2) of rule-7.
  - e. *Incentive* means the scholarship and incentives established under Act.
  - f. 'Executive Council' means Executive Council of Uttar Pradesh Technical University.
  - g. 'Scholarship' means monthly payment for one year to toppers in University examination on the basis of both semesters of a year of any course.
  - h. 'Scheme' means the Talent Incentive Scheme constituted under of rule-5.
  - i. 'Student' means student studying in or passed out from an Institution/College affiliated to U.P. Technical University, Lucknow.
  - j. 'University' means The Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
  - k. 'Vice-chancellor' means the Vice-chancellor, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
5. **Constitution of Incentive Fund:**  
The *INCENTIVE FUND* will be carved out from amount collected from each student studying in the University and affiliated colleges as Development fees as per powers conferred to University in term of sections 6(e), 6 (n) and 30 (h) of the Act. The colleges will collect the Development Fees at the time of registration for odd-semester every year and will immediately remit to University.
6. **Object of the Incentive Fund:**  
The object of the Incentive Fund is to provide:
  - a. scholarship to toppers of each branches of UPTU course up to final year.
  - b. sponsored scholarship, if any, as per conditions.
  - c. incentives to specified All India Competitions in Technology as well as teaching/research activities
  - d. freeship to poor students.
7. **Administration of Scheme:**
  - i. The administration of the Scheme shall be vested in University.

2. The Scheme shall be administrated by a Governing Body constituted as follows:
  - I. Vice-Chancellor *Chairman*  
Uttar Pradesh Technical University,  
Lucknow.
  - II. Pro-Vice-Chancellor *Member/Vice-Chairman*  
Uttar Pradesh Technical University,  
Lucknow.
  - III. Finance Officer, *Member/Secretary*  
U.P. Technical University  
Lucknow.
  - IV. Registrar, *Member*  
U.P. Technical University  
Lucknow.
  - V. Principal Secretary to Government *Member*  
of U.P. Finance Department or his Nominee
  - VI. Secretary/Principal Secretary *Member*  
to Government of U.P.  
Technical Education Department  
or his/her Nominee.
  - VII. One Director of any College *Member*  
affiliated to University.
  - VIII. The Controller of Examination *Member*
3. The term of the Director of Engineering College in the governing body shall be one year, normally commencing from the 1st day of a calendar year. Membership of Director will be rotated amongst all Directors of colleges in each year after expiry of term of a member Director.
4. If Pro-Vice-chancellor is not appointed or is unavailable on the date of meeting, the Vice-Chancellor may nominate any one Director of any college as member.
8. **Meetings:**  
At least three meetings of the governing body shall be convened during a year, but the Chairman of the governing body may convene meeting of the body any time when he considers it necessary. At least fifteen days notice shall be required for convening a meeting.
9. **Proceedings:**  
A record of the proceedings of the meeting of the governing body shall be kept by the Secretary of the body and the proceedings of the last meeting shall be got confirmed by the body in the next meeting.
10. **Quorum:**  
The quorum for the meeting of the governing body shall be atleast five members including atleast one govt. nominee besides the Chairman. The Vice-Chairman shall preside over the meeting of the governing body in the absence of the Chairman.



**11. Office:**

- (1) The office of the governing body shall situate in the University.
- (2) The Secretary of governing body shall be the Finance officer, UP Technical University, Lucknow and shall be responsible for the proper maintenance of its accounts and annual audit of the scheme.

**12. Budget:**

- (1) The annual budget shall be prepared by the Secretary and shall be presented before the governing body for its approval.
- (2) The collection from students as Development fund under rules-5 will be utilized to provide incentive under rule-6 and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Scheme.
- (3) Every year at the time of approval of the budget the Scheme shall earmark funds for each objects mentioned in these rules.
- (4) The governing body shall approve the incentive & scholarship to students as per criterion mentioned in these rules.
- (5) The governing body shall have right to re-appropriate funds earmarked for each objects mentioned in rule-6 and rule-13

**13. Criteria of Sanctions of assistance:**

The criterion for sanctions of assistance for different objects will be as follows:

**Scholarships**

- i. A scholarship of Rs.400.00 p.m. will be awarded to first two toppers of affiliated colleges in University examinations every year on the basis of results of preceding year. This scholarship is proposed to be awarded to toppers in each branches of B. Tech. courses as well as in B.Arch., B. Pharma., Bio-technology. The amount involved in this way will be around Rs. 10.00 Lac per year.
- ii. A scholarship of Rs.500.00 p.m. will be awarded to first two toppers in M. Tech. full time courses of affiliated colleges in second year of M. Tech courses. The amount involved will be around Rs.0.50 Lac at present.
- iii. A scholarship of Rs. 500.00 p.m. will be awarded to first two toppers in 1<sup>st</sup> year of MBA and MCA of University and will be awarded in second year of M. Tech course. The amount involved will be around Rs.0.50 Lac at present.

**Incentives:**

- I. SEE-UPTU rank holders upto 100 taking admission in any affiliated college in first year course of B. Tech/B. Pharma/B. Arch/Bio-tech will be paid an incentive in form of examination fee exemption for full course if they clear every year course, in first attempt without grace marks.
- II. SEE-UPTU rank holders upto 20 taking admission in any affiliated college in first year course of MBA/MCA will be paid an incentive in form of examination fee exemption for full course if they clear every year course, in first attempt without grace marks.
- III. Top 10 rank holders of GATE examination of University pass out will be given a consolidated amount of Rs. 10,000.00 to each of engineering branches.
- IV. Students getting undergraduate GRE score of above 2100 out of 2300 marks and who receive offer in first 20 best Universities of the world will get one-way airfare to the destination.
- V. UPSC (IES, IAS) rank holders (1-20) of U.P.T.U. will receive Rs.21,000/- each.
- VI. GMAT, CAT- Toppers will get Rs. 10,000/- if they were U.P.T.U. students.
- VII. "Advance GRE" Topper and the recruit of top company best salary award will get Rs.51,000/- each.
- VIII. On the basis of best performance horizontally (the pass percentage) and vertically (the University positions) will be judged for every class of colleges. The concerned teachers will be awarded certificate of merit and a cash award of Rs. 10,000/-
- IX. An honour student of any stream if he chooses teaching as a career will be awarded with University scholarship in M. Tech courses run by the University. The student will also be

recruited by one of the U.P.T.U. affiliated institute. The fees will be refunded on joining as teacher in one of U.P.T.U. College.

- X Students getting any scholarships from any other source(s) will not be entitled from scholarship in University rules.

**14. Sanction of assistance/compensation:**

- (1) The Secretary of the governing body shall invite applications every year for the incentives from the scheme to desirable students and shall fix last date for receipt of applications.
- (2) Application for incentive & scholarships from the Scheme to students shall be presented to the Secretary of the governing body in the form suitably devised. It will be the responsibility of the applicant to enclose a certificate from principal/Director of the College for his/her identity.
- (3) The Vice-chancellor shall sanction financial assistance/compensation on each application through Secretary of governing body with the approval of the governing body in its meeting.

**15. Accounting Procedure:**

- (1) The accounts of the Scheme will be maintaining by the Secretary of the governing body.
- (2) Expenditure on the individual mentioned object will be initially shown under proper minor/sub-heads and the same will be finally met from the Scheme by debit to the Scheme.

**16. Annual Report:**

The annual report shall be presented for approval and verification of the governing body and will be reported to U.P. Government through Executive Council.



**Appendix-C**

**UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY**

**CHHATRA KALYAN NIDHI RULES-2003**

As approved by FC's Res.no.03.1 0.03 Dated 18.11.03

EC's Res.no4 Dated: 20.01.04

Samiti's Res.no.6 &7 Second Meeting Dated 27.7.04

Samiti's Res.no4 Third Meeting Dated 22.03.05

1. **Short title:** These rules may be called the Uttar Pradesh Technical University Chhatra Kalyan Nidhi Rules, 2003
2. **Commencement:**  
These rules will come into effect from academic session 2003-04
3. **Scope:**  
It will apply on every college and every student seeking degree from the University.
4. **Definitions:**  
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
  - a. 'Act' means the Uttar Pradesh Technical University Act 2000.
  - b. 'Accident' means an accident caused by violent and visible external means resulting into death/permanent or partial disablement of student or death of parent(s).
  - c. 'College' means a college affiliated to Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
  - d. 'Chhatra' means student studying in a College.
  - e. 'Executive Council' means Executive Council of Uttar Pradesh Technical University.
  - f. 'Nidhi' means the Uttar Pradesh Technical University Chhatra Kalyan Nidhi constituted under rule-5.
  - g. 'Parent' means the father/mother of a student.
  - h. 'Poor Student' means a student whose parents or guardian (if both parents are not alive) having yearly income by all means less than Rs. 1.00 Lakh and he gets no scholarship/assistance from other sources and have secured more than 50% marks (annual basis) in previous University examination,
  - i. 'Permanent Disablement' means the loss of  
Sight of both eyes of student or  
physical separation of two entire hands or  
physical separation of two entire feet or  
physical separation of one entire hand and one entire feet or  
sight of one eye and physical separation of at least one entire foot,
  - j. 'Partial Disablement' means the loss of  
sight of one eye or  
Physical separation of one entire hand or Physical separation of one entire foot,
  - k. 'Samiti' means the Chhatra Kalyan Nidhi Samiti constituted under sub-rule(2) of rule-7
  - l. 'Student' means a student pursuing studies in any college.
  - m. 'University' means The Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
  - n. 'Vice-Chancellor' means the Vice-Chancellor, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
5. **Constitution of Nidhi:**  
'The NIDHI will be constituted from amount Collected from each students of the university and affiliated colleges as students welfare fees at the rate of Rs.200.00 per year as per power Conferred to University in term of Sections 6(n) and 30(h) of the Act The colleges will collect the fees at the time of Registration for odd-semester and will immediately remit to university- The

university shall not entertain any claim of any student if their Institute/College does not deposit the NIDHI fees of those students at this university on or before the due date for depositing the odd semester fees. Any claim for such cases not covered by the above shall be considered for Compensation by the Institute/College only. Any delays on the above by the Institute/College to deposit the NIDHI fees on or before the due date shall be the sole responsibility of the Institute /College and the University shall not be held responsible for any compensation in this regard.

**6. Object of Nidhi:**

The object of the Nidhi is to-

- (a) provide compensation to student in the event of accident by violent and visible means resulting into permanent/total/partial disablement of student as defined in these rules.
- (b) provide compensation to parents/guardians if student died in or due to an accident by violent and visible means.
- (c) provide financial assistance to student to continue his studies if father/earning parent dies in or due to an accident or otherwise.

**7. Administration of Nidhi etc.:**

- (1) The administration of the Nidhi shall be invested in Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
- (2) The Nidhi shall be administered by a Governing Body to be called the Chhatra Kalyan Nidhi Samiti, constituted as follows:
 

(i) Vice Chancellor Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.	Chairman
(ii) Pro-Vice Chancellor, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.	Member/Vice Chairman
(iii) Finance Officer, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.	Member/Secretary
(iv) Registrar, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.	Member
(v) Principal Secretary to Government of U.P. Finance Department or his Nominee	Member
(vi) Secretary/Principal Secretary to Government of U.P. Technical Education Department or his Nominee.	Member
(vii) One Director of any College affiliated to Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.	Member
- (3) The term of the Director of Engineering College in the Governing Body shall be one year, normally commencing from the 1st day of a calendar year. Membership of Director will be rotated amongst all Directors of colleges each year after expiry of term of a Member Director.
- (4) If Pro-Vice Chancellor is not appointed or is unavailable on the date of meeting, the Vice Chancellor may nominate anyone Director of any college as member.

**8. Meetings:**

At least three meetings of the Samiti shall be convened during a year, but the Chairman of the Samiti may convene meeting of the Samiti any time when he considers it necessary. At least fifteen days notice shall be required for convening a meeting.



9. **Proceedings:**

A record of the proceedings of the meeting of the Samiti shall be kept by the Secretary of the Samiti and the proceedings of the last meeting shall be got confirmed by the Samiti in the next meeting.

10. **Quorum:**

The quorum for the meeting of the Samiti shall be atleast four members including atleast one Govt. nominee besides the Chairman. The Vice Chairman shall preside over the meeting of the Samiti in the absence of the Chairman.

11. **Office:**

- (1) The office of the Samiti shall situate in the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
- (2) The treasurer of the Samiti shall be the Finance Officers, UP. Technical University, Lucknow and shall be responsible for the proper maintenance of its accounts and annual audit.

12. **Budget and Corpus Fund:**

- (1) The annual budget shall be prepared by the Secretary and shall be presented before the Samiti for its approval.
- (2) The collection from students in the Nidhi under rules-5 and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi.
- (3) Amount left at the end of every financial year, if any, will be invested in a long term deposit to create a corpus fund for Nidhi. When a corpus fund of reasonable size is created and a situation is reached to carry out the objects of Nidhi from the interest of corpus money of Nidhi, the University may review the continuance of further collection from students towards Nidhi.
- (4) Every year at the time of approval of the budget the Samiti shall earmark funds for each object mentioned in these rules.
- (5) The Samiti shall approve the financial assistance and compensation to students and parents as per criterion mentioned in these rules.
- (6) The Samiti shall have right to re-appropriate funds earmarked for each object mentioned in rule-6 and 13.

13. **Criteria of Sanctions of assistance:**

The criterion for sanctions of assistance for different objects will be as follows:

- (1) A student, whose earning parent dies may be given freeship excluding failures for remaining period of course and hereby tuition fees and examination fees prevalent at that time will be paid by University.
- (2) If claimed, compensation to a student and parents(s) who dies in any accident will be paid amounts for the consequences given below:
  - (a) A sum of Rs. 1.00 Lakh will be paid to a student whose earning parent(s) dies in or due to an accident. Such student may also be given freeship as defined in rule 13(1), if parent/guardian are having annual income by all means less than Rs. 2.00 lac and also if living parent does not earn.
  - (b) Compensation of Rs. 1.00 Lakh will be paid to parent(s) of a student who dies in or due to an accident, if parent(s) are having Annual Income by all means less than Rs. 2.00 lac.
  - (c) A sum of Rs. 1.00 Lakh will be paid to student who is permanently disabled due to accident.
  - (d) A sum of Rs. 0.50 lac will be paid to a student whose is temporary disabled due to accident.
- (3) A sum of Rs. 0.50 lacs will be paid to a student whose earning parent(s) dies otherwise than an accident



- (4) The freeship provided in sub-rule 2(a) and 3 shall be available to all such children who are student(s) on the date of death of parent(s) for the consequences contained therein, however the amount of compensation will be distributed equally among all such students(s) but female student, if any, shall have full compensation. These facilities will be available from academic session 2005-06.
- (5) A poor student as defined in these rules, may be given a lump sum assistance/book aid within the available budget approved by the governing body and if he secures at least 50% marks in a class on annual basis.
- (6) Compensation will be paid to those students whose parent(s) dies before the end of his/her last session of studies in university.

**14. Sanction of assistance/compensation:**

- (1) The Secretary of the Samiti shall examine the applications every year for financial assistance from the Nidhi to poor students.
- (2) Application for financial assistance and compensation from the Nidhi to poor students shall be presented to the Secretary of the Samiti in the form no. CKN-1 or CKN-2 whichever is applicable devised suitably. It will be the responsibility of the applicant to enclose a certificate from Principal/ Director of the College indicating that the applicant is a regular student of the said Institution. He will also indicate the financial assistance and scholarship, if any, the applicant is getting from other sources and its amount.

If these type of assistance upto Rs.50,000.00 per year is available to a student from other sources, he will not be entitled for freeship.

- (3) The poverty certificate from competent revenue authority is to be presented by the student to the Principal/Director of college who will forward it to the University/Samiti.
- (4) Deaths is suicide cases will not be covered by these rules.
- (5) The research students, who are already appointed and employed, anywhere will not come in the preview of these rules.
- (6) In the event of death of student in accident or otherwise, the compensation will be given to parents or legal heirs only.
- (7) In the event of the death of the student in accident or death of a parent in accident or otherwise, the application on prescribed format duly filled and forwarded by the Institute/College alongwith the necessary complete documents duly verified and attested by the Director/Principal of the Institute/ College must reach the university within 180 days from the date of the death and the payment of compensation shall then be considered by the University. In case of delay beyond 180 days the Vice-Chancellor will have power to condone the delay upto 365 days on humatarian grounds.
- (8) The Secretary of the Samiti shall sanction financial assistance /compensation on each application with the approval of the Vice-Chancellor and shall obtain the approval of the Samiti in its next meeting.

**15. Accounting Procedure:**

- (1) The account of the Nidhi will be opened in a Nationalized Bank and will be operated by the Secretary of the Samiti.
- (2) Expenditure on the individual mentioned object will be initially shown under proper minor/subheads and the same will be finally met from the Nidhi by debit to the Nidhi.
- (3) The amounts in Nidhi will be properly & timely invested to earn maximum interest.

**16. Maintenance of accounts:**

The accounts of the Nidhi shall be maintained by Secretary of Samiti i.e. Finance Officer, Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.

**17. Annual Report:**

The annual report shall be presented for approval and verification of the Samiti and will be reported to U.P. Government through Executive Council.



## Appendix-D

(See Regulations.....)

**FORM OF AGREEMENT WITH MEMBERS OF TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY**

Agreement made this..... day of..... 20....., between Shri/ Shrimati/Km. .... of first part and the Uttar Pradesh Technical University (hereinafter called "the University") of the other part.

It is hereby agreed as follows:-

1. That the University hereby appoints Shri/ Shrimati/ Km. to be a teacher of the University with effect from the date party of the first part takes charge of the duties of his/her office, and the party of the first part, hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part, and perform such duties in the University as may be required of him/her, including the management and protection of the University property or funds, the organization of instruction the teaching formal or informal and the examinations of students, the maintenance of discipline and the promotion of student's welfare in connection with any curricular or residential activities and perform such extra curricular duties of the University as may be entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the University and shall abide by and conform to the Code of Conduct for teachers laid down by the University as amended from time to time. Provided that the teacher shall be on probation for a period of one year in the first instance and the Executive Council may in its discretion extend the period of probation by one year.
2. That, the party of first part shall retire in accordance with the provisions of the "Regulations" of the University.
3. The scale of pay attached to the post of teacher to which the party of the first part is appointed shall be the party of the first part shall from the date he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of Rs ..... Per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in the succeeding stages in the scale unless the annual increment is withheld in pursuance of the provisions of the Statutes- Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale, the increment next above the bar shall not be given to the party of the first part without the specific sanction of the authority empowered to withhold increment.
4. That the party of the first shall obey, and to the best of his/her ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the University, to whose authority he/she may while this agreement is in force, is subject under the Provisions of the said Act, or under any Ordinances or Regulations made thereunder.
5. That the party of ; the first party hereby under takes to abide by and conform to the Code of Conduct laid down for the teachers; by the University, as amended from time to time.
6. That on the termination of this agreement from whatever cause, the party of the first part shall deliver up to the University all books, apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in his possession.
7. In all matters, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Regulations and Ordinances of the University, for the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced herein, and by the provisions of Uttar Pradesh Technical University Act-2000.

In witness whereof the parties hereto affix their hands and seal on the day year first above written.

.....  
Signature of the Teacher

.....  
Signature of the Finance Officer  
representing the University

Witness:

1.....  
2.....

*Appendix-E***CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS**

Whereas a teacher, conscious of his responsibilities and trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realize that he can fulfil the role of moral leadership more by example than by precept through a spirit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed;

Now, therefore, in keeping with the dignity of his calling, this code of conduct is hereby laid down to be truly and faithfully observed:

1. Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.
2. No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the students nor shall he practice victimization against them.
3. No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the Alma Mater.
4. No teacher shall discriminate against any pupil on ground of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies, amongst his colleagues subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.
5. No teacher shall refuse to carry out the decision of the appropriate bodies and functionaries of the University or the college, as the case may be.
6. No teacher shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University or college, as the case may be to any person not authorized in respect thereof.
7. No teachers shall run any other business part time home teaching (tution) and coaching classes.
8. The teachers shall remain available to the students for necessary assistance and guidance even after the classes without any remuneration.
9. With a view to complete the education programme, a teacher shall take leave only in unavoidable circumstances with the prior permission as far as possible.
10. The teacher shall remain engaged in developing his/her academic achievements by a continuous study, research and training.
11. Every teacher shall provide assistance in the University or affiliated colleges, as the case may be, in educational responsibilities e.g. in admission, helping and counselling to students, conducting of examination, invigilation, supervision evaluation of answer books, teaching and other curricular activities of the University or college.
12. As per the ideals of democracy, patriotism and peace, teacher shall create the feeling of respect among students towards scientific temperament and physical labour.